महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 23 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

चार दिन की रिमांड पर भेजे गए चिदंबरम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता व पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को गुरुवार को विशेष अदालत ने 26 अगस्त तक के लिए सीबीआइ रिमांड में भेज दिया। जांच एजंसी ने उनकी पांच दिनों की रिमांड मांगी थी। उसका तर्क था कि चिदंबरम से पूछताछ से बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है। दोनों पक्षों में हुई डेढ़ घंटे की बहस के बाद अदालत ने आधे घंटे के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा और फिर शाम, साढ़े छह बजे, जांच एजंसी की दलीलों से सहमति जताते हुए जज ने चिदंबरम की सीबीआइ रिमांड मंजूर कर ली।

जज ने कहा, 'साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए अदालत का मानना है कि सीबीआइ रिमांड उचित है।' अदालत ने यह भी कहा है कि सीबीआइ यह सुनिश्चित करे कि पूछताछ के दौरान चिदंबरम की व्यक्तिगत गरिमा का किसी भी तरीके से हनन न हो। साथ ही यदि धन का लेनदेन हुआ, तो उसका पता लगाए। यह मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है, लिहाजा उन दस्तावेजों का पता लगाए। अदालत बाकी पेज 8 पर

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम गुरुवार को सीबीआइ की अदालत में। उन्हें चार दिन की सीबीआइ रिमांड में भेज दिया गया है।

शीर्ष अदालत करेगी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा)।

न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की एक पीठ शुक्रवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करेगी। पीठ में भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना शामिल हैं। इस याचिका में चिदंबरम ने आइएनएक्स मीडिया मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली के फैसले को चुनौती दी है।

'एक अच्छा अधिकारी चमत्कार कर सकता है... सुशासन लोकतंत्र की रीढ़ है'

पहला एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवॉर्ड्स

उत्कृष्ट 15 डीएम को मिला पुरस्कार

नई दिल्ली, 22 अगस्त (ईएनएस)।

कश्मीर घाटी में बच्चों के स्कूल जाने के लिए पुलिया निर्माण से लेकर गुजरात में बाढ़ की चेतावनी प्रणाली तक, जिससे जान-माल का नुकसान थमा, छत्तीसगढ़ में जिला अस्पतालों के उन्नयन से लेकर हिमाचल का एक गांव जहां कूड़े के ढेर अब नया पार्क बन गया है- बुधवार की शाम एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवॉर्ड्स में जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा रचित इस तरह के बदलाव का जश्न मनाया गया। इस द्विवार्षिक आयोजन में देश के डीएम के सर्वोत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया जाता है।

अवॉर्ड्स समारोह में शामिल हुए केंद्रीय सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी

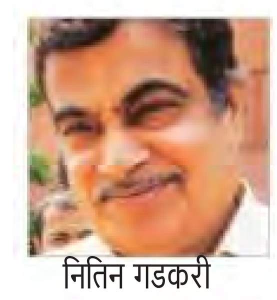

नितिन गडकरी

रवि शंकर प्रसाद

रामविलास पासवान

डॉ जितेंद्र सिंह

ने कहा कि 'कामकाज का लेखा-जोखा' भले ही जरूरी हो, एक 'अच्छा अधिकारी चमत्कार कर सकता है।' गडकरी के अलावा इस आयोजन में विशेष अतिथि थे खाद्य एवं जन वितरण मंत्री रामविलास पासवान, केंद्रीय विधि, संचार एवं सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह और केंद्रीय रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। कृषि से लेकर शिक्षा एवं तकनीक से लेकर महिला विकास तक 16 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। 24 राज्यों के 84 जिलों से मिलीं 249 प्रविष्टियों में से विजेताओं को चुना गया।

गडकरी ने कहा, 'सुशासन एवं विकास सरकार के दो महत्त्वपूर्ण एजंडा होते हैं... और जहां तक सुशासन का सवाल है, जिला कलेक्टर की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। पुरस्कार से हमारे प्रशासन की रीढ़ जिला मजिस्ट्रेटों को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इससे नया भारत बनेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है। प्रशासक के लिए सकारात्मक रवैया, लीक से हट कर सोच, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और टीम वर्क की जरूरत होती है। और अगर एक अधिकारी अपने प्रदर्शन के लेखा-जोखा के आधार पर बेहतर है, तो वह चमत्कार कर सकता है... सामाजिक चेतना, टीम वर्क और तुरंत निर्णय लेना जरूरी होता है।'

NxtGen Infinite Datacenter presents The Indian EXPRESS EXCELLENCE IN GOVERNANCE AWARDS

पासवान ने इन पुरस्कारों को 'बेहतर कार्य करने के लिए प्रशासकों के लिए एक प्रेरणा' बताया। पासवान ने कहा, 'एक जिला मजिस्ट्रेट... उन इलाकों में जाता है जहां सबसे गरीब रहते हैं और उनकी समस्याएं दूर करता है। कोई भी सामाजिक परिवर्तन दिल बाकी पेज 8 पर

सुनील गौड़ सेवानिवृत्त

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर पूर्व वित्त मंत्री की गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त करने वाले न्यायमूर्ति सुनील गौड़ गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति गौड़ ने नेशनल हेरल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के अभियोजन की भी राह तैयार की थी। न्यायमूर्ति गौड़ को अप्रैल 2018 में पदोन्नत कर हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 अप्रैल, 2012 को स्थायी न्यायाधीश नामित किया गया। उन्होंने कई अन्य हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई की। उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी।

अंतरिक्ष एजंसी इसरो ने भारत के चंद्रयान-2 उपग्रह से ली गई चंद्रमा की पहली तस्वीर गुरुवार को जारी की। इसरो ने तस्वीर के साथ ट्वीट किया, 'चंद्रयान-2 , विक्रम लैंडर की ओर से कैद की गई चंद्रमा की पहली तस्वीर देखिए जो 21 अगस्त, 2019 को चंद्रमा की सतह से 2,650 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई है।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से पूछताछ की।

यह कारवाई कोहिनूर सीटीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में आइएल एंड एफएस द्वारा 450 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश और कर्ज से जुड़ी है।

पेज 5

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

Munesh Kumar Chouhan S/o Yashpal Singh R/o. Arnia Khurd Bulandshahr UP203131, have changed my name as Munesh Kumar Chauhan. 0130012268-1

I,VINAY KAPOOR S/o KEWAL KRISHAN KAPOOR, Residing at-BP-49, Shalimar-Bagh, Delhi-110088. have changed the name of my minor daughter PENSSY KAPOOR aged 13-years and shall hereafter be known as SHIVANKI KAPOOR. 0040509052-2

I, certify that I, William D'souza has changed my name to William John, R/o 88-B, Ward No. 2, Mehrauli, New Delhi-110030, for all future purpose. 0040509011-1

I, Zahra Sarwat Bano D/o Syed Shahenshah Hussain Zaidi R/o A-2, Sarita Vihar, Delhi-110076 have changed my name to Zahra Ali for all purposes. 0040509034-1

I, Yash Juneja S/O, Hemwant Singh Juneja R/o Dx-136, Kendriya Vihar Sector-56, Gurgaon, have changed my name to Yash Singh Juneja for all purposes. 0040509061-1

I, Vivekanand Sharan S/o Late Sita Sharan Chaurasia R/o Flat No.-1, Building-3, Aster Tower, Vatika City, Sohna Road, Sector-49, Gurugram, Haryana have changed my son name from Chaitanya to Chaitanya Chaurasia for all purpose. 0040509016-1

I, Vinod Bhatia, S/O Murari Lal Bhatia, R/O-C-304, Fakhruddin -Appartment, Plot no-18, Sector-10, Dwarka, N.Delhi-110075.Changed My Minor Daughter Name Sheeba Bhatia To Sheeba. 0040509091-3

I, Udit S/o Sunil Kumar R/o-755, Jawahar Colony, Sector-22, Faridabad-121005 have changed my Name to Udit Sharma. 0040509023-3

I, Teena Talwar W/o Pankaj Talwar R/o E-26/4 Rajouri Garden, ND-27. Have changed my name to Tina Talwar for all purposes. 0040509046-1

I, Suresh Kumar Agarwal S/o Late Prahlad Rai R/o-B-365 Ground-Floor Avantika, Sector-1 Rohini Delhi-110085 changed my name to Suresh Kumar Goel. 0040509022-4

I, Sunita yadav w/o Jagdish Singh Yadav R/o-H.No-81P Kunj-Vihar Sainik Chauraha Yashoda Nagar Kanpur,have changed my name from Sunita Devi to Sunita Yadav.,for all purposes. 0040509052-5

I, Sunita W/O, Mahesh Singh R/o H.No. B-19, Acharya Niketan, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091, have changed my name to Sunita Singh for all purposes. 0040509059-1

I, Sunil Kumar Sharma S/O Devki Nandan Sharma R/O-Vpo-Bond Kalan Baund Dadri, Bhiwani Hr:127025 Changed My Name Sunil Sharma. 0040509056-2

I, Shyam Lal S/o Hari Chand, R/o House No-538, Ward No-10, Near Mata Darwaja, Gopal Colony, Rohtak, Haryana-124001, name of mine has been wrongly written as Shyam Lal Sachdeva in my daughter Mamta Sachdeva School Certificate of 10th Class. The actual name of mine is Shyam Lal. 0070671262-1

I, Shivam Hemraj S/o Sh. Hemraj Gupta R/o 44, Upper Ground Floor, Jaina Building, Sabzi Mandi, Roshanara Road, Delhi-110007 have changed my name to Shivam Gupta for all future purposes. 0040509010-1

I, Shashank S/O Devinder Takiar R/O-Ward No.27, GaliNo.4, Jhajjar Road, Shakti Nagar, Bahadurgarh, Haryana-124507. Changed My Name To Shashank Takiar. 0040509073-3

I, Yam Prashad Sharma S/O Sh.Bhem Lal R/O B-1/87, Sector-17, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Yam Prasad . 0040509052-1

I, Sanjiv Chharia S/o-Basant Kumar Chharia R/o-12-C, Citizen Enclave, Sector-14, Extn. Rohini, New Delhi-110085, have changed the name of my minor son from Dhaaram Devv Chharia to Dharam Dev Chharia for all purposes. 0040509076-1

I, Sanjeev Garg s/o Hardwari Lal Aggarwal, H.no.12 block-DU 3rd-flr pitampura delhi-34.have to changed my name Sanjeev Aggarwal.,for all future purposes. 0040509056-8

I, Chambaden Kandy Sasi S/o Nanu Nair R/o B-506, Mahalaxmi Apartments, Plot No-4, Sector-2, Dwarka, Delhi-110075, my name is wrongly written as Sasi Chambaden Kandy in my Educational Certificates and Degree. But my correct name is Chambaden Kandy Sasi. 0070671261-1

I, Ajit Singh Vill-Po Lehroon Teh- Dhar Kalan, Pathankot (PB), in my service record my son's name is wrongly entered Bishal in future my son's name is known as Vishal Singh. 0060068940-2

व्यक्तिगत

I, Sanjeeta W/o Sh.Surinder R/o-618-A/4-A, Shankar-Gali Pandav Road, Vishwas Nagar Shahdara Delhi-110032 have changed my name from Sangeeta to Sanjeeta, for all future purposes. 0040509091-8

I, Sanjay Kumar Gupta S/o Sushil Chand Gupta R/o-H.No.-86, Upper Ground-Floor Pocket-27, Sector-24, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Sanjay Gupta. 0040509052-3

I, Sajid S/o Sadik Hussain R/o:RZ-52/350, Gali No-14, Jagdamba Vihar, West Sagarpur, New Delhi-46 Have Changed My Name to Sajid Hussain. 0040509052-8

I, S.K Awana S/o Ramkesh Awana R/o-B-447,Sector-19, Noida,Uttar Pradesh,have changed my name to Satish Awana for all purposes. 0040509023-2

I, Rita/Kumari Rita W/O, Pankaj Kumar R/o A-704 Antriksh Greens Ahinsha Khand-II, Indirapuram, have changed my name to Rita Kumari for all purposes. 0040509046-2

I, Ramesh Chand S/o Shri Krishana Lal R/O House No. 113, Gali No. 10, Govind Vihar, Karawal Nagar, New Delhi-110094, have corrected my name from Ramesh Chand Dhiman to Ramesh Chand from my Son's Documents videaffidavit dated 22.08.2019. 0040509090-1

I, Rakesh Jindal R/o KU-8, Pitampura Delhi-34, have changed my minor daughter's name from Riya Jindal to Riyaa Jindal, permanently. 0040509091-9

I, Puneet Arora R/o G-105, Ground Floor, Kalkaji Delhi-110019 Have Changed My Minor Daughter's Name From Pavani Arora to Pavni Arora. 0070671239-1

I, Pinto Bai W/o Samay Singh Meena R/o Flat-No. 96, Baghban Apartment, Sector-28, Rohini, Delhi-110042, informs that name of mine has been wrongly written as Sunita Meena in my Son's Manan Kantya School-Record while the actual name of mine is Pinto Bai which may be amended accordingly. 0040509009-1

I, Pardeep Popli S/o Prem Popli R/o WZ-1231, Badiyal Mohalla, Palam Village Delhi-110045 Have Changed My Name to Pradeep Popli. 0070671248-1

I, Pankaj s/o Ompal r/o 4, Hazipur Mazra Khera Chaugava Antwara, Muzaffarnagar, UP-251201 have changed my name to PANKAJ KUMAR. 0040509021-1

I, PARABHJIT SINGH S/o DALJIT SINGH, R/o-WZ-346 A/2 Sant-Garh, Tilak-Nagar, Street-19, Delhi-110018, Changed my name to PRABHJIT SINGH khural permanently. 0040509022-2

I, No.2890748N Hav Kundan Singh,Serving at RRRC,Delhi Cantt-110010,informs that in my service records my Wife's name is wrongly mentioned as BHAWANA DEVI. Her correct name is BHAWNA DEVI which may be amended accordingly. 0040509054-1

Sunny Pal S/o Jagdev Pal R/o.H.No.14A, Gali.No.10B, Molarband Extension, Badar pur Delhi-110044,have Changed my name to Sunny Pal Dhillon for all Purposes. 0040509023-1

I, No.16019273A L/Nk Durga Dass,Serving at RRRC,Delhi Cantt-110010, informs that in my service records my Wife's name is wrongly mentioned as DEEPA DEVI. Her correct name is DEEPA KUMARI which may be amended accordingly. 0040509057-1

I, Nisha Gupta D/o Kishan Chand Mangla W/o Naresh Gupta R/o-X/2708 Gali No.6, Raghubarpura No.2, Gandhi Nagar Delhi-110031,inform that my name hasbeen wrongly-written as Nisha in my minor son Piyush Gupta(14-Years) Birth Certificate.The actual name of mine is Nisha Gupta which may be amended accordingly. 0040509099-3

I, Nirmal Kumari W/O Sanjay R/O 274, Rumal Wali Gali, Gujar Chowk, Rampura, Delhi-110035. Have Changed My Name To Nirmal. 0040509091-4

I, Neha D/O Shri.Gurudev Singh Bedi R/O B-3/22, Ground Floor, Sector-6, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Neha Bedi. 0040509091-2

I, Naresh Yadav S/o Deven Yadav R/o-H.No-A-67, Karan-Vihar, Part-5, Kirari, Delhi-110086 have changed my son's,name Gandhi Kumar to Mannu Kumar,for all purposes. 0040509052-9

I, Naimuddin S/o Zaheeruddin R/o H. No.3910, 2nd Floor, Gali Jagat Wali, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006 have changed my name to Naeemuddin 0040509003-1

I, Elizabeth Joshva alias Joshva Elizabeth Babu D/o Mathew Chinappa Anthony R/o 2029, Emmanuel Nandanvan Housing Society, More Wasti, Chikhali, Pune, Maharashtra-412114, have finally changed my name to Joshva Elizabeth Babu for all purpose. 0070671260-1

I, Chand Prabha Pruthi W/o Vikram Jeet R/o-83A Ayodhya Enclave Sector-13 Rohini Delhi-85 have changed my name to Chand Prabha,for all purposes 0040509052-6

I, Muskaan D/o Jasvinder Singh R/o J-6/143, Ground Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027, have changed my name to Muskaan Massaun. 0040509073-8

I, Munni Khan W/O Kalu Khan R/O-P-4/331-332, Block-P, SultanPuri, Delhi-86 Changed My Name To Muni Khan. 0040509073-5

I, Mukesh Kumar S/o Madan Mohan Sharma R/o A-492, Near Khalsa School , Shastri Nagar Delhi-110052. Have Changed My Name to Mukesh Kumar Sharma. 0070671245-1

I, Monika, D/o Agya Ram Yadav R/o A-102 Krishan Vihar, New Delhi-110086, have changed my name to Monika Yadav for all purposes. 0040508998-1

I, Meenu, W/o Jasvinder Singh R/o J-6/143, Ground Floor, Rajouri-Garden, New Delhi-110027,have changed my minor daughter's name Noor to Noor Massaun. 0040509073-9

I, Meenu, W/o Jasvinder Singh R/o-J-6/143, Ground Floor, Rajouri-Garden, New Delhi-110027,have changed my minor son's name Yuvraj Singh to Yuvraaj Singh Massaun. 0040509073-10

I, Meena Kumari W/o Sh. Rakesh Kumar R/o 3014/1, Street No.15A, Ranjeet Nagar, New Delhi-110008, have changed my name to Neena Basra for all purposes 0040509043-1

I, Manoj S/O Devender Kumar R/O 546-C, Rishi Nagar, Rani Bagh Delhi-110034 Changed My Name Manoj Kumar. 0040509056-3

I, Manju Gosain W/o Sunil Kumar Gosain R/o-F-105 Ground-Floor Suncity-Sector-54 Gurgaon Haryana-122001 Gurgaon., inform that Manju Gosain and Sakshi Gosain both names are one and same person. 0040509099-2

I, Manish Kumar S/o Baldev Raj R/o E-1/32, Rama Vihar, Mohammad pur, Majri, Delhi-110081 changed my name to Manish Bhanot. 0040509022-3

I, Madhu Karam Chandani, w/o Late Murlidhar Jethanand Karamchandani, r/o 3/3 Murli Nagar, Lucknow- 226001 state that my name stands changed as Madhu Karamchandani with immediate effect. 0060068930-2

I, Lata Rani W/o Deepak Kumar R/o 8576 Roshanara Road Bhargarh Malka Ganj Delhi-110007 changed my name to Lata. 0040509091-1

I, Kusum Shekhawat W/o Bhuvaneshwar Singh R/o-Plot No.1&2, 2nd-Floor Pocket-11, Sector-22, Rohini Delhi-86.,inform that my father's name Mulayam Singh Shekhawat and Mulayam Singh JAL Singh Shekhawat is the name of one and same person. 0040509099-1

I, Kumari Champa W/o Ashok Albert R/o A-29, Rajpur Khurd , Delhi-110068 Have Changed My Name to Champa Ashok Albert. 0070671241-1

I, Km.Shahnoor Bee D/O Nizamuddin. R/O 7/1, Joga Bai, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025. Changed My Name To Shahnoor Ansari. 0040509091-6

I, Km Suman Devi W/O Narendra Singh R/O Da-419, Shalimar Bagh, Delhi-88. Changed My Name To Suman Tomar. 0040509073-4

I, Kaushal Kumari W/o Rajesh Kumar R/o H.no- 404, GH 52, Sector-1 Manesar Gurgaon-122051 Have Changed My Name to Kaushal Yadav. 0070671235-1

I, Kanu Bowrie W/o Sumit Bhatia R/o 7699/20-21 Dharampura Lodge Ghanta Ghar Malka Ganj Delhi-110007 changed my name to Samiksha Bhatia. 0040509022-1

I, Kamaljeet Kaur D/o Jasbir Singh Bhatia R/o B-172 Phase-1, Ashok Vihar, Delhi-52, have changed my name to Kamaljit Kaur for all purposes. 0040509046-4

I, Jyoti D/o. Sh. Ved Pal Dalal R/o. House No-B-54 Phase-3 Prem Nagar Najafgarh New Delhi-43 have changed my name to Jyoti Dalal 0040509015-1

I, Jessy w/o K. Babu r/o Flat no. 448, Pkt-7, DDA flats Nasirpur, Dwarka, Sec-1A, New Delhi-45, and D/o Pathrose, have changed my name from Ms Rebecca M.P. to Jessy for all future purposes and records. 0040509006-1

I, Irshad, S/o Mahfuz Ur Rehman R/o H. No.298, Street No.15, Kardampuri, Delhi-110094, have changed my name to Irshad Ansari for all purposes. 0040508998-2

I Asif S/o Mohammad Hafiz R/o-H.No-B1/25 PLot.C-49 K.H.No.40/21 Shish-Mahal Enclave Prem-Nagar-3 kirari-Suleman-Nagar North-west Delhi-110086, Have changed my name to Mohammad Asif, for All Purpose. 0040509091-7

I Amit Kumar Patel S/o Late Balwant Bhai Patel R/o 31, 3rd Floor, Gujrat Vihar, Delhi-110092 do hereby inform that my minor daughter's aged 14 years name has been wrongly written as Ashana Patel instead of Aashana Patel in the School record. The actual name of my daughter is Aashana Patel, which may be amended accordingly. 0040509004-4

व्यक्तिगत

I, Harender Kumar R/o Rz/g-69 Mahavir Enclave, Old Som Bazaar Wali Gali, ND-45, have changed my minor daughter's name from Mansvi to Mansvi Prajapati. 0040509046-3

I, Gurdain Bhatia W/o Amandeep Singh Bhasin R/o D-64, 2nd Floor, Suncity Sector-54, Gurgaon-122001 Have Changed My Name to Gurdain Kaur Bhasin. 0070671207-1

I, Gaurav Jain S/o Shalesh Kumar Jain R/o-A-160,Sec 15, Noida,UP inform that my son Divik Jain & Yuv Jain is one & Same person.This will used for all purposes. 0040509017-1

I, GEETA PANDEY W/o Om Prakash Pandey R/o H.No.55-D, CBI Colony, Vasant Vihar-1, New Delhi-110057, inform that my name wrongly mentioned in my son birth certificate as GITA. But my correct name is GEETA PANDEY. 0040508994-1

I, Diwan Chand Arya S/o Shri Bachhi Ram R/o H.No.196, Gali No-1, Opposite Suresh Park, Krishna Nagar, Modinagar, Ghaziabad, U.P-201204, have changed my name to Diwan Chand. 0040508996-1

I, Devinder Sain S/O Bahadur Takiar R/O-Ward-No.27, Gali No.-4, Jhajjar Road, Shakti Nagar, Bahadurgarh, Haryana-124507.Changed My Name To Devinder Takiar. 0040509073-2

I, Devendra Kumar S/O Late Chandraketu Narayan Singh R/o E-94,Third Floor,Samaspur Road,Pandav Nagar,Delhi have changed my name to Devendra Parashar for all future Purposes 0040509108-1

I, Balkishan S/o Khajan Singh R/o-D3/1B, VinodPuri, Vijay-Enclave, New Delhi have changed my minor child's name from Pratibha to Panya for future 0040509056-6

I, DIIPAYSH BHANN S/o Late Laxmi Prakash Bhan R/o C-319, Gali No.14, Bhajanpura, Delhi-110053, inform that me and my wife's name wrongly mentioned in my son (namely Dhruv Bhardwaj) school record as Dipesh Bhardwaj and Savita Bhardwaj, But correct name is DIIPAYSH BHANN and SAVITA BHAN respectively. 0040509008-1

I, Chander Pal Verma S/o Dev Pal Verma R/o 2010, Rani Bagh, Delhi, have Changed Name to Chander Verma. 0040509073-6

I, Champa D/o.Sh. Bhairav Dutt Bhatt R/o House.No.87, Block-G, Gali.No.1-2, Sita Puri Part-2,Palam-Village, New Delhi-110045,have changed my name to Kiran for all future Purposes. 0040509086-1

I, Baljit Singh S/o Dharam Vir Choudhary R/o-WZ-130, Dasghara, Delhi-110012 have changed my name to Baljeet Singh. 0040509073-7

I, Atul S/o Ved Parkash R/o H.No- 188, Village Khawaspur, Jamalpur Gurgaon-122503 Have Changed My Name to Atul Dhika. 0070671234-1

I, Astha Madhotra, d/o Sh. Ranjan Madhotra, resident of D-111 Street Number-5, Laxmi Nagar, Delhi-110092 have changed my name from Aastha Madhotra to Astha Madhotra for all purposes in future. 0050153869-1

I, Ashok Kumar S/O Ram Suphal Yadav R/O F-1/36, Block-F, Gali No-1, House No-36, Ganga-Vihar, Delhi-110094.Changed My Name To Ashok Kumar Yadav. 0040509091-5

I, Anita W/O Devinder Takiar R/O.Ward No.27, Galino.4, Jhajjar Road, Shakti Nagar, Bahadurgarh, Haryana-124507. Changed My Name To Anita Takiar. 0040509073-1

I, Anil Kumar Goel S/o Tek Chand Goel R/o 371 Pocket-E Mayur-Vihar Phase-II N.Delhi-110091 changed my name to Anil Goel. 0040509056-4

I, Anand Kumar S/o Kalyan Singh R/o G-16, Gali No. 16, Som Bazar Road, Raja Puri, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name to Anand Verma. 0040509001-1

I, Amit Singh S/o. Sh Vidya Sagar Singh R/o. 4/112, 3rd Floor, Ramesh Nagar, New Delhi-15, have change my name from Amit to Amit Singh for all future purposes. 0040509064-1

I, Afak Ahmed S/o Mr. Ayaz Ahmed R/o N-84, IIIrd Floor, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 have changed my minor daughter name from Areesha Bano to SYED AREESHA AFAK for all future purposes. 0040509014-1

I, Abhilasha W/o Anil Bhadana R/o-WP-80, Wazirpur-Village, Ashok-Vihar Phase-1 Delhi-110052.have Changed my name from Abhilasha Devi to Abhilasha,for all purposes. 0040509052-4

I Khushboo Agarwal W/o Ankit Aggarwal R/o B-155 Yojana Vihar Delhi-92 have changed my name to Khushboo Aggarwal. 0040509056-5

I, Kanika W/o of E-1/53,Gali NO. 6, Budh Vihar Phase-1, North West Delhi,PIN:110086 have changed myname to Kanika Goel. 0070671253-1

I, Jaiveer S/O, Surender Singh R/o 120b 2/9 Ganesh Apartments Parjapati Mohalla, Kishangarh Vasant Kunj, Delhi-70, have changed my name to Jaiveer Yadav for all purposes 0040509055-1

मैं, दलबीर सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी-266 सुल्तानपुर डबास दिल्ली-110039 सूचित करता हूं कि जमीन की फर्द खेवट-नं.-24, खतौनी-नं.-23, सुल्तानपुर डबास में बलबीर सिंह गलत लिखा है। मेरा सही नाम दलबीर सिंह है।

मैं, सतबीर सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी-266ए सुल्तानपुर डबास दिल्ली-110039 सूचित करता हूं कि जमीन की फर्द खेवट-नं.-24, खतौनी-नं.-23, सुल्तानपुर डबास में सत्यबीर सिंह गलत लिखा है। मेरा सही नाम सतबीर सिंह है।

I, (8431350Y) NK Radhe Shyam S/o Shri Parohi Yadav, R/o Village-Thotiya, Post-Dama, Tehsil-Mehnagar, Distt-Azamgarh, UP-276204, inform that in my service record my son (Suraj Yadav) DOB wrongly mentioned as 14.02.2000 instead of 14.02.2002. 0040509013-1

I Vikram Jit Pruthi S/o Late Sh.Hans Raj R/o-83A Ayodhya Enclave Sector-13 Rohini Delhi-85 have changed my name to Vikram Jeet.,for all purposes. 0040509052-7

I Sukhwindr Kaur W/o Avtar Singh R/o T-572/B, Vijay Chowk, Baljeet Nagar Delhi-8 have changed my name to Sukhvinder Kaur 0040509118-1

I Shyam Wati D/o Sh.Rampal W/o Sh.Ganesh Singh R/o H.No.55, Sector-5, Radhey Shyam Park, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201005 have changed my name after marriage to Rani Singh for all purposes. 0040509004-3

I Nitin Saraswat S/o Sh.Suresh Chandra Saraswat R/o House No.F-3, Bahubali Apartments, 59/17, New Rohtak Road, Karol Bagh, Central Delhi, Delhi-110005 have changed my name to Nitin Chandra Saraswat for all purposes. 0040509004-1

I Monu S/o Sh.Hayaat Singh R/o H.No.171, Purana Bazar, Burari, North Delhi, Delhi-110084 have changed my name to Arjun Singh for all purposes. 0040509004-2

I Montu Gupta S/o Shankar Prasad Gupta R/o Dakhin Tola, Siwan, Bihar-841226, have finally changed my name to Mayank Gupta for all purpose 0070671254-1

I Kumar Gaurav Sanjog Chhetri Vihar Cantt Lucknow. In my service record my wife's name is wrongly entered Navita. In future my wife's name is known as Nabita Kumari and true D.O.B is 05-04-1985. 0060068926-2

I Kosal Hazara WO Mihir Hazra R/O-370, Bhanwar Singh Camp, Vasant Vihar-1, Delhi-110057 Have Changed my Name to Kaushilya Hazra. 0040509056-1

I Khushboo Aggarwal M/o Siddhanta Aggarwal R/o B-155 Yojana Vihar Delhi-92 have changed my minor son name to Madhav Aggarwal 0040509056-7

Be It Known To All That I, Pankaj Rana S/o Sh. Ram Kishan Rana , aged 35 YearsR/o 373, Mukhmail Pur, Delhi-36 have changed my name from Pankaj Rana to "Punkaj Ranna" ,henceforth I shall be known by my new name "Punkaj Ranna" for all the Purposes in Future. 0040509086-2

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Mahesh Singh S/o Sh. Narender Pal Singh and Smt. Krishna Devi W/o Sh. Mahesh Singh both R/o A-747, Shyam Colony Phase-2, Budh Vihar, North-West, Delhi-110086 have Debarred their Son named Sh. Rahul Pundir and Daughter-in-law named Smt. Shalu Chauhan W/o Sh. Rahul Pundir and my clients have disowned their son and daughter-in-law from their movable and immovable properties since they are not in control of my clients and their acts are in irresponsible manner. If any person will deal with them shall do so at his/her own risk and cost and my clients shall not be responsible in any manner.

Pradeep Chauhan (Advocate)
Ch. No. 220, G-Block, KKD, Delhi

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Rakesh Kumar son of Late Kashi Ram and Sunita Devi wife of Rakesh Kumar both residing at 3258/236, Chander Nagar, Tri Nagar, Delhi-110035 declares that name of mine and my wife name has been wrongly written as RAKESH and SUNITA in my minor daughter ARTI aged 14years School Records. The actual name of mine is RAKESH KUMAR and my wife name SUNITA DEVI, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

NOITCE IS HEREBY GIVEN TO THE PUBLIC at large with the fact that Ramesh Chander Gulati & Sh. Suresh Chander Gulati are the jointly owners in possession of the property bearing No. B-256, Yojna Vihar, Delhi-92 (Property). That the(1) original Perpetual Sub Lease Deed duly registered with the office of Sub Registrar IV Delhi bearing Reg. no.2458 Book-1, Vol. no. 1471 page No. 154 to 162 dated 26.08.1981 executed by DDA *and* Planning commission Co-Operative House Building Society Ltd. in favour of Sh. Krishan Kumar, and (2) original Occupancy Certificate dated 31.08.1994 of the aforesaid property have been misplaced somewhere. An FIR /NCR to that effect has been already lodged to Crime Branch, Delhi Police vide LR No:1417234/2019 on 21/08/2019.

Any person(s) dealing in any way with the said property shall do so at his/her own peril as the same shall be considered legally null and void.

Anybody aware of any such persons claiming any right, interest, title based on the said Perpetual Sub Lease Deed and Occupancy Certificate, or being found in possession of the same, may please write to/contact Mr. Harish Kumar, Advocate, at his office- Chamber No. F-712, Karkardooma court, Delhi and on his Mobile No. +919873769272 within 15 days from the date of publication of this notice.

खोया-पाया

I, Surender Kumar S/o Virbhan R/o-37, Narang-Colony, Janakpuri, Delhi lost my Possession-letter, allotment-letter, receipt id-722244-21-06-2012, customer id-BHP/100, dated-08-08-2019 of the plot.no-297, omaxe-city, bahadurgarh, sec-15. finder contact-9811033206. 0040509052-10

I, YASHIKA D/o Sanjay R/o-h.no-82B S.F-3 sfl ved-vihar loni gzb up have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8170276 CBSE-Delhi. 0040509099-9

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of main / compartment, senior secondary examination of year-2015, Roll No. 9158510 issued by CBSE has been actually lost. Sahib Singh r/o 40/4, Single Storey, Ashok Nagar, New Delhi-110018, 9958261030. 0040508995-1

Lost original Possession Slip, Bank Challans, Demand Letter, Allotment Letter, Site Possession Demand Letter, Site Possession Slip favouring Merry W/o Pushpa Raj R/o P-29, C-2, Janta Flats, Dilshad Garden, New Delhi-110095. FIR lodged vide LR No.1384722/2019 dated:13-8-2019. Founder inform at : 9810426710. 0040508997-1

I, HARSH Sharma S/o kailash chand sharma R/o.h.no.-702 st.no-13 sahid-Bhagat Singh colony-karawal nagar Delhi-94, have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8168456 CBSE-Delhi. 0040509099-8

I, Shobha Rani Anand, W/o HC Anand have lost original Allotment and Possession-Letter of Flat.no.22C Rabindra-CGHS LTD, Supriya Apartment, Block A-4, Paschim-Vihar, Delhi-63. 0040509056-9

I, Subhra Jyoti Das S/o Siba Prasad Das, Have Lost Original-Allotment Letter & Original Builder Buyers-Agreement Of Apartment-Number:C1/201, Located at Uniworld City Gurgaon Haryana- Finder Contact:7701-983091. 0040509056-10

I Gaurav Jhalani S/o Sh.Pawan Jhalani R/o B-244, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052 have lost my original documents of my Shop Municipal No.1103 & 1112, G.F., having entrance from Property No.1165, situated at Kucha Mahajani, Chandni Chowk, Delhi-110006. Finders may contact at above address. 0040509012-1

PUBLIC NOTICE

My clients Aziz Master S/o Sh. Mammenddin & Mrs. Shayra W/o Aziz Master, both R/o H. No. GH / 35A, Ratie Marg, Sangam Vihar, South Delhi-110062, has disowned their son namely Mohd Azam from all movable & immovable properties & severed all relations forever, due to their disrespectful & violent behaviour. My client shall not be responsible for his act.

Hira Lal Jha (Advocate)
Ch. No. 417, Saket Court, New Delhi.

Public Notice

My clients BHAGWAN SAHANI MEENA S/O SH. L.L MEENA and his wife RAJANTI DEVI R/O H.NO-69, BLOCK-B, SHIV PARK, NANGLOI,DELHI-41 hereby remove their relationship & expel their two sons Namely JITENDER KUMAR MEENA his wife NAMTA MEENA and NARENDER KUMAR MEENA from all their moveable and immoveable properties because they are out of their control.if anybody deals with them ,then he/she will do so on his/her own risk. **VIJAY LAXMI, Advocate (Delhi High Court)**,113,CLJ Lawyer Chambers, Tis.-Hazari, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

it is informed to the public at large that my client Mrs. Basanti Devi W/o Late Sh. Ashok Kumar R/o House No. 52/11, Gali no. 16 new Basti, Anand Parbat, Karol Bagh, Delhi-110005, hereby declaring/Debaring/ Disowing her son Sachin Goel S/o Late Sh. Ashok Kumar from her life and moveable and immoveable properties and assests and severed all her relation with him because he refuse to follow the order/ instructions / suggestion of my client and acting against the interest and reputation of my client. Hence my client and her family shall not be responsible / liable for any act / commissions /omissions done by above named person since today, any body dealing with him shall be doing at his/her own risk, cost and responsibility.

Sd/-
VIKAS KUMAR (Adv.)
Enrl No. D/3027/2009
Ch. No. 497, Patiala House Court, New Delhi-110001. M. 9958510094

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT **SAT PRAKASH S/O DEVI SINGH R/O B-93, BLOCK-B, RAJEEV NAGAR, PHASE-II, BEGUMPUR, DELHI-110086** SEVERE ALL RELATIONS & DEBAR THEIR SON **RAJ KUMAR & HIS WIFE SMT. PAYAL & GRAND DAUGHTER SHREYA** FROM ALL MOVABLE-IMMOVABLE PROPERTY(S) DUE TO THEIR MISCONDUCT. MY CLIENTS WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR THEIR ANY ACTS. IF ANYBODY DEALS IN FUTURE WITH THEM, SHALL DO SO AT HIS/HER OWN COST & RISK AND MY CLIENT SHALL HAVE NO CONCERN.

Sd/-
ANUJ RANA (ADVOCATE)
Ch. No. 1524 Rohini Court Delhi-85
8700969750

PUBLIC NOTICE

My client Madhu Kapoor W/o Amrit Lal Kapoor R/o H.No.WZ-33/121, Mukherji Park Extn., Tilak Nagar, Delhi-110018, have disowned and debarred his son Gagan Kapoor along with his wife Samayra Kapoor (Mamta) from all her movable and immovable properties with immediate effect. My client have ceased all relations with them, anybody dealing with them hereinafter shall do at his own risk, cost and responsibility. My client shall not be liable and responsible for the same in any manner whatsoever.

KAMAL SINGH (ADVOCATE)
Ch.no.512, Distt. Court, Rohini, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Rakesh Paliwal S/o Sh. Prem Paliwal R/o RZE 672/52, Gali No.27 H. Sadh Nagar-2, Palam Colony, Palam Village, South West Delhi, Delhi-45 have severed all his relations & disowned his son Mr. Prashant Paliwal & his wife namely Mrs. Anshika alongwith their minor daughter from all movable & immovable properties due to their misconduct / disobedience. My client shall not be responsible for their any acts in future.

Vijay Singh (Advocate)
2/13A, Basement, Backside, Jangpura A, New Delhi-110014

बाल सुधार गृह से तीन बच्चे भागे

सागर, 22 अगस्त (भाषा)।

सागर जिले के सिविल लाइन थानांतर्गत स्थित बाल सुधार गृह से तीन लड़के गुरुवार सुबह भाग गए।

बाल सुधार गृह से तीन बालकों के भागने की सूचना मिलने पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भागे तीन बालकों में से एक को हत्या के प्रयास, एक को अपहरण और एक को चोरी के मामलों के सिलसिले में सुधार गृह में रखा गया था। सांघी ने बताया कि इनमें से दो बालक सागर जिले के हैं, जबकि एक विदिशा जिले का है।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलान श्री सतीश पुत्र गोपी राम एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता पता-ई-25/बी, 28/120, इन्दिरा कैम्प त्रिलोक पुरी दिल्ली ने अपने पुत्र आशीष व उसकी पत्नी प्रीति उर्फ पिंकी के दुर्व्यवहार व झूठे केस में फसाने की धमकियों के कारण उन्हें व उनकी संतान को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करके उनसे अपने सभी प्रकार के संबंध विच्छेद कर लिए हैं। भविष्य में उनके किसी भी लेन-देन या व्यवहार के लिए मेरे मुवक्किलान व परिवारजन उत्तरदायी नहीं होंगे।

राज कुमार (अधिवक्ता)
सीट नं. 12, नजदीक एस.बी.आई. तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल किरण पाल पुत्र स्व. श्री राम किशन, निवासी- टी-23, कोली कैम्प, खिजराबाद, नई दिल्ली- 110025 ने अपने पुत्र दीपक उर्फ चिन्टू को नियंत्रण से बाहर होने के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सभी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिये हैं। उसके किसी भी लेन देन अथवा कार्य के लिये मेरा मुवक्किल व उसके परिवार के अन्य सदस्य जिम्मेदार नहीं होंगे।

हस्ता./-
जितेन्दर चौधरी (अधिवक्ता)
चैम्बर नं. 256, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all, that my client Shri Omkar Singh Yadav S/o Shri Mukand Lal and his wife Smt. Sarita permanent R/o Village Ghilaua, Distt. Etah, U.P. at present Kh. no. J-3/23, Gali no. 14 Swaroop Nagar, Delhi-110042, have severed all their relations with their daughter Ms Swati Yadav who left them on 18.08.2019 with some unknown person and disowned her from all their movable and immovable properties as she is out of their control. My clients shall not be liable for any act and deeds of them.

Sd/-
Z.S. YADAV (Advocate)
Ch. No. 351, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

My client Sh. RADHEY SHYAM S/O LATE SH. BABU LAL R/O: 5339, CHANDRAWAL KOHLAPUR ROAD, SABJI MANDI 110007 Do hereby disown and debar his son **SH. RAJ KUMAR S/O Sh. RADHEY SHYAM AND his wife Smt. MONIKA D/O RAJESH SHAILYA AND W/O SHRI RAJ KUMAR both R/O: 5339, CHANDRAWAL KOHLAPUR ROAD, SABJI MANDI 110007**. From inheriting all movable and/or immovable property whatsoever, belonging to my client situated at Delhi or any other state. My client will not be responsible for any of their acts whether in past, present or in future, anyone dealing with them will be doing solely at his/her/their own risk/s and consequences.

Sd/-
A.S. ASSOCIATES
Advocates & Consultants
Chamber No. 326, Civil Side Tis Hazari Court, New Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Be it know all concern that my Clients Moti Lal Gupta S/O Late Sh. Ram Dhani and Rampati Devi w/o sh Moti Lal Gupta both r/o B-1817 Shastri Nagar, Delhi-110052 hereby debar elder son Girja shankar Jaiswal, daughter in law Beena w/o sh Girja Shanakar jaiswal, grand married daughter Meghna and grand married son Tushar all r/o Raghu Nagar, near Dabri Mor, New Delhi from all movable and immovable properties and severed all relations with them and my Client shall not be responsible for civil and criminal liabilities, for his intolerable act and conduct. If any Person make any dealing with him, he himself will be responsible.

Sd/-
MADAN LAL GUPTA (Advocate)
Ch. No. B-36, B.G.S. Block, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

PUBLIC AT LARGE IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT SH. PAWAN KUMAR LODHI S/O LATE SH. AMAR SINGH R/O HOUSE NO. 183, SECTOR-5, R.K. PURAM, NEW DELHI-110022, HAS SEVERED ALL HIS RELATIONS WITH HIS SON NAMELY ROHIT AND HIS SON'S WIFE NAMELY POONAM RAJPUT AND HAS DISINHERITED/DISOWNED THEM FROM ALL OF HIS MOVEABLE AND IMMOVEABLE PROPERTIES. ANYBODY DEALING WITH THEM SHALL BE DOING SO AT HIS/HER/ITS OWN COSTS, PERIL, RISK AND CONSEQUENCES AND WILL BE HELD SOLELY LIABLE FOR THE SAME.

Sd/-
YUDHVIR SINGH CHAUHAN (ADVOCATE)
Ch. No. 276, Blcok-II Delhi High court, New Delhi

PUBLIC NOTICE

My clients, Mahipal Singh (Aadhaar 3616 4086 7535) S/o Late Hari Singh Payal and Sunita w/o Mahipal Singh both R/o B-157, Rajeev Nagar, Begumpur, Delhi-110086 have debarred and disowned their son Amit Payal and his wife Sonia @ Sonia Payal from their all assets and properties and severed all relations with them. Any person dealing with them shall be doing all at his own risk etc. R.K. Tiwari (Advocate) B-292, Sudershan Park, Moti Nagar, Delhi-15 # 9210348411

PUBLIC NOTICE

My client Shri Rakesh Kumar S/o Late Nami Chand R/o H-114, DESU Colony, Tripolia, Delhi-110007 has severed all his relation with his daughter Neha Rani for all intents and purposes and disowned her from his all movable and immovable assets, any person dealing with her shall do so at his/their own risk, cost and peril.

Sd/-
SATISH KUMAR (Advocate)
Ch. No. 310, Patiala House Courts, New Delhi-01

PARKHATI

Publicly informed that my Client Smt. Ravinder Kaur W/o late Shri Harinder Singh R/o 347, Bhera Enclave, Paschim Vihar, New Delhi decided to give 'PARKHATI' to her son Mr. EKJYOT SINGH and she hereby declare that said Mr. Ekjyot Singh shall not inherit any sort of movable & immovable properties of my client after demise of my client and further any person doing or making any sort of monetary transaction with Ekjyot Singh than my client shall have no connection, liability and responsibility for any dispute.

DILIP KUMAR (Advocate)
Off: C-1/121, Sector-11, Rohini, Delhi

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client Mr. Inder Chhabra S/o Late Krishan Lal Chhabra, Allotte/GPA/purchaser of industrial Plot No A-75, Mangolpuri Indl. Area Phase-II, Delhi has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold to free hold vide File No.F.22(53)1987/LSB(I) in DDA. The original documents i.e. The original documents ie DEMAND/ ALLOTMENT LETTER, POSSESSION LETTER, SITE POSSESSION, C&D FORM AND PERPETUAL LEASE DEED of the said plot has been lost. An FIR/NCR/LR No. 1408341/2019 dated 19.08. 2019 to this effect has been lodged in P.S. Crime Branch, Delhi. Any person(s) claiming any rights, interest having any objections be found in possession of original documents may write/contact with above named person at above Address/Phone No 7982402990 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property can personally inform or write to Deputy Director LAB (Industrial) or Director (Industrial), DDA, Vikas Sadan, New Delhi.

Naveen Aggarwal, Advocate
Ch.No. 7, Tis Hazari Court, Delhi-54

कश्मीर पर प्रियंका के विचार एक भारतीय का नजरिया हैं : जावेद अख्तर

कोलकाता, 22 अगस्त (भाषा)।

जाने माने गीतकार एवं कवि जावेद अख्तर ने कहा है कि कश्मीर पर केंद्र सरकार के हालिया फैसले के समर्थन में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भारतीय नागरिक होने के नाते जो विचार रखे, वह स्पष्ट रूप से एक भारतीय के नजरिए से उनके विचार हैं।

पाकिस्तान की एक मंत्री ने प्रियंका को शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना दूत के तौर पर हटाए जाने की मांग की थी। इसी मांग पर अख्तर ने टिप्पणी की। अख्तर ने बुधवार रात को एक साहित्यिक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से कहा, 'यदि उनकी टिप्पणियों ने पाकिस्तान प्रतिष्ठान को नाराज किया है तो वे जो चाहें, वह कर सकते हैं।

भारत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया है और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है।

पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा एच फोरे को पत्र लिखकर कहा था कि प्रियंका कश्मीर पर भारत सरकार की नीतियों का समर्थन करती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि प्रियंका चोपड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध के समर्थन में हैं।

अख्तर ने प्रियंका के बारे में कहा, 'मैं प्रियंका चोपड़ा को निजी तौर पर जानता हूं। वह सुसंस्कृत, सभ्य और शिक्षित हैं और वह एक भारतीय हैं।' उन्होंने कहा, 'यदि (प्रियंका चोपड़ा की तरह) एक आम भारतीय नागरिक और पाकिस्तान के प्रतिष्ठान के नजरिए में मतभेद और किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उनका नजरिया निश्चित रूप से एक भारतीय की तरह होगा।' अख्तर ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगभग हर रोज ट्रोल किया जाता है। 'मैंने इमरान खान के ट्वीट पर टिप्पणी की जिसके कारण पिछले दो-तीन दिन से मेरे लिए कई घृणा संदेश भेजे जा रहे हैं और कुछ लोग मुझसे खफा हैं।' उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के धार्मिक कट्टरपंथी उनके खिलाफ अपशब्द कहते हैं लेकिन उन्हें भरोसा है कि उन्होंने जो कहा, वह सही है।

अख्तर ने कहा, 'यदि इनमें से कोई मुझे अपशब्द कहना बंद कर देगा, तो मुझे हैरानी होगी कि उसे क्या हुआ है।'

भारतीय क्रिकेटरों को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

मुंबई, 22 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने असम के एक व्यक्ति को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि मोरीगांव जिले के शांतिपुर के निवासी ब्रज मोहन दास (19) को मंगलवार को असम पुलिस की मदद से एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। दास ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) को 16 अगस्त को कथित तौर पर एक ई-मेल भेजा, जिसमें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को मारने की धमकी दी गई थी। मुंबई एटीएस ने जांच शुरू की क्योंकि शहर में बीसीसीआइ मुख्यालय है। एटीएस ने आइपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया। जांच एजंसी ने 'आइपी एड्रेस' का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। एटीएस असम में स्थानीय अदालत के समक्ष उसे पेश करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड में लेकर यहां लाई। जांच में पता चला कि उसने कुछ अन्य देशों के क्रिकेट बोर्डों को भी ऐसी धमकी भरा मेल भेजा था। अधिकारी ने कहा कि मझगांव की अदालत ने उसे सोमवार तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच चल रही है।

यमुना के जलस्तर में गिरावट जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

यमुना नदी का जल स्तर हर घंटे घट रहा है। शाम करीब छह बजे यमुना नदी का जलस्तर गिरकर 204.88 मीटर तक गया था। बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के मुताबिक दिल्ली के लिए और अतिरिक्त पानी छोड़ने का कोई पूर्वानुमान नहीं है। इसलिए अब स्तर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। दोपहर में नदी का जलस्तर 205.33 तक पहुंच गया था जबकि सुबह 10 बजे रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 206.60 मीटर था।

जानकारी के मुताबिक बुधवार को सुबह यमुना का जलस्तर 206.60 मीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और करीब सात घंटे तक ऐसा ही रहा। दोपहर से नदी का जलस्तर कम होने लगा और शाम छह बजे 206.44 मीटर पर आ गया। सोमवार को यह खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया था। अधिकारियों के मुताबिक जल स्तर में गिरावट के बाद किसी भी परेशनी की कोई खबर सामने नहीं आई है। बाढ़ पर मोटर बोट की मदद से नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त यमुना खादर क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे। उन्हें भी समय रहते बाहर निकाल दिया गया।

इनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से टैंट उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रह रहे करीब 23,000 प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इनमें से 18,000 से अधिक लोगों को दिल्ली सरकार की एजंसियों की ओर से बनाए गए 2700 से अधिक राहत शिविरों में रखा गया है। आपात स्थिति में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए कुल 35 नौकाओं को तैनात किया गया है।

जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों के आसपास सुरक्षा बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

जन्माष्टमी के ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों की पूरी तैयारी की है। हर इलाके के जिला पुलिस उपायुक्त और एसीपी स्तर के अधिकारी मंदिर प्रशासन के साथ बैठक कर उचित दिशा-निर्देश दे रहे हैं। बिरला मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश और पंजाबी बाग में स्थित इस्कॉन मंदिर, झंडेवालान मंदिर, कालकाजी मंदिर, प्रीत विहार स्थित कृष्णा मंदिर और यमुना बाजार नीली छतरी वाला मंदिर समेत स्थानीय मंदिरों में पुलिस के हजारों जवान तैनात किए जाएंगे। कई जगहों पर मंदिरों में मेटल डिटेक्टर फ्रेम से होकर ही प्रवेश किया जाएगा। भीड़ पर नजर रखने के लिए मचान व मोर्चा भी बनाए गए हैं। साथ ही ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षकर्मी वहां की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें।

अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री निशंक से मिले शिक्षक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भेंट कर शिक्षा और शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं का मांगपत्र सौंप कर शीघ्र समाधान की मांग की गई। करीब दो घंटे तक चली बैठक में महासंघ की ओर से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संवर्ग की अलग-अलग मांगों को विस्तृत औचित्य के साथ मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंहल एवं महामंत्री के अलावा संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री ओमपाल सिंह, उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी महेंद्र कुमार, अतिरिक्त महामंत्री डॉक्टर निर्मला यादव, उपाध्यक्ष डॉक्टर कल्पना पांडे प्रोफेसर प्रग्नेश शाह आदि शामिल थे।

जेएनयू छात्र संघ : विद्यार्थी परिषद ने चुनाव समिति बनाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चुनाव के लिए चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। चुनाव समिति की घोषणा करते हुए जेएनयू इकाई अध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने कहा कि इस बार एबीवीपी चुनाव केवल जेएनयू परिसर का सबसे बड़ा छात्र संगठन बनने के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि यह चुनाव जीतने की लड़ाई है।चुनाव समिति में ललित पांडेय को मुख्य प्रचार संयोजक और चुनाव समिति सदस्य के रूप में निधि त्रिपाठी, अणिमा सोनकर, दुर्गेश कुमार, वैलेंटिना ब्रह्मा और विजय कुमार नियुक्त किया गया।

एबीवीपी ने डूसू चुनाव के लिए दस संभावित उम्मीदवारों की घोषणा की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए 10 छात्र नेताओं के नाम घोषित कर दिए हैं। इन्हीं में से किन्हीं चार छात्र नेताओं को डूसू चुनाव में एबीवीपी अंतिम प्रत्याशी घोषित करेगा।

इन छात्र नेताओं में तुषार डेढ़ा, योगित राठी, साहिल मलिक, अक्षित दहिया, सचिन, वरुण रेक्सवाल, प्रदीप तंवर, शिवांगी खरवाल, जयदीप मान और मानसी चौहान शामिल हैं। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि डूसू चुनाव में हम पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष छात्रों के बीच लेकर जाएंगे। शुक्रवार से ये प्रत्याशी कॉलेज परिसरों में जाएंगे और वहां विद्यार्थियों को पिछले एबीवीपी नीत डूसू की उपलब्धियां बताएंगे। इस साल के मुद्दे उनके सामने रखेंगे। साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता घोषणापत्र पर भी विद्यार्थियों की राय पता करेंगे। हम शीघ्र ही डूसू चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी करेंगे।

मौसम				
तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	35.2 डि.से.	35.2 डि.से.	35.0 डि.से.	35.0 डि.से.
न्यूनतम	24.5 डि.से.	24.5 डि.से.	24.5 डि.से.	24.7 डि.से.

नदी ने की घर वापसी तो सड़क पर आई गृहस्थी

अरुष चोपड़ा
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

दिल्ली-नोएडा लिंक रोड पर अक्षरधाम मंदिर के पास सड़क किनारे जल रहा चूल्हा और तवे पर सिकती रोटी की सोंधी सुगंध। सूरज की रोशनी से चमकता ड्रेसिंग टेबल का शीशा और उसकी खुली दराज में रखी कंघी व सजने-संवरने का सामान। तेज वाहनों के शोर के बीच खुली सड़क पर यह गृहस्थी है उन लोगों की जो यमुना किनारे रह कर मौसमी सब्जियों की खेती करते हैं। भादों की बरसात के बाद उफनाई यमुना के पानी का प्रवेश इनके घरों में हो चुका है इसलिए पानी उतरने तक इन्होंने सड़क किनारे अपना आशियाना बनाया है। सरकार ने टेंट लगवाए हैं जो इनके हिसाब से नाकाफी हैं। वहीं, सरकारी महकमे का कहना है कि टेंट पर्याप्त हैं, लोग ही नहीं आ रहे।

करीब सोलह साल की पूजा सड़क पर लाल मिर्च और लहसुन सुखा रही थी। पूजा ने बताया कि उसका घर एकदम यमुना के छोर पर है और अभी उसमें पानी घुस आया है। पूजा का परिवार उत्तर प्रदेश से सात साल पहले यहां आया था और ठेके पर जमीन लेकर सब्जियों की खेती कर रहा है। पूजा अपनी घर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती है कि देखने से तो दिख रहा है लेकिन सड़क से उतर कर वहां तक जाने में आधे घंटे लगते हैं। दो दिन पहले उसके घर में पानी घुस आया था तो उसका परिवार गृहस्थी के साथ सड़क किनारे आ गया। पूजा अपने तीन भाई-बहन और मां के साथ काम कर रही थी। उसने बताया कि उसका परिवार ग्यारह लोगों का है।

पूजा की खुली गृहस्थी से सटे ही तेजपाल पतलून पहन कर सड़क के किनारे खड़ा था। उसने बताया कि उसका बारह लोगों का परिवार है। उसकी पत्नी के बगल में उसके चार बच्चे भी खड़े थे। तेजपाल भी उत्तर प्रदेश के गांव से पंद्रह साल पहले आया था और यहां खेती करता है। क्या खेती से इतने बड़े परिवार का गुजर-बसर हो जाता है, इस सवाल के जवाब में उसने कहा कि हां, गुजारे लायक तो हम कमा लेते हैं। तेजपाल ने कहा कि हमारा बारह लोगों का परिवार है और हमें सरकार की ओर से लगाया गया टेंट

सभी फोटो : अरुष चोपड़ा

भी नहीं मिला और टेंट की जगह थोड़ी दूर है। अगर सारा सामान उठा कर उधर ले गए और टेंट नहीं मिला तो क्या करेंगे। यहां सामान चोरी होने का बहुत डर रहता है इसलिए बहुत इधर-उधर नहीं जा सकते। उसने कहा कि दिन तो कामकाज में किसी तरह कट जाता है लेकिन रात को खुली सड़क पर सोने में डर लगता है कि पता नहीं कब कोई बेपरवाह गाड़ी चालक हमें परिवार सहित कुचल दे।

सड़क किनारे अपनी गृहस्थी की निगरानी कर रहे राकेश का भी यही कहना था कि टेंट इतनी दूर है, अपना सारा सामान उठा कर कौन उधर ले जाएगा। चलती सड़क पर कौन, कब आपका सामान लेकर चलता बने कुछ कहा नहीं जा सकता है। टेंट के बारे में उसने कहा कि आप बस इतना समझिए कि सौ में से एक के लिए इंतजाम किया गया है। साइकिल पर अपनी बीवी के साथ जा रहे धर्मवीर ने बताया कि वे 2013 में दिल्ली आए थे और यहां काम शुरू किया था। उस वक्त भी यही हाल था और हमें यमुना का पानी उतरने तक खुली सड़क पर रहना पड़ा था। धर्मवीर ने कहा कि अभी उसके घर में पानी नहीं घुसा है लेकिन उसने एहतियातन घर खाली कर दिया है। कुछ लोगों ने जुगाड़ू रिक्शे का इंतजाम कर रखा है जिससे वे अंदर की तरफ और टेंट की तरफ जाकर खाना ला सकें। यमुना के पानी के उफान को देखते हुए उसने कहा कि यमुना की गोद में घर बसाया है और वही हमें खाना भी देती है। बरसात में तो नदी अपने घर में आ जाती है इसलिए हमें उनका कब्जा किया घर छोड़ना पड़ता है। जिंदगी यूं ही कटती है। नदी रोटी भी देती है और कभी-कभी रुला भी देती है।

संत रविदास मंदिर पर विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा, दिल्ली सरकार ने दिया प्रस्ताव

जमीन के आबंटन पर अध्यादेश लाए केंद्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

संत रविदास मंदिर तोड़ने के मामले में गुरुवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि जमीन के आबंटन के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आए और संबंधित जमीन का आबंटन मंदिर समिति को किया जाए। जमीन आबंटन के बाद दिल्ली सरकार इस जगह पर एक भव्य मंदिर बनाएगी। इस संकल्प को विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे की वजह से विधानसभा को तीन बार स्थगित करना पड़ा। सदन व्यवस्थित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष राम निवास के गोयल ने मंदिर तोड़फोड़ मामले में चर्चा की अनुमति दी। आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों ने इस मामले में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के षंडयत्र का आरोप लगाया है।

विधायक ने कपड़े फाड़ कर जताया विरोध

मंदिर तोड़ने के मामले में 'आप' विधायकों ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है और इस मंदिर को सीधे अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ने की कोशिश की। 'आप' विधायक अजय दत्त ने अपने कपड़े फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मामले में प्रस्ताव विधायक विशेष रवि लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि जब डीडीए का दस्ता तुगलकाबाद में पहुंचा था। उस समय वहां पर सत्संग चल रहा था। दो घंटे में पहले समाधि वाला कमरा और बाद में आसपास का क्षेत्र तोड़ा गया, इसका सभी लोगों ने विरोध किया था। कार्यवाही में मंदिर की मुख्य प्रतिमा समेत अन्य प्रतिमाएं भी तोड़ी गई थीं। इस मंदिर का एक दरवाजा भी सील किया था। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कोर्ट, डीडीए व शहरी विकास मंत्रालय का रुख दुर्भाग्यपूर्ण रहा। केंद्र सरकार ने इस मामले का समर्थन नहीं किया और इसका गलत तरीके से निपटारा किया। जिस वजह से ऐसे हालात बने।

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया मंदिर ने डीडीए की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। मंदिर समिति 1948 में पंजीकृत हुई है। इस जमीन के मामले में सभी प्रमाण उपलब्ध हैं और कोर्ट से तथ्य को छुपाया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़ना मामले में दलितों के प्रति भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। नेताओं ने इस मामले को अध्योध्या के राम मंदिर से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मामले में कहा जा रहा है कि आस्था ही प्रमाण है लेकिन दक्षिणी दिल्ली के इस मंदिर मामले में अलग नजरिया रखा जा रहा है। इस मामले में पहले भी केंद्र सरकार से पत्राव्यवहार भी किया गया था लेकिन इसका केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 'आप' पार्टी के अन्य विधायकों ने भी इस प्रस्ताव क समर्थन किया।

मंदिर की पांच एकड़ जमीन दे केंद्र तो हम 100 एकड़ दे देंगे : केजरीवाल

संत रविदास मंदिर मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंदिर की 5 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को मंदिर समिति को सौंप देनी चाहिए। यह जमीन लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है और यह जमीन केंद्र सरकार की ओर से मंदिर को दे दी जाती है तो इस जमीन के विकल्प के तौर पर 100 एकड़ जमीन दे देगी। इसके अतिरिक्त इस जमीन को दिल्ली सरकार एक बड़े वन क्षेत्र में भी विकसित कर देगी। अब तक इस जमीन के वन क्षेत्र में होने का हवाला देते हुए ही इस जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अंजाम दी गई थी।

हिंसक प्रदर्शन के बाद परेशान इलाके के लोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने के मामले को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन बुधवार देर रात अधिक हिंसक हो गया था। इस प्रदर्शन के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण समेत 96 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बुधवार देर रात हुई इस हिंसा से आसपास के इलाके में रहने वाले डरे और सहमे हुए हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन, गोविंदपुरी, तारा अपार्टमेंट, क्राउन प्लाजा और ओखला में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। गोविंदपुरी में रहने वाले राम बीर सिंह ने बताया कि उन्हें इसका बिल्कुल भी आभास नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अचानक से इलाके में पहुंच जाएंगे और विरोध करने पर तोड़फोड़ और वाहनों को क्षति पहुंचाने लगेंगे। वहीं, तारा अपार्टमेंट में रहने वाले संतोष का कहना था कि वह अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे, तभी इलाके में लगे जाम में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद वह घर पहुंचे, जिसके बाद इलाके में प्रदर्शनकारियों ने बवाल शुरू कर दिया।

वहीं, कमला नामक एक महिला ने बताया कि इलाके में मंदिर गिराए जाने के बाद शांति का महौल बना हुआ था।

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को अदालत ले जाते हुए पुलिसकर्मी।

दिल्ली के अलावा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी संत गुरु रविदास को मामने वाले श्रद्धालु आए थे। कमला की मांग है कि मंदिर की काफी मान्यता है। वह भी चाहती है कि मंदिर दोबारा से मंदिर बनाया जाए और उसी स्थान पर बनाया जाए, जहां पर पहले से मंदिर था।

पिता पर बेटी की सहेली से छेड़छाड़ का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 अगस्त।

सेक्टर-93 स्थित जेजे कॉलोनी में बाथरूम में नहा रही सहेली के साथ छेड़छाड़ करने पर लड़की ने अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज करावाया। पुलिस के मुताबिक, सेक्टर 93 जेजे कॉलोनी में एक लड़की अपने मां-बाप के साथ रहती है। कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल में रहने वाली उसकी सहेली उसके साथ रहने के लिए आई थी।

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गुमला।

आवश्यक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची क्रिमिनल अपील संख्या– D.B No. 324/2001 से संबंधित रायडीह थाना कांड सं0 19/1995, धारा 302/34 भा0द0वि0 के फरार अभियुक्त रविन्द्र साहु पिता स्व0 किशुन साहु, सा0 बिरकेरा, थाना रायडीह वर्तमान थाना सुरसांग, जिला गुमला की खोज-बीन माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के आदेशानुसार रायडीह थाना के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है। इस नोटिस के माध्यम से फरार अभियुक्त रविन्द्र साहु पिता स्व0 किशुन साहु, सा0 बिरकेरा, थाना रायडीह वर्तमान थाना सुरसांग, जिला गुमला को सूचित किया जाता है कि आप इस समाचार प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर रायडीह थाना में उपस्थित हों अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से क्रिमिनल अपील संख्या– D.B No. 324/2001 के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

जिसे अब तक ना समझे, वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं।
बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

पुलिस अधीक्षक
गुमला।

PR 215026 (Police) 19-20 (D)

एनएसयूआइ नेता ने सावरकर की प्रतिमा पर कालिख पोती

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने तथाकथित रूप से बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) अध्यक्ष शक्ति सिंह की ओर से विश्वविद्यालय में स्थापित विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा पर कालिख पोत दी। इतना ही नहीं लाकड़ा ने प्रतिमा को जूतों की माला भी पहनाई। मंगलवार को शक्ति सिंह की ओर से कला संकाय के बाहर सावरकर के साथ भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं।

लाकड़ा के मुताबिक, उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ आधी रात को परिसर में पहुंचकर सावरकर की प्रतिमा पर कालिख पोत दी। इस दौरान उन्होंने 'भगत सिंह अमर रहें और बोस अमर रहें के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि बोस और सिंह के साथ ही सावरकर की प्रतिमा कैसे लगाई जा सकती है, वह भी रातोंरात। यही वजह है कि हमें मामले को अपने हाथ में लेना पड़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस मामले में चुप्पी साधे था। विश्वविद्यालय एबीवीपी के इशारों पर काम कर रहा है। लाकड़ा ने कहा कि गुरुवार को मुझे कई नंबरों से फोन आ रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को शिकायत भी दी है।

इस बीच सूत्रों ने बताया कि डीयू की प्रॉक्टर नीता सहगल ने डूसू के पूर्व अध्यक्ष शक्ति सिंह को बुधवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और प्रशासन से अनुमति लिए बिना प्रतिमा स्थापित करने पर 24 घंटे में जवाब मांगा है। शक्ति सिंह का डूसू के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल 21 अगस्त को समाप्त हो गया है। अगले चुनाव 12 सितंबर को होने हैं।

एबीवीपी ने की निंदा

एबीवीपी की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक मोनिका चौधरी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वीर सावरकर की प्रतिमा का एनएसयूआइ ने निरादर किया है, वह जघन्य कृत्य है और क्षुद्र राजनीतिक हित की यह हरकत भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी को लेकर कांग्रेस की सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी विद्यार्थियों को एनएसयूआइ और इसके मूल संगठन की इस नकारात्मक विचारधारा से अवगत कराएगी। चौधारी ने कहा कि इस खेदजनक हरकत की पृष्ठभूमि में एबीवीपी प्रशासन से स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील करती है।

शक्ति सिंह ने भी दी पुलिस को शिकायत

डूसू के निर्वतमान अध्यक्ष शक्ति सिंह ने दिल्ली पुलिस को प्रतिमा पर कालिख पोतने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि एनएसयूआइ से जुड़े एक नेता ने वीर सावरकर की प्रतिमा पर कालिख पोती है जो विद्यार्थियों की भावनाओं को भड़काने वाली कार्रवाई है। इसलिए दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया गया है कि इस कृत्य को करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

जिला प्रशासन की तर्ज पर नोएडा प्राधिकरण ने 58 भूमाफिया चिह्नित किए

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 अगस्त।

जिला प्रशासन की तर्ज पर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वाले 58 भूमाफिया चिन्हित कर काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिए हैं। इन सभी के कब्जे वाली जमीन का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है, जिसके बाद बड़े स्तर पर कार्यवाही कर संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इस ब्यौरे को वर्कल स्तर पर तैयार किया जा रहा है।

नोएडा की कई लाख वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले इन भूमाफिया के साथ कौन-कौन अधिकारी शामिल रहे, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसकी भी पड़ताल की जा रही है कि जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी अवैध निर्माण ध्वस्त क्यों नहीं किया गया। इसके सबूत के तौर पर प्राधिकरण अब तक विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट भी खंगाल रहा है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद की कार्यवाही को भी ब्यौरे में लिखा जाएगा। अब तक चिन्हित कुल 58 भूमाफिया चिन्हित हुए हैं।

नोएडा के सभी 10 वर्क सर्कल प्रभारियों को यह सूची भेजी गई है जिनके नाम काली सूची में डाले जाएंगे। जमीन के अधिग्रहण की तारीख और उसके बाद कब्जा करने में मदद करने वाले तत्कालीन अधिकारियों की भी सूची बनेगी।

खबरों में शहर

'रोटी बैंक' के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचेगा भोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

राजधानी के शालीमार बाग स्थित मार्डन पब्लिक स्कूल में बुधवार को आयोजित रोटी बैंक कार्यशाला में 'मिलजुल मील योजना' की घोषणा की गई। भारत को भूख मुक्त बनाने के संकल्प के साथ राजकुमार भाटिया द्वारा शुरू किए गए 'रोटी बैंक' के माध्यम से राजधानी के 50 स्कूलों की मदद से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।

मॉर्डन पब्लिक स्कूल में रोटी बैंक कार्यशाला का संचालन जैसमीन भाटिया ने किया। इस मौके पर स्कूल की प्रचार्या अलका कपूर ने रोटी बैंक के महत्त्व पर प्रकाश डाला जबकि राजकुमार भाटिया ने सहयोगी स्कूलों को पशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए कहा कि समाज के लिए कार्य करना आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है।

जीएसटी रिटर्न 31 अक्तूबर तक बढ़ाया जाए : कैट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे गए एक पत्र में अखिल भारतीय व्यापारी महासंग (कैट) ने फॉर्म जीएसटी 9 में वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया है। यह रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2019 है। कैट के अध्यक्ष बी सी भरतिया और महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित फार्म जीएसटी 9 अभी भी बहुत जटिल है। फॉर्म में मांगी गई कई जानकारियां पूरी तरह से नई होने के कारण विभिन्न कंपनियों के जीएसटी सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं है। अब उनका संकलन करना एक बड़ा काम है इसलिए व्यापारियों के सभी प्रयासों के बावजूद यह फॉर्म भरना मुश्किल है।

बारिश से मौसम बना सुहाना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

राजधानी में गुरुवार को उमस के बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना होने से लोगों को राहत मिली। दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दिलाई है। इधर काफी दिनों से लोगों को गर्मी व उमस से जूझना पड़ रहा था। तापमान 35 डिग्री से उपर ही चल रहा है। जिमसें उच्च स्तर की नमी मिल जाने से लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। बुधवार को जहां पारा 36 डिग्री पर पहुंच गया था वहीं बारिश से यह गिर कर 26 पर आ गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा। 25 और 26 अगस्त को दिल्ली में ठीकठाक बारिश देखने को मिल सकती है।

शोरूम मालिक की पिटाई, तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

पंजाबी बाग में एक युवक की कार में पहले तो कार चालक ने टक्कर मारी, बाद में रुपए देकर वह चला गया। अपना शोरूम बंद कर पीड़ित युवक जाने की तैयारी कर ही रहा था कि देर रात आरोपी युवक ने अपने दोस्तों के साथ उसकी जमकर पिटाई कर दी। आरोपी युवक उसे तब तक पीटते रहे, जब तक पीड़ित बेहोश नहीं हो गया और जमीन पर गिर नहीं गया। जाते-जाते बदमाश शोरूम में रखे करीब 15 रुपए लेकर फरार हो गए। गुरुवार सुबह इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रभोजीत सिंह, प्रीत सिंह और गगन सहगल को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि आरोपियों को यह पता ही नहीं था कि पूरा घटनाक्रम शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

डॉ बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय : विश्वविद्यालय के धीरपुर और रोहिणी परिसरों की आधारशिला कार्यक्रम, धीरपुर, सुबह 11 बजे से।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : जलियावाला बाग हत्याकांड पर चर्चा, सभागार -1, मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण एवं शिक्षा प्रचार समिति : श्रीमद भागवद कथा, झील पार्क, वेलकम मैट्रो, शाहदरा, दोपहर तीन बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : दिल्ली के कलाकार आनंद नारायण की बनारस पर कला प्रदर्शनी, एनेक्स आर्ट गैलरी, मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे से, 27 अगस्त तक।

कलागिरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्था : मेगा आर्ट फेस्टिवल में डूडल कलाकार शांतनु हजारिका, कलाकार संजय कुमार आएंगे, सेक्टर- 16ए।

राज ठाकरे से ईडी की नौ घंटे पूछताछ

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में गुरुवार को परिवार के सदस्यों के साथ दक्षिण मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय पहुंचे और इसके बाद एजंसी ने उनसे पूछताछ की। मनसे नेता सुबह 11.25 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे और रात 8.15 बजे वहां से निकले।

उन्होंने इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कार में बैठकर दादर स्थित आवास चले गए। ईडी कार्यालय में प्रवेश करते समय और करीब नौ घंटे अंदर बिताने के बाद बाहर निकलने के दौरान उनके हावभाव में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं दिखा। अधिकारी ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने वित्तीय लेन-देन की जानकारी के लिए प्रश्नावली तैयार की थी। अधिकारियों ने मामले में बयान दर्ज करने के बाद राज को जाने दिया। ईडी के अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी कि क्या उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा।

मनसे नेता पत्नी शर्मिला, बेटे अमित और बहू मिताली के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे। राज के अकेले कार्यालय में प्रवेश करने के बाद उनके परिवार के सदस्य पास के होटल में रुके। ईडी ने राज ठाकरे को कोहिनूर सीटीएनएल को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएफएस) द्वारा दिए गए ऋण से संबंधित कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में तलब किया था। ठाकरे की पेशी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने गुरुवार को दक्षिण मुंबई में ईडी कार्यालय के बाहर और दादर के कुछ इलाकों में आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने पर प्रतिबंध) लगा दी थी। यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया था। मुंबई में शांति रही। पुलिस ने कहा कि राज ने कार्यकर्ताओं से ईडी कार्यालय के बाहर एकत्र नहीं होने की अपील की थी लेकिन हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे।

इस बीच, मनसे नेता संदीप देशपांडे को गुरुवार की सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एमएनएस कार्यकर्ता संतोष धुरी और रवि मोरे को क्रमशः मुंबई और ठाणे से हिरासत में लिया गया। अधिकारी ने कहा कि मनसे प्रमुख के वहां पहुंचने से पहले ईडी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होने की आशंका को देखते हुए एजंसी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मध्य मुंबई के दादर क्षेत्र और अन्य स्थानों पर कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था जिसे मनसे का गढ़ माना जाता है।

ईडी कोहिनूर सीटीएनएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ईएल एंड एफएस द्वारा किए गए 450 करोड़ रुपए से अधिक के इक्विटी निवेश और ऋण में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। कंपनी मुंबई के दादर क्षेत्र में कोहिनूर स्क्वायर टॉवर बना रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष जोशी को भी इस मामले में ईडी ने तलब किया है।

'जन्मस्थल दैवीय स्थल है और वहां पूजा नागरिक अधिकार'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में गुरुवार को 10वें दिन भी सुनवाई की। इस दौरान मूल याचियों में से एक के वकील ने विवादित स्थल में पूजा करने का उसका अधिकार लागू किए जाने का अनुरोध किया। मूल याचियों में शामिल गोपाल सिंह विशारद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने मालिकाना हक मामले की सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलीलें आरंभ कीं। न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी इस पीठ में शामिल हैं।

कुमार ने पीठ से कहा- मैं परासरण और वैद्यनाथन के अभ्यावेदनों के संदर्भ में अपना अभ्यावेदन दे रहा हूं कि यह जन्मस्थल अपने आप में एक दैवीय स्थल है और उपासक होने के नाते पूजा करना मेरा नागरिक अधिकार है जो छीना नहीं जाना चाहिए। दशकों पुराने विवाद के पक्षों में से एक पक्ष 'राम लला विराजमान' की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों के परासरण और सीएस वैद्यनाथन ने इससे पहले पीठ से कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का जन्मस्थल अपने आप में एक दैवीय स्थल है और कोई भी महज मस्जिद जैसा ढांचा खड़ा कर इस पवित्र स्थल पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता।

वैज्ञानिक सात सितंबर को कराएंगे चंद्रयान-2 की 'सॉफ्ट लैंडिंग' : सिवन

चेन्नई, 22 अगस्त (भाषा)।

इसरो अध्यक्ष के. सिवन ने गुरुवार को कहा कि चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहे 'चंद्रयान-2' के साथ गए लैंडर 'विक्रम' की चांद पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' सात सितंबर को तड़के कराई जाएगी। सिवन ने यहां हवाईअड्डे पर कहा कि बंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिक इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। सात सितंबर को तड़के एक बजकर 55 मिनट तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'इसके रात लगभग 1.40 बजे सॉफ्ट लैंडिंग (चांद की सतह पर) करने और रात 1.55 बजे तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर यह एक महत्त्वपूर्ण मिशन है। हर किसी ने बड़ी उत्सुकता से इस पर नजरें टिका रखी हैं।' चंद्रयान-2 गत 20 अगस्त को चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था। बुधवार को इसे दूसरी बार चांद की कक्षा में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था। यान को चांद की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्र ध्रुवों के ऊपर से गुजरती अंतिम कक्षा में पहुंचाने के लिए अभी इस तरह की तीन और प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। इसरो ने कहा कि इसके बाद दो सितंबर को लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद के इर्द-गिर्द 100 किलोमीटर 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद यह चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में 'सॉफ्ट लैंडिंग' करने के लिए धीमी गति और ठहराव जैसी कई सिलसिलेवार प्रक्रियाओं से गुजरेगा।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
कृष्णाष्टमी के अवसर पर
प्रस्तुत करते हैं
गीत गोविंद
समागार, सी.वी. मेस,
जनपथ, नई दिल्ली – 110001
आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
शाखा कार्यालय : डीएलएफ-IV, गुड़गाँव, हरियाणा

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए) [देखें-नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 19 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे अप. में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे की लागत, ब्याज आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये सिंडिकेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋणधारक/गारन्टर का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना में वर्णित बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
1.	ऋणधारकः मै. आर आर फ्लीट मैनेज मेन्ट प्रा. लि. द्वारा उसके निदेशकों: श्री प्रेम राज, पुत्र श्री रुमल सिंह एवं गारन्टरों: श्रीमती निशा, पत्नी श्री प्रेम राज	श्री प्रेम राज तथा श्रीमती निशा के स्वामित्व में डी-11/18, भूतल डीएलएफ एक्सक्लूसिव फ्लोर फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः खाली स्थान, पूर्वः डी-11/20/जीएफ, पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति।	रु. 16792239.28 (रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख बानवे हजार दो सौ उन्तालिस एवं पैसे अट्ठाईस मात्र)	22.04.2019
2.	ऋणधारक एवं गारन्टरों 1. श्री प्रेम राज, पुत्र श्री रुमल सिंह 2. श्रीमती निशा, पत्नी श्री प्रेम राज	श्री प्रेम राज तथा श्रीमती निशा के स्वामित्व में डी-11/18, भूतल डीएलएफ एक्सक्लूसिव फ्लोर फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः खाली स्थान, पूर्वः डी-11/20/जीएफ, पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति।	रु. 33,91,555 (रुपये तैंतीस लाख इक्यानवे हजार पांच सौ पचपन मात्र)	08.03.2019

तिथिः 23.08.2019
स्थानः गुड़गांव
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN:L74899DL1974GOI007417
पंजीकृत कार्या.: स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर 3, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003
वेबसाइट : www.nationalfertilizers.com, ईमेल आईडी : investor@nfl.co.in
दूरभाष : 011-24360066, 24361252, फेक्स: 011-24361553

अंशधारकों के लिए सूचना
अंशों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरण

समय-समय पर संशोधित, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ('आईईपीएफ नियम') के नियम 6 के अनुसार कंपनी के अंशधारकों को सूचित किया जाता है।
आईईपीएफ नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ी जाने वाली, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार, ऐसे सभी अंश, जिनके लाभांश का पिछले सात वर्षों से भुगतान या दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण ('आईईपीएफ डीमेट खाता') के डीमेट खाते में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता है।
तदनुसार, उन अंशधारकों के अंश जिन्होंने 2011-12 से लगातार सात वर्षों तक अपने लाभांश का दावा नहीं किया है या उन्हें नगदीकृत नहीं किया है, जिन अंशधारकों के अंश आईईपीएफ डीमेट खाते में स्थानांतरित होने हैं उन्हें उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत संचार भी भेज गए हैं। कंपनी ने ऐसे अंशधारकों का विवरण अपनी वेबसाइट **www.nationalfertilizers.com** पर भी अपलोड किया है।
यदि कंपनी और उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को 30 सितंबर, 2019 को या उससे पहले संबंधित अंशधारकों से कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो आईईपीएफ नियमों की आवश्यकताओं का पालन करने की दृष्टि से कंपनी अंशों को आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियत तारीख पर आईईपीएफ डीमेट खाते हस्तांतरित कर देगी, जिसके तहत:

i) **यदि अंश भौतिक रूप में रखे हैं:** अंश प्रमाण की नई प्रति जारी करना और कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को इन अंश प्रमाणपत्र को डीमेट रूप में परिवर्तित करने और आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण करने की सूचना देना।
ii) **यदि अंश डीमेट रूप में रखे हैं:** कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करना, जहां अंशधारकों के पास आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में अंशों के हस्तांतरण के लिए खाता है।

अंशधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, दावारहित लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित अंश, दोनों को आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस लेने का दावा किया जा सकता है।
उपरोक्त मामले पर किसी भी जानकारी के लिए, अंशधारक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020, से दूरभाष 011-26387281 / 82 / 83, ईमेल आईडी: **info@masserv.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
हस्ताक्षरित/-
(राज कुमार)
कंपनी सचिव
ए-11914

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31.07.2019

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

IRCTC

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED

Our Company was incorporated as "Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited" on September 27, 1999, as a public limited company under the Companies Act, 1956 and was granted a certificate of incorporation by the Deputy Registrar of Companies, N.C.T. of Delhi and Haryana. Our Company received its certificate for commencement of business from the Deputy Registrar of Companies, N.C.T. of Delhi and Haryana on December 2, 1999. For details of changes in the registered office of our Company, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 154 of the draft red herring prospectus dated August 21, 2019 (**"DRHP"**).

Registered Office: 11th Floor, B – 148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi – 110 001, Delhi, India. **Contact Person:** Suman Kalra, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 11 2331 1263 / 64; **E-mail:** ipo@irctc.com; **Website:** www.irctc.com; **Corporate Identity Number:** U74899DL1999GOI101707

OUR PROMOTER: THE PRESIDENT OF INDIA ACTING THROUGH THE MINISTRY OF RAILWAYS, GOVERNMENT OF INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") THROUGH AN OFFER FOR SALE BY THE PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE MINISTRY OF RAILWAYS, GOVERNMENT OF INDIA (THE "SELLING SHAREHOLDER"), FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•]* PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER").

SUBJECT TO RECEIPT OF NECESSARY APPROVALS FROM THE GOVERNMENT OF INDIA ("GOI"), UP TO [•] EQUITY SHARES MAY BE RESERVED FOR ELIGIBLE EMPLOYEES (DEFINED BELOW) (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS EMPLOYEE RESERVATION PORTION (IF ANY) IS REFERRED TO AS THE NET OFFER. THE OFFER WILL COMPRISE OF A NET OFFER OF 20,000,000 EQUITY SHARES AND THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION OF [•] EQUITY SHARES. THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION, IF ANY, SHALL NOT EXCEED 5.00% OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [•]% AND 12.50% RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND, THE RETAIL DISCOUNT, EMPLOYEE DISCOUNT, AS APPLICABLE AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDER IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS") AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] AND ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF DELHI WHEREIN THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

Retail Discount of up to ₹ [•] per Equity Share to the Offer Price may be offered to the Retail Individual Bidders and Employee Discount of up to ₹ [•] per Equity Share to the Offer Price may be offered to the Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion.

In case of any revision in the Price Band or in the case of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for at least three additional Working Days following such event, subject to the total Bid / Offer Period not exceeding ten Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid / Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members, and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**"), the Sponsor Bank, and other Designated Intermediaries, as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**"), read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("**SEBI ICDR Regulations**"). The Offer is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") ("**QIB Portion**"), provided that our Company and the Selling Shareholder may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("**Anchor Investor Portion**"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation price, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion. Further, 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only. The remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Subject to receipt of necessary approvals from GoI, up to [•] Equity Shares may be offered for allocation and Allotment on a proportionate basis to the Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, shall only participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective bank account (including UPI ID for RIBs using UPI Mechanism) (UPI ID, RIBs and UPI Mechanism are defined hereinafter) wherein the Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA Process. For details, see "*Offer Procedure*" on page 306 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed a DRHP with SEBI on August 21, 2019. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI, at www.sebi.gov.in and the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the websites of the BRLMs, i.e., IDBI Capital Markets & Securities Limited, SBI Capital Markets Limited and YES Securities (India) Limited at www.idbicapital.com, www.sbicaps.com and www.yesinvest.in, respectively. Our Company invites members of the public to give their comments on the DRHP to SEBI, the Company Secretary and Compliance Officer of the Company and/or the BRLMs with respect to disclosures made in the DRHP at their respective addresses as mentioned below. All comments must be received by SEBI, the BRLMs and/or Company Secretary and Compliance Officer of the Company on or before 5 p.m. IST on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in this Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" on page 25 of the DRHP.

Any decision whether to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after a red herring prospectus for the same has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered, through the red herring prospectus ("**RHP**"), are proposed to be listed on BSE and NSE.

For details of the share capital and capital structure of the Company, see "*Capital Structure*" on page 67 of the DRHP. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 154 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
IDBI Capital Markets & Securities Limited 6th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade Mumbai 400 005 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 2217 1700 **Email:** ipo.irctc@idbicapital.com **Investor grievance E-mail:** redressal@idbicapital.com **Website:** www.idbicapital.com **Contact Person:** Sumit Singh/ Apurva Bholay **SEBI Registration No.:** INM000010866	**SBI Capital Markets Limited** 202, Maker Tower "E" Cuffe Parade Mumbai 400 005 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 2217 8300 **E-mail:** ipo.irctc@sbicaps.com **Investor grievance E-mail:** investor.relations@sbicaps.com **Website:** www.sbicaps.com **Contact Person:** Aditya Deshpande **SEBI Registration No.:** INM000003531	**YES Securities (India) Limited** IFC, Tower 1 & 2, Unit No. 602 A, 6th Floor Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai 400 013 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 3012 6776 **E-mail:** irctc.ipo@ysil.in **Investor Grievance E-mail:** igc@ysil.in **Website:** www.yesinvest.in **Contact Person:** Nikhil Bhiwapurkar / Pratik Pednekar **SEBI Registration No.:** INM000012227	**Alankit Assignments Limited** 205 – 208, Anarkali Complex Jhandewalan Extension New Delhi 110 055, Delhi, India **Tel:** 011 42541954/933/ 022 4348 1293 **E-mail:** kamalarora@alankit.com/ abhijitd@alankit.com **Investor grievance E-mail:** irctcigr@alankit.com **Website:** www.alankit.com **Contact Person:** Kamal Arora/ Abhijit Deb/ Virender Sharma **SEBI Registration No.:** INR000002532

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED**
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place : New Delhi
Date : August 22, 2019

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP shall be available on the websites of the SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on the websites of the BRLMs i.e., www.idbicapital.com, www.sbicaps.com and www.yesinvest.in. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see "*Risk Factors*" on page 25 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with the SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to (a) be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "**Rule 144A**") and (b) "qualified purchasers" within the meaning of the U.S. Investment Company Act of 1940, in transactions exempt from, or not subject to, registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

CONCEPT

यूको बैंक UCO BANK
एच-46, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, टेलीफोनः 23322044, 23322189, फैक्सः 011-23731705, ईमेलः cannau@ucobank.co.in

संदर्भः यूको/सीपी/2019-20/544 **ऋणधारक के लिये सूचना** ऋण खाता- 00090510000274
सेवा में: तिथिः 20.8.2019
मै. अमन इन्फ्रा ट्रेडेक्स प्रा.लि. द्वारा उसके निदेशकों
रंकेश मिश्रा, देवी प्रसाद, बी-26, किरण गार्डन, मटियावाला रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
साथ हीं: फ्लैट नं. बी-502, 5वां तल, हिमहित सीजीएचएस लि., सेक्टर-22, प्लॉट नं. 8, द्वारका, नई दिल्ली-110075
साथ हीं: फ्लैट नं. बी-503, 5वां तल, हिमहित सीजीएचएस लि., सेक्टर-22, प्लॉट नं. 8, द्वारका, नई दिल्ली-110075
साथ हीः प्लॉट नं. 373, सेक्टर-37, पेस सिटी-II, गुड़गांव-122004
पवित्रा चटर्जीः फ्लैट नं. 101, टावर-ए, आरपीएफ सीजीएचएस, गुड़गांव-122001
रंकेश मिश्रा, ए/जे अपार्टमेन्ट, शालीमार बाग एक्स्टें.-1, साहिबाबाद-201005
विषयः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 (यहां के बाद 'अधिनियम' वर्णित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना
प्रिय महोदय/ महोदया
आपके अनुरोध पर बैंक के पक्ष में विभिन्न परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूति हित के निर्माण पर वित्तीय सहायता के द्वारा समय-समय पर उसकी कनॉट प्लेस शाखा के माध्यम से बैंक द्वारा आपको विभिन्न साख सुविधाएं स्वीकृत की गई है। उक्त साख सुविधाओं तथा आपके द्वारा निष्पादित प्रतिभूति अनुबंधों/दस्तावेजों का संबंधित विवरण, चल सम्पत्तियों की गिरवी को छोड़कर, क्रमशः अनुसूची 'क' तथा अनुसूची 'ख' में वर्णित है।
साथ ही अपने टाइटल डीड्स जमा कर/बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण कर पंजीकृत मार्टगैज किया है। ऐसे मार्टगैज से संबंधित दस्तावेज अनुसूची 'ख' में वर्णित हैं।
प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संबंधित विवरण विशेष रूप से अनुसूची 'ग' में वर्णित है।
समय-समय पर शेष राशि की पुष्टि तथा रिवाईवल पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों को निष्पादित कर आपने उपरोक्त साख सुविधाओं के संदर्भ में अपनी देयता के अस्तित्व को स्वीकार किया है।
उपरोक्त वित्तीय सहायता/साख सुविधाओं का प्रचालन तथा आचरण अनियमित हो गया है तथा मूलधन ऋण एवं उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक के कारण उससे संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2019 को आपकी ऋण को गैर प्रचालन परिसम्पत्ति (एनपीए) में वर्गीकृत कर दिया गया है।
बार-बार अनुरोध के बावजूद आपने उक्त देयताओं/बकाया देयताओं का भुगतान नहीं किया तथा उसकी अनदेखी की।
अतएव, बैंक एतदद्वारा इस सूचना को जारी कर अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश देता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहां नीचे वर्णित अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें। बैंक के प्रति आपकी बकाया देयता (कुल) अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना के अनुसार ऊपर वर्णित रूप में 31.03.2019 से आगे के ब्याज तथा आनुषांगिक खर्चे, लागतों आदि के साथ 31.03.2019 को रु. 2,91,00,596.93 (रुपये दो करोड़ इक्यानवे लाख पांच सौ छियानवे एवं पैसे तिड़ानवे मात्र है) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अंतर्गत बैंक यहां वर्णित किसी एक या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।
एतद्द्वारा आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उप-धारा 13 के अंतर्गत बैंक की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना आप इस सूचना की अनुसूची 'ग' में वर्णित उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकेंगे।
बैंक को आपकी ओर से जारी तथा स्थापित आउटस्टैंडिंग बिल्स डिस्काउन्टेड, बैंक गारंटीज तथा साख पत्र तथा अन्य आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली देयताओं का भुगतान करने के लिये भी आपको निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है।
यह सूचना विधि के लागू होने वाले किसी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वह जो भी आवश्यक समझे ऐसी कार्रवाई अथवा कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है।

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक
सीसीः पवित्रा चटर्जी, रंकेश मिश्रा, देवी प्रसाद आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा निष्पादित गारन्टी के अनुसार सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करें।

अनुसूची-क

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार	31.3.2019 को बकाया जिसमें रु. 2,91,00,596.93 तक ब्याज शामिल हैं
क)	कैश क्रेडिट	रु. 29000000/-
ख)	ओवर ड्राफ्ट	रु.
ग)	एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट	रु.
घ)	बिल्स डिस्काउन्टिंग	रु.
ङ)	डीडी परचेज फसिलिटी	रु.
च)	गारन्टी लिमिट (डिवोल्व्ड एमाउन्ट)	रु.
छ)	लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट (डिवोल्व्ड एमाउन्ट)	रु.
ज)	सावधि ऋणों	रु.
झ)	विदेशी मुद्रा सावधि ऋण देयता	रु.
	कुल बकाया-रु. 29100593.93 (रुपये दो करोड़ इक्यानवे लाख पाँच सौ छियानवे तथा पैसे तिड़ानवे मात्र)	**रु. 29100596.93**

अनुसूची-ख

क्रम सं.	दस्तावेज का नाम	सुविधा का प्रकार (हाइपोथेकेशन/अनुबंध/ डीपी नोट/मार्टगैजर आदि)	निष्पादन की तिथि	प्रतिभूत राशि (रु.)
1.	ए-1	डीपी नोट	26.10.2015	रु. 29000000
2.	ए-3	लैटर ऑफ कन्टिन्युईटी	26.10.2015	रु. 29000000
3.	ए-21	लैटर ऑफ गारन्टी	26.10.2015	रु. 29000000
4.	ए-9	वस्तुओं का हाइपोथेकेशन	26.10.2015	रु. 29000000
5.	ए-9 बी	बुक डेब्ट्स का गारन्टी	26.10.2015	रु. 29000000
6.	एएचएल-11	टाइटल डीड्स जमा करने के पत्र की पुष्टि	26.10.2015	रु. 29000000
7.	ए-47	डीपी नोट	26.10.2015	रु. 29000000

अनुसूची-ग

(कृपया बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्तियों के विवरणों का उल्लेख करें जैसा कि उल्लिखत है 43 दस्तावेजों का मार्टगैज दस्तावेजों/प्रलेखों से सम्बंध है)
1. फ्लैट नं. बी-502, 5वां तल, एचआईएमएचआईटी सीजीएचएस लि., सेक्टर-22, प्लॉट नं. 8, द्वारका नई दिल्ली-110075
2. फ्लैट नं. बी-503, 5वां तल, एचआईएमएचआईटी सीजीएचएस लि., सेक्टर-22, प्लॉट नं. 8, द्वारका नई दिल्ली-110075

जनसत्ता

गिरफ्तारी और सियासत

पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद सियासी सरगर्मी कुछ बढ़ गई है। गिरफ्तारी के तरीके और अदालत के निर्देश पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। आपातकाल के बाद शायद इस तरह किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई। पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्तमंत्री रहते हुए कम से कम चार मामलों में रिश्वत लेकर संबंधित कंपनियों को लाभ पहुंचाया। इसमें उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की कंपनी और कुछ अन्य फर्जी कंपनियों के जरिए रिश्वत के पैसे लिए गए और कुछ भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। उनमें आइएनएक्स मीडिया कंपनी प्रमुख है, जिसे इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी चलाते थे। इस मामले में सीबीआई ने काफी छानबीन की और चिदंबरम के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसकी एफआईआर में चिदंबरम का नाम नहीं था, पर अदालत ने उन्हें मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर पूछताछ करने का निर्देश दिया। अदालत ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि जिसके खिलाफ मामला दर्ज हो उसे ही आरोपी माना जाए, पीछे रह कर संचालन करने वाले को ज्यादा दोषी माना जाना चाहिए। इसी आधार पर चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया।

हालांकि सीबीआई के उन्हें गिरफ्तार करने के तरीके को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। जब सीबीआई के अधिकारी उनके घर पहुंचे, तो चिदंबरम ने उनके साथ सहयोग नहीं किया। कई घंटे तक वे सीबीआई के सामने नहीं आए। कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस वार्ता करके उन्होंने सफाई दी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वे कानूनी रास्ते तलाश रहे थे। फिर जब न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, तो सीबीआई की सक्रियता तेज हो गई। आखिरकार बुधवार की रात को कुछ अधिकारी दीवार फांद कर चिदंबरम के घर में दाखिल हुए और उन्हें गिरफ्तार किया।

इस घटना के बाद कांग्रेस कहते नहीं थक रही कि भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। वह अपने सभी विरोधियों पर शिकंजे कस रही है। इसके लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस जैसी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। इन मुद्दों को लेकर वह देशव्यापी अभियान छेड़ने के लिए भी कमर कस रही है। पर सवाल है कि राजनेता अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए कानूनी रास्ते निकालते रहते हैं, हर तरह से अदालतों और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, वह कहां तक उचित है! इस मामले में अदालत का कहना है कि पी. चिदंबरम और उनके बेटे ने कभी अपेक्षित सहयोग नहीं किया। वे लगातार अग्रिम जमानत लेकर कानूनी शिकंजे से बचते चले आ रहे थे। क्या एक सामान्य नागरिक को इस तरह कानूनी कार्रवाई से बचते रहने की छूट मिल सकती है! फिर चिदंबरम खुद देश के जिम्मेदार पदों का निर्वाह कर चुके हैं, उनसे कानूनी कार्रवाई में मदद की अपेक्षा की जाती थी। मगर वे जिस तरह गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपते फिर रहे थे, उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जहां तक सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात है, कांग्रेस खुद इस आरोप से मुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी खाल बचाने के लिए जब राजनेता और राजनीतिक दल सियासी चालें चलते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर ही होती है।

रैगिंग का रोग

उत्तर प्रदेश में सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय में हुई रैगिंग के मामले ने एक बार फिर यही साफ किया है कि कुछ लोगों के भीतर न केवल खुद को श्रेष्ठ मानने की ग्रंथि इस कदर हावी है कि वे ऐसा करते हुए कानूनों की भी परवाह नहीं करते। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के करीब डेढ़ सौ विद्यार्थियों का सिर मुंड़ा कर गंजा करा दिया गया है। उन सबको एक लाइन में सड़क पर चलना पड़ता है। बीच में अगर कोई वरिष्ठ मिल जाता है, तो उसे झुक कर सलाम करना पड़ता है। बीच में अगर किसी वजह से लाइन टूट जाए तो वरिष्ठ से गालियां सुननी पड़ती हैं। इस घटना के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले पर परदा डालने का प्रयास कर रहा है। उसने इसे सामान्य घटना करार दिया है। डर की वजह से रैगिंग के शिकार विद्यार्थी भी जुबान खोलने से हिचकते रहे। जाहिर है कि कथित वरिष्ठ होने के नाम पर जिन्होंने पीड़ित विद्यार्थियों की रैगिंग को अंजाम दिया, उनका खौफ शायद सबके सिर पर चढ़ कर बोलता है। रैगिंग का यह मामला शायद परिसर में ही दब कर रह जाता, अगर उसकी तस्वीरें बाहर नहीं आतीं।

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय दिशा-निर्देशों के तहत बिल्कुल साफ है कि किसी भी हाल में रैगिंग की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के साथ-साथ संस्थान तक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन यह एक गंभीर चिंता की बात है कि सर्वोच्च अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ छात्र अपने भीतर गहरे पैठी श्रेष्ठता की सामंती ग्रंथि को दबा नहीं पाते हैं और एक तरह से रैगिंग की आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हैं। इससे इतर सवाल है कि परिसर के भीतर इतनी बड़ी घटना पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के बजाय खुद ही लापरवाही क्यों बरती? हालत यह है कि किसी तरह बाहर आई तस्वीरों के बाद जब स्थानीय प्रशासन ने मामले में दखल दिया और एसडीएम की अगुआई में एक समिति ने जांच की तो उसमें सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ रैगिंग की पुष्टि की गई। यही नहीं, जांच में कुलपति और रजिस्ट्रार की ओर से बरती गई लापरवाही भी सामने आई।

यह किसी से छिपा नहीं है कि गैरकानूनी होने के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाली रैगिंग की घटनाओं में जूनियर विद्यार्थियों को कई बार बेहद अपमानजनक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। प्रताड़ित किए जाने और यातना बर्दाश्त न होने की वजह से पीड़ित विद्यार्थियों के आत्महत्या तक कर लेने की खबरें आती रही हैं। हालांकि ऐसी घटनाओं पर हुई सामाजिक प्रतिक्रिया की वजह से ही इस ओर सरकार को संज्ञान लेना पड़ा और रैगिंग पर रोक लगाई गई। लेकिन आज भी अगर किसी संस्थान में इस तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है तो यह कानून को लागू करने वाली एजेंसियों की भी नाकामी है। किसी संस्थान में भविष्य बनाने के सपने लेकर नवागंतुक विद्यार्थी आते हैं, तो वहां अपने साथ हुए शुरुआती व्यवहार का उनके मन-मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है और कई बार जीवन और समाज के प्रति उनका नजरिया भी निर्धारित हो जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नवागंतुक विद्यार्थियों के साथ ऐसा बर्ताव हो, जिससे समाज और दुनिया के प्रति उनके भीतर सकारात्मक भाव पैदा हो।

कल्पमेधा

नसीहत बर्फ की तरह है। जितना धीरे-धीरे गिरती है, उतनी ही ज्यादा स्थायी होती है और गहराई से मन में प्रवेश करती है।
-कॉलरिज

फिर लौट रहा है मलेरिया

निरंकार सिंह

मलेरिया फैलाने वाला एनाफिलीज टंकियों, गड्ढों में जमा पानी में प्रजनन करता है। इसलिए साफ-सफाई और मच्छरों का खात्मा करके ही इन रोगों से पूरी तरह बचा जा सकता है। लेकिन हमारे शहरों की नगर पालिकाओं को साफ-सफाई और कीटनाशकों के छिड़काव का जो जरूरी काम करना चाहिए, वह भी वे समय से नहीं करती हैं। सरकार चेतती ही तब है जब रोग महामारी बन जाता है।

हर साल दुनिया भर में मलेरिया के लगभग बाईस करोड़ मामले सामने आते हैं। कंपकंपी, ठंड लगना और तेज बुखार मलेरिया के लक्षण हैं। अगर मलेरिया का सही इलाज न हो तो समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। चिंता की बात यह है कि मलेरिया से लड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाएं बेअसर हो रही हैं। मलेरिया के परजीवी इन दवाओं को लेकर प्रतिरोधक हो गए हैं। यानी अब इन दवाओं का भी उन पर असर नहीं हो रहा। कंबोडिया से लेकर लाओस, थाईलैंड और वियतनाम में अधिकतर मरीजों पर मलेरिया में दी जाने वाली प्राथमिक दवाएं असर नहीं कर रही हैं। खासकर कंबोडिया में इन दवाओं के बेअसर होने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।

अगर दक्षिण एशियाई देश भारत की बात करें तो साल 2017 में आई 'वर्ल्ड मलेरिया' रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मलेरिया के मामलों में चौबीस फीसद तक कमी आई है। दुनिया कुल मलेरिया मरीजों के सत्तर फीसद मामले ग्यारह देशों में पाए जाते हैं जिनमें भारत भी शामिल है। पिछले साल भारत में मलेरिया के मामलों में चौबीस फीसद की कमी आई और इसके साथ ही भारत अब मलेरिया की मार वाले शीर्ष तीन देशों में शुमार नहीं है। हालांकि अब भी भारत की कुल आबादी के चौरानवे फीसद लोगों पर मलेरिया का खतरा बना हुआ है।

आजकल मच्छरों की ऐसी प्रजातियां पैदा हो गई हैं जिन पर जहरीले रसायनों का भी जल्दी असर नहीं होता है। इसलिए मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों के प्रकोप से भारत की बहुत बड़ी आबादी त्रस्त है। मलेरिया, डेंगू, मस्तिष्क ज्वर (इंसेफेलाइटिस), चिकनगुनिया और फाइलेरिया जैसी बीमारियां मच्छरों के काटने से ही होती हैं। हर साल लाखों लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं और हजारों डेंगू से दम तोड़ देते हैं। कुछ राज्यों में मस्तिष्क ज्वर से भी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया एडिस मच्छरों के काटने से फैलते हैं। यह मच्छर काले और सफेद रंग का होता है और कूलर, बर्तन या टंकी में जमा साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। मस्तिष्क ज्वर फैलाने वाला क्युलेक्स विश्नुई मच्छर धान के खेतों में पनपता है। धान के खेतों में बच्चों को जाने से रोक कर इस बीमारी का काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। मलेरिया फैलाने वाला एनाफिलीज भी टंकियों, गड्ढों में जमे पानी में प्रजनन करता है। इसलिए साफ-सफाई में ही इन रोगों से बचा जा सकता है। दरअसल, मच्छरों का खात्मा करके ही इन रोगों से पूरी तरह बचा जा सकता है। लेकिन हमारे शहरों की नगर पालिकाओं को साफ-सफाई और कीटनाशकों के छिड़काव का जो जरूरी काम करना चाहिए, वह भी वे समय से नहीं करती हैं। सरकार चेतती ही तब है जब रोग महामारी बन जाता है।

एक बड़ी समस्या यह भी है कि इन जानलेवा बीमारियों से निपटने के लिए पश्चिम के बड़े विकसित देश तैयार इसलिए नहीं हैं क्योंकि ये बीमारियां वहां नहीं होती हैं। इसलिए इन पर नियंत्रण अथवा किसी औषधि के अनुसंधान और विकास का कोई विशेष कार्य वहां नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका अब अपने सैनिकों की रक्षा के लिए मलेरिया पर अनुसंधान कर रहा है। उसके नौसेना अनुसंधान संस्थान ने नई डीएनए टीका प्रौद्योगिकी विकसित की है। 1998 में सफल परीक्षणों के बाद हाफ मैन ने कहा 'हमने मलेरिया की बीमारी को उदाहरण के रूप में रख कर नई प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया क्योंकि यह बीमारी हमारे जवानों के लिए सबसे खतरनाक संक्रामक रोग है। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जा रही एक दवा क्लोरोक्विन का विकास भारत और वाल्टर रीड सेवा शोध संस्थान के साझा प्रयासों से ही हुआ है। पर दशकों के प्रयास के बावजूद वैज्ञानिक ऐसा टीका ईजाद नहीं कर पाए हैं जो प्रभावी हो।

पहले कुछ इलाकों में मलेरिया से बचाव के लिए लोगों को कुनैन की गोलियां खिला कर रोकथाम की गई, पर इसमें भी पूरी सफलता नहीं मिली। इस दवा का असर थोड़े समय ही रहता था और एक बार बीमारी फैलने के बाद उसको महामारी का रूप धारण करने से रोकना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद कई और औषधियां तैयार की गईं। इनमें क्लोरोक्विन, प्रोगवानिल, प्राइमाक्विन और पाइरोमेथामिन प्रमुख हैं। 1938 में कीड़ों-मकोड़ों को मारने के लिए डीडीटी की खोज की गई थी। इसकी खोज से मलेरिया को रोकने का एक नया हथियार मिल गया। पर भारत और अफ्रीका जैसे उष्ण कटिबंधीय देशों में बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाना संभव नहीं हो सका, क्योंकि इसके लिए कुशल प्रशासन, आवश्यक धन और साधन नहीं जुटाया जा सका। लेकिन इसी दौरान यह भी पता चला कि मच्छरों पर डीडीटी बेअसर साबित हो रही है। इसका एक बड़ा कारण यह बताया गया कि एनाफिलिज मच्छर की अनेक प्रजातियां डीडीटी के अलावा दूसरे कीटनाशकों की प्रतिरोधी हो गई हैं। उधर, मलेरिया परजीवियों पर प्रोग्वानिल और पाइरोमेथागिन जैसी प्रचलित औषधियों का असर नहीं हो रहा था। इसके अलावा मलेरिया परजीवियों की कुछ नई जातियां भी पैदा हो गई थीं जिन पर क्लोरोक्विन का भी असर नहीं हुआ जबकि क्लोरोक्विन अब तक की खोजी गई सबसे प्रभावशाली औषधि मानी जाती थी।

इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया के मामले में कमी का लक्ष्य ओड़िशा को इस बीमारी से लड़ने में मिली कामयाबी के कारण मुमकिन हो सका है। इससे पहले भारत में कुल मलेरिया मरीजों का चालीस फीसद हिस्सा ओड़िशा राज्य से आता था। कंबोडिया में मलेरिया के लिए दो दवाओं का इस्तेमाल होता है- आर्टेमिसिनिन और पिपोराक्विन। ये दवाएं कंबोडिया में 2008 में लाई गई थीं। लेकिन 2013 में कंबोडिया के पश्चिमी हिस्से में पहला ऐसा मामला सामने आया जब मलेरिया के परजीवी पर इन दोनों दवाओं का असर खत्म होने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी एशिया के मरीजों के खून के नमूने लिए गए। जब इन परजीवियों के डीएनए की जांच की गई तो पाया गया कि ये परजीवी दवा प्रतिरोधी हो चुके हैं और यह प्रभाव कंबोडिया से होकर लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक फैल चुका है। इन देशों के कई इलाकों में अस्सी फीसद तक मलेरिया परजीवियों पर दवा बेअसर हो चुकी है। वियतनाम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के प्रोफेसर ट्रान तिन्ह हिएन के अनुसार, मलेरिया के परजीवियों में प्रतिरोध के प्रसार और गहराते इस संकट ने वैकल्पिक उपचारों को अपनाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। अब मलेरिया में आर्टेमिसियम के साथ दूसरी दवाओं के इस्तेमाल और तीन दवाओं के योग से इसका इलाज संभव है।

दुनिया को मलेरिया से मुक्त करने की दिशा में हो रहे तमाम प्रयासों को इससे झटका लगा है। सबसे बड़ा संकट है कि अगर यह अफ्रीका में पहुंच गया तो क्या होगा, जहां मलेरिया के मामले सबसे ज्यादा हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओलिवियो मियोट्टो के मुताबिक परजीवियों का यह प्रतिरोध प्रभावी तरीके से बढ़ रहा है और नए क्षेत्रों में जाने और नए जेनेटिक को अपनाने में सक्षम है। अगर यह अफ्रीका पहुंच गया तो इसके नतीजे भयानक होंगे क्योंकि मलेरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी समस्या है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजिन और ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर कॉलिन सदरलैंड मानते हैं कि परजीवियों का दवा प्रतिरोधी होना एक बड़ी समस्या तो है लेकिन इसे वैश्विक संकट नहीं कहा जा सकता। इसके परिणाम इतने भयानक नहीं होंगे जैसा हम सोच रहे हैं।

निजता की अदृश्य लकीर

एकता कानूनगो बक्षी

दुनिया मेरे आगे

मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज की अपनी एक व्यवस्था है, जिसके अपने कुछ नियम और सलीके हैं। ये नियम हमें एक-दूसरे से जोड़े रखने का भी काम करते हैं। इन नियमों के साथ एक अदृश्य लकीर ऐसी भी हम सबके बीच खिंची होती है, जो हमारी और दूसरों की आजादी और उनकी निजता की सुरक्षा और मान को सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करती है। इस लकीर का पालन किसी भी सभ्य समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का दायित्व होना अपेक्षित रहता है।

देखा गया है कि वही समाज फलता-फूलता है, जहां नए का स्वागत हो और जिसमें हर इंसान को अपना जीवन अपनी पसंद से जीने की आजादी हो। कई बार इसके विपरीत भी देखने को मिलता है, जब समाज कोई एक ऐसा रूढ़ ढांचा बना लेता है, जिसमें अपनी तरह से ही चीजों का मूल्यांकन किया जाने लगता है। व्यापक और नए को स्वीकार करने की दृष्टि के अभाव में वह कई व्यक्तियों की गतिविधियों को खारिज कर देने को ही उचित मानने लगता है। अगर हम उनके बनाए मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाते तो हमें असफल घोषित कर दिया जाता है। समाज की आकांक्षाओं का दबाव कभी-कभी उस सीमा रेखा को भी लांघ जाता है, जिसके चलते इंसान खुद को हताश, असहाय महसूस करने लगता है और गलत कदम उठा लेने पर भी विवश हो जाता है।

मनुष्य के अंदर अपार संभावनाएं है, जो हर बार पुराने मापदंड तोड़ती हैं और नया इतिहास रचती हैं। किसी निश्चित पैमाने और कुछ लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने से कहीं अधिक ऊंची उड़ान भरने में वह सक्षम हो सकता है। कुछ लोगों के सीमित ज्ञान और समझ से लागू किए निराधार मापदंडों से खुद का मूल्यांकन करना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपने संघर्ष हैं और अपने मुकाम भी। फिर कैसे लंबे समय से चले आ रहे कुछ रूढ़ पैमानों पर खुद को आंकने के लिए बाध्यता होनी चाहिए? जबकि अनंत संभावनाओं का विशाल आसमान हमारे सामने है।

स्कूल के दिनों में असेंबली या फिर खेल की कक्षा के वक्त विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध करने के पहले कहा जाता था कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक हाथ की दूरी बना कर खड़ा हो, ताकि सब स्वतंत्र और सहजता से अपना काम व्यस्थित रूप से कर सकें। यही सबक हमें फिर याद करने की जरूरत है। किसी के भी जीवन में हमें और किसी को भी अपने जीवन में इतना हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए कि हमारी खुशियों और निजता पर उसका विपरीत प्रभाव पड़े। हर रिश्ते और समाज में एक ऐसी सीमा रेखा का होना बहुत जरूरी समझा जाना चाहिए। ख्यात शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है- 'अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ-पूछ कर बीमार कर दिया'। एक दूसरे की चिंता, मदद, सलाह, देखभाल जहां हमें एक-दूसरे के करीब लाती है, वहीं उसकी अति पूरी तरह से विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है।

कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच भी इस सीमा रेखा की सामान्यतः अनदेखी की जाती है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं, आप अपनी भाषा बोलते हैं या विदेशी भाषा में संवाद करना पसंद करते हैं, आपका व्यवसाय, आपकी शादी, आपके बच्चे, विचार- इन सब संदर्भों में भी मनमाने ढंग से समाज के कुछ लोग अपने बनाए रूढ़िवादी मापदंडों और पूर्वाग्रहों को थोप कर जीवन में अनचाही मुश्किलें पैदा करने का प्रयास करते रहते हैं। अगर आप उनके पैमाने पर खरे नहीं हैं तो आप अधूरे हैं। जबकि अधूरापन उनकी सोच में होता है।

दरअसल, वे लोग वस्तुस्थिति और अन्य लोगों के मन और जीवन को समझने में सक्षम नहीं होते। ऐसे लोग पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए होते हैं और किसी भी बदलाव से असुरक्षित महसूस करते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि पुराने अनुभवों और नए समय की जरूरतों को देख कर निर्णय लिए जाएं, न कि लोकलाज के किसी भय से प्रभावित होकर। हमारे यहां पुरानी कहावत है- 'निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय'। पर अपना सही आलोचक चुनना और उसकी किन बातों पर ध्यान देना है, इसका भी सही चयन करना आवश्यक है। एक बार हमारे विचारों और जीवन पथ का विचलन हुआ तो समझिए कि फिर सही राह पर आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा।

अक्सर देखा जाता है कि बेहतर विकल्पों और खुलेपन की चाह के चलते कई लोग शहर, समाज, अपने देश तक से पलायन कर जाते हैं। हर व्यक्ति ऐसे समाज में रहना चाहता है, जहां वह खुश रह सके, अपने मन का कर सके, जहां उसका विकास हो सके। वह अपने जीवन में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, जहां उसकी निजता का सम्मान हो। आलोचनात्मक रवैए और थोपे गए विचारों और नियमों, मापदंडों से दूर वह अपनी पूर्णता में खुल कर जी सके। आजादी का एक मतलब खुल कर, अपराधमुक्त और सम्मान भाव से, बिना किसी की आजादी में खलल डाले, थोड़ी-सी दूरी बनाए रख कर, सबको साथ लेकर आगे भी बढ़ते जाना है।

आबादी पर लगाम

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लालकिले से अपने संबोधन में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार छोटा रखना भी एक तरह की देशभक्ति है। उनके मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण के बाबत जागरूकता को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन्म देने पहले हमें सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों की आकांक्षाओं के साथ न्याय कर पाएंगे? गौरतलब है कि विपक्ष के अनेक नेता भी प्रधानमंत्री की बात से सहमति जता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र 2019 के वैश्विक जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी 136 करोड़ तक पहुंच गई है और यह 1.2 फीसद की दर से बढ़ रही है। यह रफ्तार देश के विकास के लिए बाधा बन रही है और कई समस्याओं को जन्म दे रही है।

जनसंख्या के मुकाबले देश में संसाधनों की कमी है जिस वजह से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं। जनसंख्या वृद्धि पर लगाम के लिए अब तक सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए मगर मौजूदा स्थितियों को देखते हुए देश के कई अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ एक मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में अपनी राय जाहिर करते हुए परिवार नियोजन के तहत दो बच्चे की नीति अमल में लाने के लिए कहते हैं। देश के शिक्षित एवं जागरूक नागरिक भी दो बच्चों को ही प्राथमिकता देते हैं लेकिन एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो अशिक्षित है और परंपरागत रीति रिवाजों के चलते बच्चों को ईश्वर की देन मान कर दो से अधिक बच्चों को जन्म देता है।

समाज में एक बड़ा शिक्षित वर्ग ऐसा भी है जो पुत्र प्राप्ति की लालसा में परिवार नियोजन को महत्त्व नहीं देता। इन कारणों से भी देश की आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। गौरतलब है कि आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2027 तक चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ देगा। इसलिए देश के नागरिकों और सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए गंभीर कदम उठाना आवश्यक हो गया है।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, ग्राम कोंढाली, नागपुर*

मौत का मांझा

चीनी मेटेलिक मांझे से पतंगबाजी इन दिनों जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली में पिछले दिनों दोपहिया वाहन सवारों की इससे गर्दन ही कट गई और वे बुरी तरह लहूलुहान होने के कारण मौत के मुंह में चले गए। पशु-पक्षी आदि भी इस मांझे के भयंकर जाल से नहीं बचे हैं। पेड़-पौधे तक इससे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। बिजली की बड़ी लाइनें इस मांझे के छू जाने से खुद पतंगबाजों की मौत के मामले सामने आए हैं। और मेट्रो रेल तक इससे रुक जाती है। लिहाजा, इस पर तुरंत प्रतिबंध जरूरी है।

● *वेद मामूरपुर, नरेला, दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

सही समय

यह सही है कि कश्मीर में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ानी पड़ी है, लेकिन इसे लेकर चिंतित हो रहे लोग यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि वहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और पाबंदियां हटाने का सिलसिला बढ़ रहा है? यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बीते एक पखवाड़े में घाटी में जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। निस्संदेह तथाकथित आजादी के सपने से प्रभावित कश्मीर के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने में समय लगेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें दिवास्वप्न दिखाया जाए कि बीते हुए दिन फिर लौट सकते हैं। यह नहीं हो सकता, क्योंकि इस मामले में देश न केवल एकजुट, बल्कि दृढ़-संकल्पित भी है। इस संकल्प भाव के कारण ही कश्मीर में आतंक और अलगाववाद के समर्थकों के हौसले पस्त हैं और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे! यह सही समय है कि जब कश्मीर संबंधी फैसले पर राष्ट्र एक स्वर में बोले, क्योंकि इसी से दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत अपने रुख से टस से मस होने वाला नहीं।

● *हेमंत कुमार, भागलपुर*

हाशिये पर किसान

कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। देश की कुल आबादी का 58 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15 प्रतिशत से भी ज्यादा है लेकिन औपनिवेशिक काल से कृषि व किसान हाशिये पर रहे हैं।

प्राकृतिक आपदा की मार सबसे ज्यादा किसानों को ही झेलनी पड़ती है, जिससे न केवल उनकी उपज प्रभावित होती है बल्कि वे आत्महत्या भी करते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतर जनप्रतिनिधि भी अपने आप को कृषि से जुड़ा बताते ही नहीं बल्कि किसानों का सबसे बड़ा मसीहा होने का दावा भी करते हैं। इन नीति निर्माताओं द्वारा समय-समय पर किसानों के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन किसानों की हालत आज भी वही ढाक के तीन पात वाली है।

भारत में कृषि की जगह औद्योगीकरण को तरजीह दी गई है जिससे कृषि कार्य हाशिये पर आ गया है। अगर समय रहते सरकारें न चेतीं तो देश की बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकेगा और मुल्क में भुखमरी की स्थिति भयावह हो सकती है। जरूरत है तो किसानों की स्थिति को सुधारने की जिससे देश और सुदृढ़ हो सके।

● *दुर्गेश कुमार गुप्ता, भीमहर, मऊ, उत्तर प्रदेश*

पिघलते ग्लेशियर

पर्यावरणवादियों के लिए एक अगस्त, 2019 दुखद दिन साबित हुआ क्योंकि इस दिन आइसलैंड का सात सौ साल पुराना ग्लेशियर 'ओक जोकुल' जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल कर पूरी तरह समाप्त हो गया। 1901 में यह ग्लेशियर 38 वर्ग किलोमीटर में फैला था। इस माह यह पिघल कर लुप्त हो गया। कहते हैं, अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो अगले सौ साल में धरती के आधे से अधिक ग्लेशियर गल जाएंगे। केवल आइसलैंड में हर साल ग्यारह अरब टन बर्फ पिघल रही है। यही हाल अंटार्कटिका का भी हो रहा है। फिर तो समुद्र अपना किनारा इतना बढ़ा लेंगे कि गांव-शहर सब उसमें समा जाएंगे।

जल ही जीवन है, हम अब तक यही मानते आए हैं। शीघ्र ही हमें कहना पड़ेगा कि 'जल ही जीवन का अंत है'। अगर अब भी हम विकास के नाम पर विनाश करना बंद नहीं करेंगे तो फिर इस धरती से जीवन के अंत को कोई रोक नहीं सकता।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

नई फिल्म
- साहो
- ड्रीम गर्ल

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
मिशन मंगल	119-120 करोड़
बाटला हाउस	56-57 करोड़
जबरिया जोड़ी	16 करोड़
सुपर 30	143.55 करोड़

22 अगस्त तक की कमाई

जन्मदिन

मधुर भंडारकर	26 अगस्त
नेहा धूपिया	27 अगस्त
जिम सर्भ	27 अगस्त
नागार्जुन	29 अगस्त

...मेरी मेहनत की पहली जीत : आयुष्मान

आरती सक्सेना

आमने सामने

अपनी पहली ही फिल्म से अलग पहचान बनाने वाले आयुष्मान खुराना की गिनती बॉलीवुड के संजीदा कलाकारों में होती है। वे जब भी पर्दे पर आते हैं दिल जीत कर ले जाते हैं। उनकी फिल्मों की कहानी लोगों को अपनी कहानी लगती है। यही कारण है कि वे हर फिल्म से अपनी छाप छोड़ जाते हैं। हाल में आयुष्मान को 66वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म 'अंधाधुन' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। वहीं इन दिनों वे अपनी अगली फिल्म ड्रीम गर्ल को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म और पुरस्कार से जुड़े कई दिलचस्प सवालों के जवाब दिए आयुष्मान खुराना ने...

सवाल : राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर कैसा लग रहा है?

● बहुत खुशी हुई जब मुझे इस यह पता चला कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ पल तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इस मौके पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। जब मुझे यह खबर मिली उस समय मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। जब मैं शॉट देकर आया तो देखा कि मेरे मोबाइल पर 40 मिस्ड कॉल थे। पहले तो मैं थोड़ा डर गया कि ऐसा क्या हो गया कि 40 मिस्ड कॉल। उसके बाद जब मैंने मैसेज देखा तो मुझे पता चला कि मुझे अंधाधुन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। यह सम्मान मेरी मेहनत का पहला इनाम है। मैं बहुत खुश हूं।

सवाल : आपकी सभी फिल्में अलग तरह की होती हैं। ऐसे में किस फिल्म के लिए लगा था कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है ?

● मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे हमेशा ही अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला है। मेरी पहली फिल्म विक्की डोनर के दौरान मुझे लगा था कि मुझे इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है लेकिन मेरे बजाय वह पुरस्कार अन्नू कपूर को मिल गया। उसके बाद मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया।

सवाल : जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो क्या किसी अभिनेता की आपके जहन में खास इमेज थी कि मुझे वैसा बनना है और नाम कमाना है?

● हां जब मैं दिल्ली से मुंबई हीरो बनने आया था तब मेरे दिमाग में शाहरुख खान,आमिर खान और अमित जी की फिल्में दीमाग में थी। हालांकि मेरे सफर की शुरुआत रेडियो जॉकी से हुई। रेडियो से टीवी पर आया और टीवी से फिल्मों में। लेकिन इस दौरान मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरी शुरुआत विक्की डोनर जैसी फिल्म से होगी। इसमें मेरा ऐसा रोल होगा जैसा किसी ने कभी नहीं किया होगा। इस फिल्म ने मुझे इंडस्ट्री मे एक नया मुकाम दिया जो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार तक ले आया।

सवाल : फिल्म ड्रीम गर्ल में आप एक अलग किरदार में नजर आने वाले हैं। इस बारे में कुछ बताएं ?

● मुझे जब ड्रीम गर्ल की स्क्रिप्ट ऑफर हुई तो मुझे इसकी कहानी इतनी अच्छी लगी कि मैंने हां बोलने के लिए रात खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत हां बोल दी। क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही उम्दा है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी आवाज और अपनी अदायगी से लोगों को सपने बेचता है। जिंदगी से हारे और उदास लोगों के जीवन में पूजा बन कर खुशियां लाता है।

सवाल : ड्रीम गर्ल में पूजा का किरदार निभाना कितना, आसान कितना मुश्किल भरा रहा?

● पूजा बनने के बाद ही मुझे पता चला कि लड़की की जिंदगी जीना सब कुछ अच्छे से कैरी करना कितना मुश्किल होता है। ड्रीम गर्ल में मैंने पूजा के किरदार के दौरान न सिर्फ अपनी आवाज में बल्कि अपने हाव भाव और ड्रेसिंग सेंस में, चाल-ढाल में सभी में एक लड़की की अदाओं को शामिल किया है। इसके लिए फिल्म की हीरोइन नुसरत ने मेरा बहुत साथ दिया। ये किरदार निभाने में मुझे बहुत मजा आया। वैसे फिल्म के डायरेक्टर राज ने मुझे जैसा-जैसा कहा वैसा मैं करता गया और एक अच्छी फिल्म तैयार हो गई।

सवाल : क्या असल जिंदगी में आपने लड़की की आवाज में फोन किया है?

● अगर मैं सच्चाई कहूं तो हर मर्द की चाह एक खूबसूरत लड़की के साथ दोस्ती करना और मीठी-मीठी बातें करने की होती है। इसी के कारण लड़के फेसबुक और इंस्ट्राग्राम पर लड़की बनकर चैट करते हैं ताकि उनको अच्छा रिस्पांस मिले। मैंने भी लड़की बन कर लोगों को खूब उल्लू बनाया है लेकिन कॉलेज में नहीं स्कूल में। दरअसल स्कूल में जब मेरे दोस्तो को अपनी गर्लफ्रेंड्स के घर फोन करना होता था तो मैं लड़की की आवाज में उनके माता-पिता से बात करता था। और वो कभी नहीं पकड़ पाते थे कि वो किसी लड़की से नहीं लड़के से बात कर रहे हैं। लिहाजा मेरी ओर से लड़की की आवाज निकालना मेरे दोस्तों को फायदा दे देता था।

सवाल : आपने कई तरह के किरदार निभाए हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि यह किरदार आपकी इमेज को धक्का पहुंचा सकता है?

● नहीं मैं विभिन्न तरीके के किरदार करता हूं इसलिए अब तक इंडस्ट्री में टिका हुआ हूं। अगर मैं एक ही तरह के किरदार निभाता तो कब का इंडस्ट्री से आउट हो जाता। लिहाजा मुझे अपनी इमेज को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं नसीब वाला हूं कि मुझे अपनी हर फिल्म से अच्छा रिस्पांस मिला है।

सवाल : आपकी नजर में राष्ट्रीय पुरस्कार में और बाकी पुरस्कार में क्या फर्क हैं?

● जिस तरह बच्चों को अपनी नोटबुक पर टीचर द्वारा दिया गया हर स्टार अच्छा लगता है। उसी तरह एक्टर को भी हर पुरस्कार अच्छा लगता है। एक एक्टर बच्चे की तरह ही होता है जिसे पुरस्कार बहुत प्रभावित और उत्साहित करता है। राष्ट्रीय पुरस्कार जब देश की तरफ से राष्ट्रपति के हाथों से मिलता है तो कोई भी अभिनेता सम्मानित महसूस करता है। उसे बहुत गर्व होता है। मेरे लिए भी यह गर्व की बात है।

मानसून में मल्हार और नृत्य की प्रस्तुति

शशिप्रभा तिवारी

यूं तो इन दिनों देश के अनेकों हिस्सों में बारिश के कारण अफरातफरी का माहौल है लेकिन प्रकृति के संग हमारे जीवन और संस्कृति का बहुत गहरा संबंध रहा है और हमेशा रहेगा। भारत के सभी राज्यों में मौसम के अनुरूप संगीत, नृत्य और उत्सव मनाने की परंपरा रही है। बरसात के मौसम में भी अलग राग और नृत्य का चलन है। उसी की कड़ी है, बारिश के मौसम में मल्हार राग गाने और नृत्य करने की। सावन-भादो के महीने का साथ तो अब पीछे छूट गया सा लगता है। लेकिन, कहीं न कहीं लोगों के मन में मल्हार कायम है, तभी तो पिछले कई सालों से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मानसून नृत्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी इस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कई वरिष्ठ नृत्यांगनाओं ने शिरकत की।

समारोह का आगाज जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना और गुरू प्रेरणा श्रीमाली के नृत्य से हुआ। जहां उन्होंने परंपरागत कथक की नजाकत भरी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोहा। श्रीमाली की प्रस्तुति में उनकी वर्षों की साधना और मेहनत साफ दिखी। उन्होंने नायक कान्हा, नायिका राधा और गोपियों के कई अंदाज को नृत्य में पिरोया। रचना 'शशि मत्त कुंजन में समागत' में अभिसारिका नायिका के भिन्न -भिन्न भावों के माध्यम से बारिश के प्रभाव को अंकित किया। एक अन्य रचना में उन्होंने 'हो आली, आज बड़े तड़के' में माखन बेचने वाली गोपी और कृष्ण के भावों को एक अलग अंदाज में पेश किया। 'चंद्र चपला चली मन माधो' कवित्त में भावों का चित्रण मनोरम था।

नृत्योत्सव

वहीं एक अन्य रचना 'प्रेम के फंदों में प्रीत के पैठन में', 'कृष्ण मोहित नाचत राधिका', 'रैन समय रस खेल कियो' और 'नटवर नाचत विविध भांति' में कृष्ण और राधा के अलग-अलग रंग को दर्शाया। उन्होंने सधा हुआ पैर का काम, हस्तकों के प्रयोग, अर्ध पलटे और चक्करों का प्रयोग बेहद ही मोहक अंदाज में किया। नृत्य में उन्होंने मयूर, झूले, घूंघट, मटके, सादी गतों का प्रयोग सुंदर किया। स्वरचित कवित्त-'उमड़ घुमड़ गरजत दामिनी' और पंडित कुंदनलाल गंगानी की रचना 'दधि बेचन चली' पर भी अभिनय प्रस्तुत किया। बसंत से मानसून तक के मौसम का नृत्य के माध्यम से सफर बहुत ही मनोरम था।

भरतनाट्यम नृत्यांगना रमा वैद्यनाथन ने भरतनाट्यम नृत्य शैल में जना बाई के अभंग से नृत्य आरंभ किया। अभंग 'पांडुरंग विट्ठोवा भजिए' पर भक्त के भावों को माता, दासी, मृग और समर्पित रूप में दर्शाया। यह राग मालिका और मिश्र चापू ताल में निबद्ध था। उनकी दूसरी पेशकश अन्नमाचार्य की पदम थी। यह राग चक्रवाक और मिश्र चापू ताल में निबद्ध था। इसमें आत्मदर्प से मोहित नायिका के भावों को रमा ने चित्रित किया। यह रचना भगवान वेंकटेश्वर और उनकी पत्नी अलमेलुवंमाला की कथा पर आधारित थी। यह नृत्य प्रस्तुति मनोरम थी।

अगली संध्या को वरिष्ठ ओडिशी नृत्यांगना माधवी मुद्गल ने अपने नृत्य से रोशन किया। उन्होंने अभिनय दर्पण के अंश पर आधारित रंग प्रस्तुति से नृत्य का आरंभ किया। जयदेव की अष्टपदी 'माधवे मा कुरू' पर अभिनय पेश किया। सूरदास के पद 'वेणू गोपाल बैरन भई' और अमर शतकम् के मुक्तक पर भावों को दर्शाया। इसमें सूरदास की रचना को पंडित मधुप मुद्गल ने स्वर दिया था, वहीं मुक्तक को पंडित मुकुल शिवपुत्र ने गाया था।

अंदाज निराला

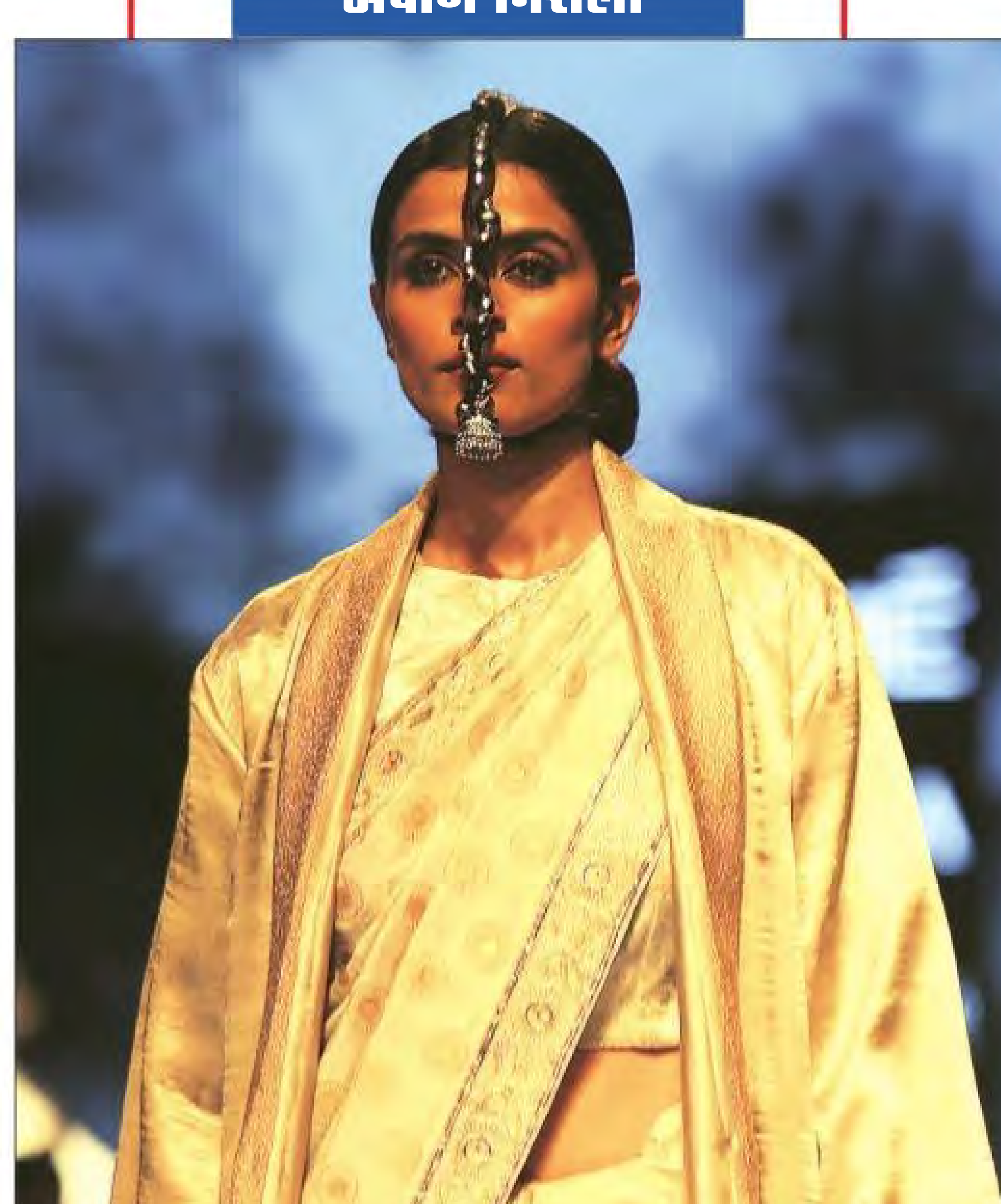

मुंबई में चल रहे 'लैक्मे फैशन वीक' के दौरान 'आवरण उदयपुर' के परिधान को पेश करती हुई एक मॉडल का बेहद अनोखा अंदाज।

खबर कोना

अभिनेत्री कोंकणा की वेब सीरिज में एंट्री

अभिनेत्री कोंकणा सेनशर्मा अब वेब सीरीज के निर्देशन की कमान संभाल रही हैं। इसकी शुरुआत मिस शेफाली के नाम से मशहूर बंगाली कैबरे डांसर आरती दास की जिंदगी पर आधारित एक वेब सीरीज से कर रही हैं। आरती अभिनेत्री हेलन को अपना गुरु मानती थीं। उन्होंने मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे के साथ काम भी किया है। कोंकणा ने बताया कि बंटवारे के बाद और उदारीकरण से पहले का दौर उन्हें बहुत खींचता है। चूंकि वह खुद कोलकाता से हैं इसलिए इस विषय और इस विशिष्ट कहानी से परिचित हैं। यह कहानी एक युवा बंगाली लड़की की है जिसने कोलकाता में 'क्वीन ऑफ कैबरे' के रूप में राज किया था। इसका सीरीज का निर्माण जी स्टूडियो कर रहा है। इस कहानी की पृष्ठभूमि में 60 से 70 के दशक की राजनीति की झलक भी देखने को मिलेगी। निर्देशक ने कहा कि इसके लिए कलाकारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। कोंकणा इससे पहले 2017 में फीचर फिल्म 'ए डेथ इन द गंज' का निर्देशन कर चुकी हैं।

'ए सूटेबल ब्वॉय' में तब्बू संग दिखेंगे ईशान खट्टर

फिल्म धड़क में जाह्नवी कपूर के साथ अपनी बढ़िया केमिस्ट्री दिखाने के बाद ईशान खट्टर को अब नया प्रोजेक्ट मिल गया है। वे विक्रम सेठ के उपन्यास 'ए सूटेबल ब्वॉय' पर आधारित मीरा नायर के शो में अभिनेत्री तब्बू के साथ नजर आएंगे। 'ए सूटेबल ब्वॉय' विभाजन के बाद चार परिवारों की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में तब्बू सईदा बाई की किरदार में दिखेंगी। तब्बू पहले भी मारी नायर के साथ 'द नेमसेक' में अभिनय कर चुकी हैं। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि 'ए सूटेबल ब्वॉय' में मुझे खासकर मीरा के साथ काम का मौका मिला। इस फिल्म में ईशान एक नेता के जिद्दी बेटे मान कपूर के किरदार में नजर आएंगे जिस पर सईदा जान छिड़कती है। ईशान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोरने वाली इजराइली फिल्म 'बियोंड द क्लाउड्स' से अपने अभिनय करिअर की शुरुआत की थी। बीबीसी के लिए लुकप्वाइंट द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम को ब्रिटिश पटकथा लेखक एंड्र्यू डेविस ने लिखा है। इसका प्रसारण 'बीबीसी' पर छह भागों में होगा।

जगन और अक्षय की जोड़ी 'इक्का' में होगी फिर साथ-साथ

साल की शुरूआत 'केसरी' से कर चुके अक्षय एक के बाद एक फिल्में अपने नाम कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 'इक्का' फिल्म के लिए उनका नाम फाइनल हो गया है। बॉलीवुड निर्देशक जगन शक्ति से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'इक्का' की पटकथा लेखन का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है लेकिन अभी इसके लिए न तो अक्षय कुमार का और न ही अन्य किसी कलाकार का नाम तय हुआ है। अभी अक्षय व्यस्त हैं। इसलिए कुछ तय नहीं हो पाया है।' हालांकि एक मुलाकात के दौरान उन्होंने फिल्म में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अक्षय कुमार अभिनीत 'मिशन मंगल' का निर्देशन जगन ने ही किया है। इसी वजह से यह कयास लगाया जा रहा है कि यह जोड़ी 2014 की तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कथथि' की रीमेक 'इक्का' में एक बार फिर साथ होगी। अक्षय फिल्म में मुख्य भूमिका में होंगे।

'बाहुबली' से बाहर निकलना मेरे लिए आसान नहीं था : प्रभास

बॉलीवुड को बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले प्रभास इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'साहो' के प्रमोशन में लगे हुए हैं। बाहुबली के किरदार से निकल कर एक नए किरदार में बंधना प्रभास के लिए आसान नहीं था। हाल ही में फिल्म 'साहो' के ट्रेलर रिलीज पर प्रभास ने कहा, 'बाहुबली से निकलना आसान नहीं था। यह कठिन था। मैने 'साहो' पर दो साल दिए और मुझे लगता है कि मेरे प्रशंसक इसके लिए मुझे मार देंगे। फिल्म निर्देशक सुजीत ने जिस तरह से इसकी पटकथा लिखी है, वह बेहद दिलचस्प है।' उन्होंने कहा, 'बाहुबली' के लिए चार साल से ज्यादा वक्त देने के बाद मैं 'साहो' के लिए दो साल नहीं देना चाहता था। लेकिन, इसमे बहुत सारा एक्शन है, इसके लिए समय चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को यह फिल्म पसंद बेहद आएगी।'

खय्याम

(18 फरवरी 1927- 19 अगस्त, 2019)

संगीत के कदरदान मिले और वे चमकते गए

गणेशनंदन तिवारी

जब भी खय्याम को संगीत के असली कदरदान मिले, उनकी चमक निखरती गई। 'फुटपाथ', 'फिर सुबह होगी', 'कभी-कभी', 'त्रिशूल', 'नूरी', 'रजिया सुल्तान', 'बाजार' जैसी फिल्मों में बनाया खय्याम का मधुर संगीत इसका उदाहरण है। मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी यानी खय्याम 19 अगस्त को अपनी संगीत-संपदा दुनिया को सौंप चले गए।

हमारी याद आएगी

खय्याम के संगीत की अपनी खूबी रही है। उसे भीड़ में नहीं, सुकून से ही सुना जा सकता। फिर उसका असर चढ़ता है और आप उसकी गिरफ्त में होते हैं। फिर आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि 'गपुची गपुची गम गम' क्या बला है, आप तो डूब जाते हैं मधुरता की गहराइयों में।

यह खय्याम के संगीत की खूबी ही थी, जिसके कारण शास्त्रीय संगीत सीखे राज कपूर प्रिय संगीतकार शंकर-जयकिशन को भूल जाते। वह 'फिर सुबह होगी' में शंकर-जयकिशन को लेना चाहते थे। साहिर लुधियानवी इसके खिलाफ थे। उनकी सिफारिश पर खय्याम धुनें सुनाने राज कपूर के कॉटेज गए। जब खय्याम ने 'वो सुबह कभी तो आएगी...' गाने की पांच धुनें सुनाई, तो राज कपूर गदगद हो गए। निर्माता रमेश सहगल से कहा कि अगर इस आदमी का संगीत हमने नहीं लिया तो साबित होगा कि हमें संगीत के बारे में कुछ आता-जाता नहीं।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को संगीतकारों ने ऊपर की पट्टी से गवा गवा कर लाउड स्पीकर बना रखा था। जब रफी को 'शोला और शबनम' (1961) में 'जाने क्या ढूंढ़ती रहती है ये आंखें मुझमें...' गाना पड़ा तो 21 रीटेक हुए। 'उमराव जान' में इसी परेशानी का सामना किया आशा भोसले ने। 'दिल चीज क्या है...' की रेकॉर्डिंग पर नीचे की पट्टी में गाने में उन्हें परेशानी हुई। मगर रफी और आशा के ये गाने आज भी बेमिसाल हैं।

'हकीकत' जैसी फिल्म बनाने वाले चेतन आनंद ने 'आखिरी खत' (1966) में खय्याम को मौका दिया और खय्याम 'बहारों मेरा जीवन भी संवारों...' जैसा लोकप्रिय गाना लेकर सामने आए। 'महल' से लता मंगेशकर (आएगा आने वाला...) और 'पाकीजा' से मीना कुमारी को स्थापित कर देने वाले निर्देशक कमाल अमरोही जब खय्याम से मिले तो 1974 में कमाल के मधुर गानों से सजी 'रजिया सुलतान' सामने आई। कव्वन मिर्जा का गाया 'आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे...' आज भी लोगों के दिल में सीधे उतरता है। अमिताभ बच्चन जैसे बेमिसाल अभिनेता 'रजिया सुलतान' के संगीत प्रभाव से बच नहीं सके। इसका गाना 'ऐ दिले नादां...' में 'ये जमीं चुप है, आसमां चुप है...' अंतरे के बाद जो लंबी खामोशी थी (यह आइडिया हालांकि कमाल अमरोही का था), उसने अमिताभ बच्चन को इतना बेचैन कर दिया था कि उस गाने का टेप मांगने जया बच्चन दो बजे रात को खय्याम के घर पहुंच गई थी। यह थी खय्याम के संगीत की ताकत।

अपने कदरदानों को खय्याम ने कभी निराश नहीं किया और उन्हें उम्मीदों से भी बढ़कर नतीजे दिए। इन कदरदानों ने ही खय्याम को चमकाया। 'बरसात की रात' खय्याम ने इसीलिए ठुकराई थी क्योंकि फिल्म के निर्माता आर चंद्रा (हीरो भारत भूषण के भाई) उन्हें पाकिस्तानी कव्वालियों के कैसेट देकर चोरी करने के लिए उकसा रहे थे। खय्याम ने कहा कि मैं इससे बेहतर कव्वाली बना सकता हूं। मगर जब चंद्रा अड़ गए तो खय्याम ने कहा कि वह इस तरह से काम नहीं करते और फिल्म छोड़ दी। यह काम वही संगीतकार कर सकता है, जो अपनी कला, अपने हुनर को इबादत समझता है।

संगीत की समझ रखने वाले यश चोपड़ा ने खय्याम को 1976 में 'कभी कभी' में मौका दिया, तो उनके वितरक, करीबी और शुभचिंतकों ने समझाया कि उनके गाने हिट होते हैं, फिल्में पिट जाती हैं। मगर चोपड़ा को खय्याम पर विश्वास था। नतीजा था 'मेरे घर आई एक नन्ही परी...', 'मैं पल दो पल का शायर हूं...', 'कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है...', जैसे सुरीले गीत। यह खय्याम के संगीत की ताकत ही थी कि उसके बाद चोपड़ा ने उन्हें 'त्रिशूल' और 'नूरी' जैसी फिल्में सौंपी।

‘एक अच्छा अधिकारी चमत्कार कर सकता है... सुशासन लोकतंत्र की रीढ़ है’

पेज 1 का बाकी

और दिमाग के तालमेल से साकार होता है। मंत्री नीतियां बनाते हैं और सुझाव देते हैं लेकिन वे डीएम ही होते हैं जो उन्हें लागू करते हैं। वहां कार्य, तथ्य और चातुर्य होता है। किस तरह चातुर्यपूर्वक नीतियां लागू हों यह डीएम का काम होता है।’

प्रसाद ने कहा कि ‘सुशासन और नतीजे देने के केंद्र बिंदु’ बन गए हैं डीएम। उन्होंने कहा, ‘परंपरानुसार, भारत के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे में, चार पद बेहद महत्त्वपूर्ण है- प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम और इंस्पेक्टर। वे सत्ता ढांचे के प्रतीक होते हैं। लेकिन अब डीएम अपने नए अवतार में हैं, वे सुशासन और नतीजे देने के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। पांच साल में प्रधानमंत्री की अगुआई में नतीजे देना, नियमों और अफसरशाही में अहम हिस्सा रहा है। जरूरी यह है कि काम करने की सही स्थितियां पैदा की जाएं।’

जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘एक्सप्रेस ने वही काम किया है जो हम करते। हमारे पास भी पुरस्कार देने का इंतजाम है लेकिन आपने जिन अपने तरीकों से मूल्यांकन किया है उन्हें ज्यादा निष्पक्षता एवं ज्यादा विश्वसनीयता से देखा जाएगा।’

इस मौके पर द एक्सप्रेस समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विवेक गोयनका ने कहा कि ‘यह आयोजन तीन साल पहले के एक विचार का प्रतिफल है।’ उन्होंने कहा, ‘सवाल था : हमारे आसपास हो रहे व्यापक बदलाव के प्रति न्याय करने में एक्सप्रेस की जिम्मेदारी क्या है? बेशक, एक रास्ता है कि ज्यादा से ज्यादा खोजी खबरों और व्याख्यात्मक पत्रकारिता कर न्यूजरूम का पैमाना ऊंचा रखा जाए। लेकिन न्यूजरूम के इतर हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हम उन लोगों को सुनकर बदलावों को अभिलेखित करने का रास्ता निकाल सकते हैं, जो इनकी पटकथा लिख रहे हैं? वैसे युवा भारतीय जो अपने काम में यथार्थवादी आदर्शवाद ले आए और कुटिलता एवं निराशा को जगह देने से इनकार किया। और उत्तर था द्विवार्षिक इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स।’

गोयनका ने कहा, ‘क्योंकि शासन के प्रथम महत्त्वपूर्ण सैनिक होते हैं डीएम। क्योंकि वे स्त्री और पुरुष, जो बढ़ते बाजार में लाभप्रद मौका हासिल करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वाधीनता, शासन और विकास के फायदों को सबसे वंचित साथी नागरिकों तक पहुंचाने का विकल्प चुना। क्योंकि जिला हमारे प्रशासन का आधार इकाई होता है। यह वह जगह है जहां आइएएस यह सीखता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक-एक अक्षर का मतलब क्या है।’

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अगुआई वाले एक प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल ने विजेताओं को चुना है। निर्णायक मंडल के अन्य सदस्य हैं- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, अमेरिका एवं चीन में भारत की पूर्व राजदूत एवं 2009 से 2011 तक भारत की विदेश सचिव रह चुकीं निरूपमा राव और पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर।

केपीएमजी इन अवार्ड्स का नॉलेज पार्टनर है। उसने नवोन्मेष, प्रभाव, कार्यान्वयन और जन भागीदारी के मापदंडों पर सभी प्रविष्टियों को परखा। चुनी गई प्रविष्टियों का द इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाताओं एवं संपादकों ने जमीनी दौरे कर उनका परीक्षण एवं सत्यापन किया। उसके बाद निर्णायक मंडल ने विजेताओं को चुना।

देश में जिला स्तर पर शासन की चुनौतियों के सबसे मौलिक समाधान के लिए ये द्विवार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं, शासन में उत्कृष्टता के मानकों- विचार, अमल एवं नवोन्मेष के व्यापक क्षेत्र को समेटते हैं। ये श्रेणियां हैं : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, केंद्रीय योजनाओं को लागू करना, तकनीक, महिला विकास, बाल विकास, समेकित नवोन्मेष, कौशल विकास, उद्यम और ऊर्जा।

निर्णायक मंडल के अध्यक्ष जस्टिस लोढ़ा ने कहा, ‘डीएम के महान कार्यों की पहचान निर्णायक मंडल के लिए प्रसन्नता की बात रही। निर्णायक मंडल ने पांच कसौटियों पर परियोजनाओं को परखा और मूल्यांकन किया : विचार, नवोन्मेष, प्रभाव, कार्यान्वयन एवं सुधार। केपीएमजी की जानकारियों से हम लाभान्वित हुए। इन परियोजनाओं की कठिन जमीनी जांच की गई... आज हमें ऐसे डीएम की जरूरत है जो लीक से हटकर सोचते हैं और कठिन समस्याओं का पुख्ता हल लेकर आते हैं। यह सटीक समय है जब सरकार विकेंद्रीकृत है और कलेक्टरों के दफ्तर काम के केंद्र बिंदु बने हुए हैं।’

अनंत गोयनका ने हर विशेष अतिथि को सम्मानित किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, नेक्स्ट जेन इनफाइनाइट डेटासेंटर के एमडी और सीईओ एएस राज गोपाल ने कहा, ‘इस विचार के साथ जुड़ना बड़े सम्मान की बात है। लोक सेवा से हमारे आसपास की दुनिया बेहतर हुई है... असली इनाम पुरस्कार नहीं बल्कि स्वयं को परिपूर्ण और संवर्द्धित होने का अहसास है।’

नेक्स्टजेन इनफाइनाइट डेटासेंटर के द्वारा अवार्ड्स प्रायोजित किए गए। अन्य प्रायोजक थे : आइसीआइसीआइ बैंक, रुनवाल, आइसीएफएआइ, यशोदा, वोक्सवैगन और मध्य प्रदेश सरकार। सहयोगी भागीदार रहे : केसरी टूअर्स, डेटॉक्स इंडिया, नमामी गंगे, नाल्को, इंडियन ऑयल, एमआइडीसी, जॉय ई-बाइक, भारत पेट्रोलियम और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड।

शुरुआत में पुरस्कार विजेताओं और अतिथियों का स्वागत करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर राज कमल झा ने कहा, ‘हम सफलता की ये कहानियां लेकर आए हैं, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस में, अगर पत्रकारिता अंधेरी जगहों को रोशन करने के बारे में है तो यह उन चीजों पर भी झांकने को लेकर है जो खुद से चमकती हैं- और रास्ता दिखाती हैं। हमारे लिए, राष्ट्रीय संवाद को बनाए रखने का मतलब उन आवाजों की तलाश में बाहर निकलना है जो हमारी बात के शोर में शायद न सुनी जा सकें।’

अजित पवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

मुंबई, 22 अगस्त (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को राकांपा नेता अजित पवार के खिलाफ एमएससीबी घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को पवार सहित 70 से अधिक अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज करने को कहा। अदालत ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया विश्वसनीय साक्ष्य मिले हैं।

न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एस के शिंदे ने ईओडब्ल्यू को अगले पांच दिन के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का कहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री पवार के अलावा मामले के अन्य आरोपियों में राकांपा नेता जयंत पाटिल और राज्य के 34 जिलों के विभिन्न वरिष्ठ सहकारी बैंक अधिकारी भी शामिल हैं। आरोपियों की मिलीभगत से 2007 से 2011 के बीच एमएससीबी को कथित तौर पर करीब 1,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का आरोप है। नाबार्ड ने इसका निरीक्षण किया और अर्द्ध-न्यायिक जांच आयोग ने महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम (एमसीएस) के तहत एक आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में पवार तथा बैंक के कई निदेशकों सहित अन्य आरोपियों को नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें कहा गया था कि उनके फैसलों, कार्रवाइयों और निष्क्रियता से बैंक को नुकसान हुआ।

नाबार्ड की ऑडिट रिपोर्ट में चीनी फैक्टरियों और कताई मिलों को ऋण वितरित किए जाने, ऋण के पुनर्भुगतान में और ऐसे ऋणों की वसूली में आरोपियों द्वारा कई बैंक कानूनों और आरबीआइ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने की बात सामने आई।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने थरूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई

कोलकाता, 22 अगस्त (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ‘हिंदू पाकिस्तान’ वाले कथित बयान को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ जारी एक गिरफ्तारी वारंट पर गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने यहां की एक अदालत द्वारा थरूर के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ने थरूर के वकील को कांग्रेस सांसद के खिलाफ मामला दायर करने वाले सुमित चौधरी को नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर तय की।

थरूर ने पिछले वर्ष तिरुवनंतपुरम में कथित तौर पर कहा था कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आई तो यह पार्टी फिर से संविधान लिखेगी और एक ‘हिंदू पाकिस्तान’ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। कांग्रेस नेता के इस कथित बयान से विवाद पैदा हो गया था और भाजपा ने मांग की थी कि थरूर इस बयान के लिए माफी मांगें। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) दीपांजन सेन ने वकील सुमित चौधरी की याचिका पर थरूर के खिलाफ 13 अगस्त को जमानती वारंट जारी किया था। याची ने दावा किया था कि इस बयान से लोगों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा मिला है। इस मामले पर 24 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। याची ने दावा किया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री धार्मिक आधार पर लोगों के विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर काम कर रहे हैं।

एनडीटीवी की अंतरिम सीईओ सुपर्णा सिंह का इस्तीफा

नई दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा)।

मीडिया कंपनी एनडीटीवी की अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुपर्णा सिंह ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। एनडीटीवी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

एनडीटीवी ने शेयर बाजारों को बताया कि सुपर्णा ने कंपनी को बताया कि वह तत्काल प्रभाव से अंतरिम सीईओ के पद से इस्तीफा दे रही हैं। एनडीटीवी ने कहा कि चार दिसंबर, 2017 को निदेशक मंडल ने एक प्रस्ताव में सुपर्णा सिंह को सीइओ नियुक्त किया था। इस पर सूचना व प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत थी। कंपनी ने कहा कि नियुक्ति पर मंत्रालय की अनुमति के लिए 12 दिसंबर, 2017 को आवेदन किया गया था। हालांकि, अभी तक मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद सुपर्णा सिंह और कंपनी ने एक नियुक्ति समझौता किया। इसके तहत उनकी नियुक्ति इस मंजूरी पर निर्भर थी। इस दौरान सुपर्णा सिंह अंतरिम सीइओ के रूप में काम कर रही थीं।

एनडीटीवी ने कहा कि मामले को निदेशक मंडल और समिति के सदस्यों के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। जांच एजंसी सीबीआइ ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों के उल्लंघन के मामले में एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय रॉय व राधिका रॉय और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला 2007-09 के बीच किए गए विदेशी निवेश से जुड़ा है। हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों को खारिज किया है। सीबीआइ ने इसके साथ ही समाचार चैनल के तत्कालीन सीइओ विक्रमादित्य चंद्रा और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। इस महीने की शुरुआत में एनडीटीवी के संस्थापक रॉय दंपति को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने से रोका गया था।

जांच एजंसियों के दुरुपयोग पर विपक्ष को गोलबंद करने में जुटी कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा जांच एजंसियों के कथित दुरुपयोग के मामले में विपक्षी दलों को गोलबंद करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत विपक्षी दल देश भर में धरना-प्रदर्शन कर जांच एजंसियों की मनमानियों और उनके बेजा इस्तेमाल के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।

इस बीच कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए गुरुवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव डी राजा, सपा नेता रामगोपाल यादव, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी ने मांग की कि जम्मू-कश्मीर में नजरबंद नेताओं की नजरबंदी हटाई जाए और वहां दूरसंचार सेवाएं बहाल की जाएं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम भी विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके पिता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया मामले में बुधवार की रात सीबीआइ ने गिरफ्तार किया है।

फ्रांस में मोदी का गर्मजोशी से स्वागत

पेरिस, 22 अगस्त (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में गुरुवार को फ्रांस पहुंच गए। इस दौरान वह द्विपक्षीय कूटनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी का यहां हवाई अड्डे पहुंचने पर यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन येव्स ले ड्रायन ने स्वागत किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ‘नमस्कार पेरिस! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस के विदेश मंत्री जीन येव्स ले ड्रायन ने उनकी यात्रा के पहले चरण पर पेरिस पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मजबूत और व्यापक कूटनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप से मुलाकात करेंगे।’ मोदी दो दिवसीय इस यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष एडवर्ड फिलिप से भी मुलाकात करेंगे और यहां भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे।

वे फ्रांस में 1950 तथा 1960 के दशकों में एअर इंडिया के दो विमान हादसों में मारे गए पीड़ितों की याद में बनाए गए एक स्मारक स्थल का उद्घाटन करेंगे। मोदी ने जाने से पहले एक बयान में कहा कि फ्रांस भारत का मजबूत रणनीतिक साझेदार है और दोनों ही देश इसकी अहमियत महत्त्व से समझते हैं और इसे साझा करते हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच मित्रता, आपसी समृद्धि, शांति और प्रगति को बल मिलेगा। फ्रांस से मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे जहां उन्हें संयुक्त अरब सरकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ से नवाजेगी। वे अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नाहयान से बातचीत करेंगे और विदेशों में नकदी रहित लेनदेन का विस्तार करने के लिए रुपे कार्ड का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे।

गांधी जयंती से रेल सफर में प्लास्टिक के प्रयोग में आएगी कमी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

गांधी जयंती (2 अक्तूबर) से देश में रेल सफर के दौरान 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। इन आदेशों के बाद ‘एक बार प्रयोग’ किए जाने वाले प्लास्टिक के ग्लास, प्लेट आदि समेत अन्य चीजें रेल में इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। रेल मंत्रालय ने प्लास्टिक उपयोग कम करने के लिए यह पहल की है। आदेश से रेल सफर को प्लास्टिक मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।

रेल मंत्रालय के मुताबिक नई व्यवस्था की वजह से कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाई जा सकेगी। मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अभिभाषण में सरकारी विभागों व आम जनता से प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने की अपील की थी। इसके बाद रेल मंत्रालय ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इन आदेशों से प्लास्टिक कचरे की मात्रा को कम किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल निपटारे के लिए रेल मंत्रालय प्रावधान करेगा। इसके लिए देश भर बोतल क्रशर (बोतल काटने वाली) मशीन भी लगाई जाएंगी।

मंत्रालय ने रेलवे स्टेशन पर सामान विक्रेताओं को भी सलाह दी है कि वे प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करें। मंत्रालय के कर्मचारियों को प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल की सलाह दी है। कर्मचारियों को प्लास्टिक बर्तन की जगह ऐसे बर्तन प्रयोग करने के आदेश दिए हैं जिनका धुलाई के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है।

तुषार वेल्लापल्ली चेक बाउंस मामले में यूएई में गिरफ्तार, जमानत मिली

तिरुवनंतपुरम/दुबई, 22 अगस्त (भाषा)।

केरल में भाजपा नीत राजग की गठबंधन सहयोगी भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली को 19 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अजमान में गिरफ्तार कर लिया गया था।

मीडिया ने वेल्लापल्ली के संबंधी के. एस वाचस्पति के हवाले से कहा कि अजमान लोक अभियोजन ने वेल्लापल्ली को जमानत दे दी है, लेकिन वह दीवानी मामले के निस्तारण तक यात्रा नहीं कर सकते।

वाचस्पति ने कहा, ‘हमने जमानत हासिल करने की शर्तों को माना है। उन्हें यात्रा के लिए दीवानी मामले का निपटारा करना होगा। हमें विश्वास है कि वह ऐसा करने में सफल होंगे। यह पूरी तरह धोखाधड़ी का मामला है क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता के नाम इस तरह का चेक कभी भी जारी नहीं किया। यह चुराया गया चेक हो सकता है या फिर हो सकता है कि उनके किसी विश्वस्त ने धोखा किया हो जिसके पास वह यात्रा के समय खाली चेक रखते हों।’ वेल्लापल्ली को होटल से तब गिरफ्तार किया गया जब उन्हें मामले के संबंध में चर्चा करने के लिए वहां बुलाया गया था।

वेल्लापल्ली श्री नारायण धर्म परिपालन (एसएनडीपी) योगम के उपाध्यक्ष भी हैं। यह संगठन राज्य के पिछड़ा इझावा समुदाय का एक प्रमुख संगठन है। वेल्लापल्ली के खिलाफ चेक बाउंस होने की शिकायत त्रिशूर से ताल्लुक रखने वाले और अब अजमान में रह रहे उप-ठेकेदार एन अब्दुल्ला ने दर्ज कराई थी। वह वेल्लापल्ली के स्वामित्व वाली बोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलसी के लिए काम करता था। यह कंपनी अब निष्क्रिय है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।

दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : प्रियंका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

दिल्ली में संत रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर दलित संगठनों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार कहा कि इस वर्ग की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। इस मामले में भाजपा की तीखी आलोचना करते हुए प्रियंका ने कहा कि दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

प्रियंका ने ट्वीट कर कहा-भाजपा सरकार पहले करोड़ों दलित बहनों-भाइयों की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक रविदास मंदिर स्थल से खिलवाड़ करती है और जब इसके विरोध में देश की राजधानी में हजारों दलित भाई-बहन अपनी आवाज उठाते हैं तो भाजपा उन पर लाठी बरसाती है।

राजीव ने बहुमत की ताकत का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं किया : सोनिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कहा कि राजीव गांधी को 1984 में विशाल बहुमत मिला था लेकिन उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल लोगों को डर का माहौल बनाने या डराने-धमकाने के लिए नहीं किया। सोनिया की इस टिप्पणी को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से जोड़ कर देखा जा रहा है।

सोनिया ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर राजधानी के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में यह भी कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष जारी रखना होगा। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 1984 में राजीव गांधी विशाल बहुमत से जीतकर आए थे लेकिन उन्होंने उस जीत का इस्तेमाल भय का माहौल बनाने और डराने या धमकाने के लिए नहीं किया, संस्थाओं की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए नहीं किया, असहमति और मुख्तलिफ नजरियों को कुचलने के लिए नहीं किया, लोकतांत्रिक परंपरा और जीवनशैली के लिए खतरा पैदा करने के लिए नहीं किया।

सोनिया ने कहा कि 1989 में कांग्रेस दोबारा पूरे बहुमत से अकेले जीत कर नहीं आ सकी, तो राजीव जी ने गरिमा और विनम्रता के साथ जनादेश स्वीकार किया। आज की पीढ़ी को मैं बताना चाहती हूं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के बावजूद, सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया! क्योंकि इसके लिए उनके आंतरिक नैतिक बल, उनकी उदारता और ईमानदारी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये आज कोई नहीं कर सकता है जैसा राजीव जी ने किया, राहुल (अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर) ने किया।

सोनिया ने कहा कि चुनावी उतार-चढ़ाव अपरिहार्य है। हमारी पार्टी के सामने चुनौतियां बड़ी है लेकिन हमें विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ अपना वैचारिक संघर्ष जारी रखना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए सोनिया ने कहा कि यह राजीव का प्रयास था कि देश के 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार मिला।

दरअसल

तेल कंपनियों ने छह हवाईअड्डों पर एअर इंडिया को ईंधन आपूर्ति रोकी

नई दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा)।

पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने गुरुवार दोपहर को बकाए का भुगतान न करने को लेकर छह हवाईअड्डों पर एअर इंडिया को ईंधन की आपूर्ति रोक दी। एअरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने बताया कि एयरलाइन के विमानों का संचालन सामान्य है और अभी उस पर कोई असर नहीं पड़ा है।

राष्ट्रीय विमानन कंपनी के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सरकारी ओएमसी ने दोपहर करीब चार बजे कोचीन, विशाखापत्तनम, मोहाली, रांची, पुणे और पटना हवाईअड्डों पर ईंधन आपूर्ति रोक दी है। एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि इक्विटी सहयोग के बिना एअर इंडिया अपना बड़ा कर्ज अदा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बहरहाल, इस वित्त वर्ष में हमारा वित्तीय प्रदर्शन काफी अच्छा है और हम अच्छे मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं। एअरलाइन अपनी देनदारियों के मुद्दों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

चार दिन की रिमांड पर भेजे गए चिदंबरम

पेज 1 का बाकी

ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआइ की रिमांड में भेज दिया। अदालत ने सीबीआइ हिरासत के दौरान पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के परिवार के सदस्यों और वकीलों को उनसे हर दिन आधे घंटे तक मुलाकात की इजाजत भी दी।

रिमांड पर भेजे जाने के बाद चिदंबरम (73) ने यहां सीबीआइ मुख्यालय में भूतल पर स्थित एजंसी के अतिथि गृह के सुइट नंबर पांच में रात गुजारी। सीबीआइ मुख्यालय को एक तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस ने इस ओर आने-जाने वाले यातायात को लेकर पाबंदी लागू कर रखी है। सीबीआइ मुख्यालय में पुलिस की बड़ी टुकड़ी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है जहां चिदंबरम को हिरासत में रखा गया है।

सीबीआइ ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के विरुद्ध जांच का दायरा बढ़ाते हुए आइएनएक्स मीडिया के अलावा उनके कार्यकाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अन्य कंपनियों को दी गई मंजूरियों को भी शामिल किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

इससे पहले गुरुवार को दोपहर बाद पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर के सामने पेश किया गया। बचाव पक्ष के वकीलों ने हिरासत के सौंपे जाने के सीबीआइ के अनुरोध का इस आधार पर विरोध किया कि चिदंबरम के बेटे कार्ति सहित अन्य सभी आरोपियों को मामले में जमानत दी गई थी। चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था।

चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमन की हुई थी, जो अभी जमानत पर हैं। सिब्बल ने कहा कि उसके अलावा मामले के अन्य आरोपी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी को भी जमानत मिल चुकी है। हालांकि वे अन्य मामले में जेल में हैं।

मामले में सीबीआइ का प्रतिनिधित्व कर रहे महान्यायवादी तुषार मेहता ने दलील दी कि इस घोटाले में चिदंबरम दूसरे लोगों के साथ आपराधिक साजिश रचने में शामिल थे। चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मेहता ने अदालत से कहा, ‘वे (चिदंबरम) जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।’ उनका अपराध गंभीर है, जिसमें धन शोधन का मामला भी है। इसका खुलासा जरूरी है कि किस चीज के एवज में फायदा पहुंचाया गया। इसके लिए चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। उनका दस्तावेजों से आमना-सामना कराने की जरूरत है। लिहाजा रिमांड पर सौंपा जाना चाहिए।’

सीबीआइ की दलीलों का विरोध करते हुए सिब्बल ने तर्क दिया कि एजंसी ने जो कुछ कहा है उसे अकाट्य सत्य के तौर पर नहीं लिया जा सकता। चिदंबरम से 12 सवाल पूछे गए जिनमें से छह का जवाब वह पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘जांचकर्ता नहीं जानते कि क्या पूछना है और उनके पास सवाल भी तैयार नहीं है। बुधवार रात गिरफ्तार किए जाने के बाद से पूछताछ (काफी समय बाद) गुरुवार सुबह 11 बजे की गई यानी 12 घंटे बाद।’

जेएनयू प्रवेश परीक्षा मई और डीयू प्रवेश परीक्षा जून में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने गुरुवार को दिसंबर 2019 से जून 2020 के बीच होने वाली सभी प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके मुताबिक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रवेश परीक्षाएं 11 से 14 मई 2020 के बीच और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रवेश परीक्षाएं दो से नौ जून, 2020 के बीच आयोजित की जाएंगी। एनटीए की ओर आयोजित सभी परीक्षाएं (नीट-यूजी 2020 को छोड़कर) कंप्यूटर आधारित होंगी।

एनटीए ने अन्य सभी परीक्षा एजंसियों से निवेदन किया है कि वे अपनी परीक्षाओं की तिथियां एनटीए की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जारी करें ताकि परीक्षाओं की तिथियां टकराए नहीं। एनटीए ने देश भर के स्कूलों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 40 हजार से अधिक परीक्षा अभ्यास केंद्र (टीपीसी) स्थापित किए हैं। जल्द ही केंद्रों की संख्या में इजाफा किया जाएगा।

- एनटीए ने दिसंबर 2019 से जून 2020 के बीच होने वाली सभी प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया
- सभी परीक्षाएं (नीट-यूजी 2020 को छोड़कर) कंप्यूटर आधारित होंगी, परीक्षा के अभ्यास के लिए 40 हजार केंद्र स्थापित

यहां जाकर उम्मीदवार मुफ्त में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का अभ्यास कर सकते हैं। ये केंद्र शनिवार और रविवार को खुले रहते हैं और अभ्यास एक सितंबर, 2019 से शुरू हो जाएगा। उम्मीदवारों की तैयारी करने के लिए इन केंद्रों पर अनुभवी, योग्य और पेशेवर नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे।

यूजीसी नेट-दिसंबर 2019 : नौ सितंबर से नौ अक्तूबर के बीच पंजीकरण होगा। नौ नवंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। दो से छह दिसंबर के बीच परीक्षाएं होंगी और 31 दिसंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

यूजीसी नेट-जून 2020 : 16 मार्च से 16 अप्रैल के बीच पंजीकरण होगा। 15 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। 15 से 20 जून के बीच परीक्षाएं होंगी और 5 जुलाई को परिणाम घोषित किया जाएगा।

जेईई (मेंस)-जनवरी 2020 : दो से 30 सितंबर के बीच पंजीकरण होगा। छह दिसंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। छह से 11 जनवरी के बीच परीक्षाएं आयोजित होंगी और 31 जनवरी को परिणाम घोषित किया जाएगा।

जेईई (मेंस)-अप्रैल 2020 : सात फरवरी से सात मार्च के बीच पंजीकरण होगा। 16 मार्च से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। तीन से नौ अप्रैल के बीच परीक्षाएं होंगी और 30 अप्रैल को परिणाम घोषित किया जाएगा।

जेएनयू प्रवेश परीक्षाएं : दो से 31 मार्च के बीच पंजीकरण होगा। 21 अप्रैल से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। 11 से 14 मई के बीच परीक्षाएं होंगी और 31 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा।

डीयू प्रवेश परीक्षाएं : दो से 31 मार्च के बीच पंजीकरण होगा। 30 अप्रैल से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। दो से नौ जून के बीच परीक्षाएं आयोजित होंगी और 25 जून को परिणाम घोषित किया जाएगा।

नीट (यूजी)-2020 : दो से 31 दिसंबर के बीच पंजीकरण होगा। 27 मार्च से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। तीन मई को परीक्षा आयोजित होगी और चार जून को परिणाम घोषित किया जाएगा।

इंडियन ओवरसीज बैंक
पीतमपुरा, दिल्ली-110088, फोन: 27345508, 27346114, ई-मेल: iob2260@iob.in

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक (यहां के बाद "बैंक" के रूप में वर्णित) जिसका प्रधान कार्यालय 763, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002 में है तथा अन्य स्थानों के साथ-साथ शाखा कार्यालय केयू-8, पीतमपुरा, दिल्ली-110088 में है, द्वारा नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार" तथा "उपचार-रहित आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	ऋण खाता	ग्राहक का नाम	स्वर्णाभूषणों का विवरण शुद्ध वजन (ग्राम में)	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति एवं पता
1	226003462000002	श्रीमती श्रिया रावल, पत्नी केतन भगत	स्वर्णाभूषण अर्थात- 1. 2 पीस चूड़ियां= 22 कैरट हॉलमार्क 2. 2 पीस कान की बाली= 22 कैरट 3. 1 पीस पेन्डेन्ट= 20 कैरट	9 सितम्बर, 2019, श्री संदीप कपूर, सम्पर्क नं. 011-27345508, 989177850, इंडियन ओवरसीज बैंक, मौर्य एन्क्लेव शाखा, केयू-8, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं को निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./-
तिथि: 23.3.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक

कश्मीर : प्रतिबंध में ढील मगर बाजार बंद और मोबाइल सेवाएं निलंबित

श्रीनगर, 22 अगस्त (भाषा)।

कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। जगह-जगह से अवरोधक हटाए जा रहे हैं और सड़कों पर यातायात धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हालांकि, बाजार गुरुवार को 18वें दिन भी बंद हैं और इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित हैं।

अधिकारियों ने बताया कि स्थिति शांतिपूर्ण है और बुधवार को घाटी के किसी भी हिस्से से किसी तरह की अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं मिली। उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार को देखते हुए श्रीनगर और घाटी के अन्य जिला मुख्यालय शहरों में लोगों और यातायात का आवागमन धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद रहा, लेकिन कुछ अंतर जिला कैब और तिपहिया वाहन कुछ क्षेत्रों में सड़कों पर चलते दिखे। अधिकारियों ने बताया कि माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों में शिक्षकों और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ रही है। हालांकि, अधिकतर छात्र-छात्राएं मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अभी स्कूलों से दूर हैं।

सरकार ने समूची घाटी में सोमवार से प्राथमिक विद्यालयों और बुधवार से माध्यमिक विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया था। अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर के अनेक हिस्सों और श्रीनगर के अधिकतर हिस्सों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है।

उन्होंने बताया कि शहर के आवासीय क्षेत्रों और सिविल लाइंस क्षेत्र तथा अन्य जिलों के अधिकतर क्षेत्रों से अवरोधक हटा लिए गए हैं। हालांकि कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती बरकरार है।

अधिकारियों ने बताया कि घाटी में अधिकतर जगहों पर बाजार बंद हैं। हालांकि किसी अलगाववादी समूह या किसी अन्य संगठन ने किसी हड़ताल का आह्वान नहीं किया है। उन्होंने बताया कि मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अभी निलंबित हैं। हालांकि लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं अधिकतर स्थानों पर बहाल हो गई हैं जबकि श्रीनगर के लाल चौक और प्रेस एंक्लेव सहित कई क्षेत्रों में लैंडलाइन टेलीफोन सेवा लगातार निलंबित है।

आज मनेगी बांकेबिहारी मंदिर में जन्माष्टमी

मथुरा, 22 अगस्त (भाषा)।

वृंदावन के विश्वविख्यात ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार 23 अगस्त को मनाया जाएगा जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

इस दिन मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म होने के बाद रात एक बज कर 55 मिनट पर मंगला आरती होती है। मंगला आरती साल में केवल एक बार, जन्माष्टमी पर ही होती है। मंदिर के सेवायत पुजारी अशोक गोस्वामी ने बताया, 'वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में 23 अगस्त की रात 12 बजे गर्भगृह में ठाकुर जी का महाभिषेक किया जाएगा। रात एक बज कर 55 मिनट पर मंगला आरती की जाएगी। इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने रूपरेखा तैयार कर ली है।'

गोस्वामी ने बताया, 'आरती के बाद रात दो बजे से सुबह साढ़े पांच बजे तक बांकेबिहारी के दर्शन किए जा सकेंगे। फिर सुबह सात बज कर 45 मिनट से दोपहर 12 बजे तक नंदोत्सव मनाया जाएगा।' नंदोत्सव के अवसर पर मंदिर के कपाट खुलने पर, कान्हा के जन्म की खुशी में खिलौने, बर्तन, वस्त्र, रुपए, मिठाई, फल, मेवा लुटाए जाएंगे। दधिकांधा में केसर, दही श्रद्धालुओं को दिया जाएगा।

तीन तलाक कानून को चुनौती देने संबंधी याचिका दायर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। कानून की वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका जमीयत उलमा-ए-हिंद ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस कानून से संविधान के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन होता है।

याचिका में मुसलिम महिला (विवाह में अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019 को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वकील एजाज मकबूल के माध्यम से दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि चूंकि मुसलिम शौहर द्वारा बीवी को इस तरह से तलाक देने को पहले ही अमान्य और गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है, इसलिए इस कानून की कोई जरूरत नहीं है।

इससे पहले केरल में सुन्नी मुसलिम विद्वानों और धार्मिक नेताओं के संगठन 'समस्त केरल जमीयुल उलेमा' ने इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।

अजय कुमार भल्ला बने नए गृह सचिव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में काम कर रहे अजय कुमार भल्ला को गुरुवार को देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक आदेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति ने नए गृह सचिव के रूप में भल्ला की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान कर दी। वह राजीव गौबा की जगह लेंगे, जिन्हें बुधवार को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था।

नलिनी की सामान्य छुट्टी तीन हफ्ते बढ़ाई गई

चेन्नई, 22 अगस्त (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही नलिनी श्रीहरन की मौजूदा सामान्य छुट्टी की अवधि बुधवार को तीन हफ्ते के लिए बढ़ा दी। नलिनी की छुट्टी 25 अगस्त को समाप्त हो रही थी।न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार के पीठ ने कहा कि इस दौरान अदालत की ओर से पहले जारी की गई शर्तें ही लागू होंगी। अदालत ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को नलिनी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

चौकीदार का पोता बनेगा जज

पिता का सपना बेटा बने जज, बेटे का सपना जल्दी न्याय मिले

इंदौर, 22 अगस्त (भाषा)।

गुदड़ी के लालों के लिए प्रेरणा की नजीर पेश करते हुए मध्य प्रदेश में 26 वर्षीय युवक ने सिविल जज वर्ग-दो की भर्ती परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। खास बात यह है कि इस युवक के पिता जिला अदालत में ड्राइवर के रूप में पदस्थ हैं, जबकि उसके दादा अदालत में चौकीदार रह चुके हैं।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर स्थित परीक्षा इकाई की बुधवार को घोषित अस्थायी चयन सूची के मुताबिक, सिविल जज वर्ग-दो की भर्ती परीक्षा में चेतन बजाड़ (26) ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 13वां रैंक हासिल किया है। उन्हें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में 450 अंकों में से कुल 257.5 अंक मिले हैं।

> मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर स्थित परीक्षा इकाई की बुधवार को घोषित अस्थायी चयन सूची के मुताबिक, सिविल जज वर्ग-दो की भर्ती परीक्षा में चेतन बजाड़ (26) ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 13वां रैंक हासिल किया है। उन्हें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में 450 अंकों में से कुल 257.5 अंक मिले हैं।

बजाड़ ने गुरुवार को कहा, 'मेरे पिता गोवर्धनलाल बजाड़ इंदौर की जिला अदालत में ड्राइवर हैं। मेरे दादा हरिराम बजाड़ इसी अदालत से चौकीदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।' 26 वर्षीय युवक ने कहा, 'मेरे पिता का हमेशा से सपना था कि उनके तीन बेटों में से एक बेटा जज बने। आखिरकार मैंने उनका सपना पूरा कर दिया है।' पिता को अपना आदर्श बताने वाले बजाड़ ने बताया कि उन्होंने कानून में स्नातक की उपाधि हासिल की है और सिविल जज वर्ग-दो की भर्ती परीक्षा में उनका चयन चौथे प्रयास में हुआ।

बहरहाल, सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले इस युवक की दुनिया इस चयन के बाद बदल गई है और कई लोग उनकी कामयाबी की कहानी को सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। बजाड़ ने कहा, 'न्यायाधीश की महती जिम्मेदारी भरी कुर्सी पर बैठने के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों को अदालत में जल्द से जल्द इंसाफ मिले।'

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

ALPHALOGIC

ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED

Our Company was originally incorporated as Alphalogic Inc (Proprietorship firm of Mr. Anshu Goel) at Pune, Maharashtra in the year 2016. With the introduction of two more persons in the business namely Mr. Dhananjay Subhash Goel and Mrs. Neha Anshu Goel on March 17, 2018, we have converted the Proprietorship firm into a Partnership firm. Subsequently we have converted the Partnership firm into a Company in the name and style of Alphalogic Techsys Limited on December 13, 2018 bearing Corporate Identification Number U72501PN2018PLC180757 vide Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Pune, Maharashtra. For further details of change in name and registered office of our Company, please refer to section titled "*History and Certain Corporate Matters*" beginning on page no 85 of the Prospectus.

Registered office: 405, Pride Icon, Near Columbia Asia Hospital, Kharadi Bypass Road, Pune, Maharashtra-411014, India. **Contact Person:** Shailesh Gadgil, Company Secretary & Compliance Officer; **Tel No.:** 0727-6701155. **E-Mail:** info@alphalogiclimited.com; **Website:** www.alphalogicinc.com; **CIN:** U72501PN2018PLC180757

OUR PROMOTERS: MR. ANSHU GOEL AND MR. DHANANJAY SUBHASH GOEL

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 7,36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹84/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹74/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹618.24 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 36,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹84/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹30.912 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE of 6,99,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹84/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹587.328 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.51% AND 25.19% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

All the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment providing details about the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**) as per the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015. As an alternate payment mechanism, Unified Payments Interface (UPI) has been introduced (vide SEBI Circular Ref: SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018) & SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 dated June 28, 2019 as a payment mechanism in a phased manner with ASBA for applications in public issues by retail individual investors. For further details, please refer to section titled "*Issue Procedure*" beginning on page 151 of the Prospectus. In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of 15 % per annum for the period of delay.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. *(For further details see "The Issue" beginning on page no. 30 of the Prospectus.)* A copy has been delivered for filing to the Registrar of Companies as required under sub-section 4 of Section 26 of the Companies Act, 2013.

For further details please refer the section titled *'Issue Procedure'* beginning on page 151 of the Prospectus

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 84/- PER EQUITY SHARE

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS 8.4 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 1,600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,600 EQUITY SHARES THEREAFTER. FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO "*SECTION XI - ISSUE INFORMATION*" BEGINNING ON PAGE 144 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE PROGRAMME
ISSUE OPEN ON: AUGUST 26, 2019
ISSUE CLOSE ON: AUGUST 28, 2019

ASBA*
Simple, Safe, Smart way of Application!!!
Mandatory in public issue. No cheque will be accepted

UPI now available in ASBA for retail individual investors.

*ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details check section on ASBA below."
*ASBA has to be availed by all the Investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors.

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and General Information Documents and also please refer to the section "*Issue Procedure*" beginning on page 151 of the Prospectus.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF THE COMPANY AS REGARDS TO ITS OBJECTS: For information on the main objects of the Company, please see "*Our History And Certain Other Corporate Matters*" on page 85 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see "*Material Contracts and Documents for Inspection*" on page 195 of the Prospectus.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the Prospectus is as follows: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 300.00 lakhs divided into 30,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 203.99 lakhs divided into 20,39,970 Equity Shares of ₹10/- each. Proposed Post issue capital : ₹ 277.597 Lakhs divided into 27,75,970 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, see the section "*Capital Structure*" on the page 41 of the Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Equity shares of face value of ₹ 10/- each were allotted to a) Anshu Goel - 60,000 Equity Shares; b) Dhananjay Subhash Goel - 30,000 Equity Shares; c) Neha Goel - 6,600 Equity Shares; d) Vedant Goel - 3,370 Equity Shares; e) Subhash Goel - 10 Equity Shares; f) Sushila Goel - 10 Equity Shares; g) Abhishek Goel - 10 Equity Shares.

LIABILITY OF MEMBERS: Liability of members of Company is Limited.

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first issue of the issuer, there has been no formal market for the securities of the issuer. The face value of the equity shares is ₹ 10/- each and the issue price is 8.4 times of face value of the equity share. The issue price should not be taken to be indicative of the market price of the equity shares after the equity shares are listed on the BSE Start-up segment under SME Platform of BSE Limited. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the equity shares of our company or regarding the price at which the equity shares will be traded after listing.

GENERAL RISKS: Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of '*Risk factors*' beginning on page no. 17 of the Prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE: Please refer "*Basis for Issue Price*" beginning on page 55 of the Prospectus.

COMPANY'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: The Company, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this Prospectus contains all information with regard to our Company and the issue, which is material in the context of the issue, that the information contained in this Prospectus is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which makes this Prospectus as a whole or any of such information or the expression of any such opinion or intentions misleading in any material respect.

LISTING: The Equity Shares of our company issued through this Prospectus are proposed to be listed on the BSE Start-up segment under SME Platform of BSE Limited. In terms of the Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, as amended from time to time, our company has received "in-principal" approval letter dated August 07, 2019 from BSE for using its name in this offer document for listing of our shares on the BSE Start-up segment under SME Platform of BSE Limited. For the purposes of the issue, the Designated Stock Exchange will be BSE Limited ("BSE").

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulation 2018, A copy of the Prospectus has been filed with SEBI after filing of the Offer document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and Sec 26(4) of Companies Act 2013. However, SEBI shall not issue any observation on the Offer document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire "*Disclaimer Clause of SEBI*" beginning on page 136 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE EXHANGE (BSE LIMITED): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page no. 139 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
FINSHORE Creating Enterprise Managing Values **FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED** Anandlok", Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road, Kolkata - 700020, West Bengal; **Telephone:** +91 – 33 – 22895101 **Email:** ramakrishna@finshoregroup.com **Website:** www.finshoregroup.com **Investor Grievance Email:** info@finshoregroup.com **Contact Person:** Mr. S. Ramakrishna Iyengar **SEBI Registration No:** INM000012185 **CIN No:** U74900WB2011PLC169377	CAMEO **CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED** "Subramanian Building", #1, Club House Road, Chennai - 600 002, India. **Telephone:** +91-44-40020700, 28460390 **Facsimile:** +91-44-28460129 **Email:** investor@cameoindia.com **Contact Person:** Mr. R.D. Ramasamy, Director **Website:** www.cameoindia.com **SEBI Registration Number:** INR000003753 **CIN No:** U67120TN1998PLC041613	**Mr. Shailesh Gadgil** **Alphalogic Techsys Limited** 405, Pride Icon, Near Columbia Asia Hospital, Kharadi Bypass Road, Pune, Maharashtra-411014, India **Tel No.:** 0727-6701155 **E-Mail:** info@alphalogiclimited.com **Website:** www.alphalogicinc.com Investors may contact our Company Secretary and Compliance Officer and / or the Registrar to the Issue and / or the Lead Manager, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as nonreceipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or refund orders, etc.

Availability of Prospectus : Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com and website of Issuer Company at www.alphalogicinc.com

Availability of Application form : Application forms can be obtained from the Registered Office of **ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED** and the Lead Manager to the Issue - Finshore Management Services Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of BSE & SEBI.

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors are required to fill the application from and submit the same to the relevant SCSB's at the specific locations or registered brokers at the broker centres or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of BSE. ASBA application forms can be obtained from the Designated Branches of SCSB's, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com. For more details on ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the Section "*Issue Procedure*" beginning on page 151 of the Prospectus.

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 dated June 28, 2019 for the procedure to be followed for applying through UPI. Retail Individual Investors have to apply through UPI mechanism. Retail Individual Investors whose bank is not live on UPI as on the date of this Circular, may use the other alternate channels available to them viz. submission of application form with SCSB or using the facility of linked online trading, demat and bank account.

BANKER TO THE ISSUE\SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited.

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 17 of the Prospectus before making any investment decision.

For **ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place : Pune
Date : August 22, 2019

ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Pune, Maharashtra. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.finshoregroup.com, website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.alphalogicinc.com. Investor Should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "*Risk Factors*" as appearing in the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act 1933.

CONCEPT

epaper.jansatta.com

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि द्वारा **23rd & 26th August, 2019** को (बंधक आभूषणों की–एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **21st & 22nd October, 2019** को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोबती, एडवोकेट

ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

आरआरएल क्लस्टर, सी–18 बी, दीन दयाल पुरम, बरेली।

कब्जा सूचना

जहाँ कि, अधोहस्ताक्षरी ने, जोकि प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी है तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम–3 के साथ पठित धारा–13 (12) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणकर्ता/गारन्टर को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि, ब्याज सहित चुकाने की मांग की गई थी। चूंकि ऋणकर्ता राशि को चुकाने में असमर्थ रहा है, एतदद्वारा ऋणकर्ता एवं आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित संपत्ति पर इस दिन (नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार) कब्जा कर लिया है। एतदद्वारा ऋणकर्ता को विशेषतः और जनता को साधारणतः सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति से कोई सरोकार न रखें तथा इस संपत्ति से संबंध रखने पर ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स को निम्न अनुसार उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज का भुगतान करने को बाध्य होगा। सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

क्र0 सं0	ऋणकर्ता / बंधककर्ता का नाम	बन्धीकृत सम्पत्ति का ब्यौरा / सम्पत्ति के स्वामी का नाम	डिमाण्ड / कब्जा नोटिस की तिथि	बकाया राशि 31–07–2019 को (रुपयों में)
1.	(1) 1–मै0 मानवी इन्टरप्राइजेज 55/130, माधोबाड़ी नरकुलागंज, जिला बरेली। 2–श्रीमती दिव्या झावर पत्नी श्री सन्दीप झावर (पार्टनर मै0 मानवी इन्टरप्राइजेज) म0नं0 253, माधोबाड़ी, मधु आइस फैक्टरी के पीछे, नरकुलागंज, बरेली–243005 (उ0प्र0) 3–श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता (पार्टनर, मै0 मानवी इन्टरप्राइजेज) म0नं0 डी–35, सनसिटी विस्तार बरेली–243001 (गारंटर) : 4–श्रीमती पुष्पा देवी वैद पत्नी श्री मनोज कुमार वैद पुरानी माचिस फैक्टरी, 150–ए, माधोबाड़ी बरेली।	1–साम्यिक बंधक सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 122, मिन पार्ट खसरा नं0 120, ग्राम–पचौमी, परगना व तहसील फरीदपुर, जिला बरेली। क्षेत्रफल 5190 वर्गमी0 जोकि श्रीमती दिव्या झावर, संदीप झावर, पुष्पा देवी वैद पत्नी श्री मनोज कुमार वैद के नाम है। सीमायें : पूर्व–गाटा नं0 123, पश्चिम–गाटा नं0 117, उत्तर–राष्ट्रीय राजमार्ग, दक्षिण–ग्राम नवादा वन व गाटा नं0 675 2–साम्यिक बंधक सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 675 का भाग ग्राम–नवादा वन पोस्ट फरीदपुर, जिला बरेली। क्षेत्रफल 2090 वर्गमी0 जोकि श्रीमती दिव्या झावर, पुष्पा देवी वैद पत्नी श्री मनोज कुमार वैद के नाम है। सीमायें :–पूर्व–गाटा नं0 674/877 महेश पाल व अन्य, उत्तर–गाटा नं0 120 ग्राम पचौमी चन्दा साहब, दक्षिण–गाटा नं0 677 व अन्य मोतीराम व अन्य।	01.03.2019 व 20.08.2019	5,85,76,348/- + दिनांक 01.08.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे
2.	1–मो0 आसिफ खान पुत्र श्री जमीर खान 208, मोहल्ला कोट, पुराना शहर, बरेली।	आवासीय भवन खसरा नं0 166 का भाग, बिहारमान नगला बरेली। प्लाट एरिया 96.15 वर्गमी0 जोकि मो0 आसिफ पुत्र मो0 जमीर के नाम है। सीमायें :–पूर्व–15 फुट चौड़ा रास्ता उसके बाद प्लाट विवेक आनन्द, पश्चिम–आराजी सलीम खान, उत्तर–प्लाट जमशेद खान, दक्षिण–विक्रेता का मकान।	03.06.2019 & 20.08.2019	23,83,482/- + दिनांक 01.08.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे

दिनांक : 23.08.2019 स्थान : बरेली प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

HeroFin Corp.

CIN:U74899DL1991PLC046774

पंजी. कार्यालयः 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057

टेलीः 011–49487150, फैक्सः 011–49487150, ई–मेलः litigation@herofincorp.com,

वेबसाईटः www.herofincorp.com

पूर्वाग्रह–रहित ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अनुसार हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति की ई–नीलामी बिक्री

विद्वान डीएम, गुरुग्राम द्वारा पारित आदेश तिथि 12.3.2019 के अनुपालन में एचएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित सभी शुल्कों के साथ एचएफसीएल के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो है आधार'' एवं ''उपचार रहित आधार'' पर पूरी तरह से उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। जैसा कि बकाये के भुगतान में विफलता के बाद प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री द्वारा एचएफसीएल के बकाये की वसूली करने का प्रस्ताव करते हैं। जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री ऋणधारक से एचएफसीएल के बकाये प्रतिभूत ऋण की वूसली के लिये सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जायेगी।

आम जनता को व्यक्तिगत अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्टों के माध्यम से बोली करने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

ऋणधारक का नाम एवं पताः
एमआईसीए इंडस्ट्रीज लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः ए–36, IIरा तल, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027
सह–ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) का नाम एवं पता
1. विनय गुप्ताः
पताः बी–1/208, यमुना विहार, दिल्ली–110053, पताः 58, बिर्च कोर्ट, निर्वाणा कन्ट्री, साउथ सिटी–2, सेक्टर–50, गुड़गांव
2. विकास गोयलः
पताः बी–1/208, यमुना विहार, दिल्ली–110053, पताः मकान सं.– 95, तत्वम विल्ला, ब्लॉक–जेड, विपुल वर्ल्ड, सेक–48, सोहना रोड, गुड़गांव
3. श्री विश्वेश्वर नाथ गुप्ताः
पताः बी–1/208, यमुना विहार, दिल्ली–110053, पताः मकान सं.– 95, तत्वम विल्ला, ब्लॉक–जेड, विपुल वर्ल्ड, सेक–48, सोहना रोड, गुड़गांव

ऋण अनुबंधोः एमआईसीए इंडस्ट्रीज लि. एवं हीरो फिन कॉर्प लि. के बीच निष्पादित स्वीकृति पत्र तिथि 8.3.2016, मास्टर फैसिलिटीज एग्रीमेन्ट तथा दो (2) पूरक अनुबंधों, सभी तिथि 16.03.2016

मांग सूचना की तिथिः 31.10.2018 **कब्जा की तिथिः** 28.5.2019

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशिः 31.10.2018 को रु. 11,18,50,623.72/– (रुपए ग्यारह करोड़ अठारह लाख पचास हजार छः सौ तैईस तथा पैसे बहत्तर मात्र)

उपरोक्त ऋण अनुबंध के संदर्भ में गिरवी अचल सम्पत्ति का विवरणः विल्ला नं. 95, तत्वम विल्ला, ब्लॉक–जेड, विपुल वर्ल्ड, सेक–48, सोहना रोड, गुड़गांव

आरक्षित मूल्यः रु. 5,40,00,000/– (रुपए पांच करोड़ चालिस लाख मात्र)

ई–नीलामी की तिथि एवं समयः 13.9.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक।

नीलामी के नियम एवं शर्तेः

1. सम्पत्ति की नीलामी हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड, 09, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057 में प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 10.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक आयोजित की जायेगी।
2. नीलामी बिक्री नियुक्त अभिकर्ता द्वारा संचालित की जायेगी।
3. बोली जमा करने की अंतिम तिथि 12.9.2019 के 5 बजे सायं है।
4. बोली के लिये न्यूनतम बोली वृद्धि राशि रु. 100000/– (रु. एक लाख मात्र) है।
5. नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट/नीचे वर्णित खाता में आरटीजीएस/ एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा ईएमडी जमा करना होगाः

बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लि.
खाता धारक का नाम	हीरो फिनकॉर्प लि.
बैंक का पता	209–214, कैलाश बिल्डिंग 26, केजी मार्ग, नई दिल्ली
खाता सं.	00030310016156
आईएफएससी कोड	HDFC0000003

6. सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाता को ईएमडी एचएफसीएल द्वारा वापस लौटा दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी।
7. एचएफसीएल को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/निलंबित/रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
8. उपरोक्त सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
9. यदि एचएफसीएल द्वारा बोली/प्रस्ताव स्वीकार की जाती है, बोली में उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले सफल बोलीदाता को एचएफसीएल के पास उसी दिन ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी तथा तत्काल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।
10. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चेक द्वारा 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा।
11. निर्धारित अवधि अर्थात् बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली राशि का भुगतान नहीं करने पर जमा राशि (25% बोली राशि सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा क्रेता उस सम्पत्ति अथवा राशि के किसी भाग जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
12. एचएफसीएल द्वारा बिक्री की पुष्टि पर तथा यदि नियमों एवं शर्तों का पालन किया गया हो, बिक्री करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट V में दी गई प्रपत्र में क्रेता के पक्ष में अचल सम्पत्ति का बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
13. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो भी है आधार'' एवं उपचार–रहित आधार पर की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति के संदर्भ में टाइटल, पहचान, विस्तार, व्यास, सर्वे नम्बर, डोर नम्बर, चौहद्दी अथवा अधिभारों के विषय में संतुष्ट होने के लिये राजस्व/एसआरओ के अभिलेखों की जांच कर लें। एचएफसीएल उपरोक्त सम्पत्ति पर लम्बित किसी भी प्रकार की देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
14. इच्छुक पार्टी/बोलीदाता 11.09.2019 को या उससे पूर्व कार्यावधि के दौरान नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये वे अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं।
15. सफल बोलीदाता को एकाकी रूप से लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, पंजीकरण शुल्कों, स्टाम्प शुल्क, करों, सांविधिक देयताओं के लिये देय सभी चार्जेज का वहन करना होगा।
16. यह ई–नीलामी बिक्री एचएफसीएल द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
17. यह बिक्री/ नीलामी सरफेसी अधिनियम, 2002 (उसके अंतर्गत निर्मित नियमों) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।
18. नीलामी की गई सम्पत्ति के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, सम्पत्ति कर तथा सरकार या किसी व्यक्ति के किसी अन्य बकाये के लिये एचएफसीएल उत्तरदायी नहीं होगा।
19. यदि वे अपनी सम्पूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान नहीं करते हैं तो उपरोक्त तिथि को नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उपरोक्त ऋण के ऋणधारक/अथवा सह–ऋणधारक के लिये यह प्रकाशन **15 दिनों की** बिक्री सूचना है। ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक को ई–नीलामी की तिथि को या उससे पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिये सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की बिक्री सूचना दी जाती है जिसमें विफल होने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी। यदि नीलामी बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक एचएफसीएल की बकाया देयताओं का भुगतान कर देते हैं तो नीलामी बिक्री रोक दी जायेगी।
20. एतद्द्वारा ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां ऊपर निर्दिष्ट अचल सम्पत्ति की खरीद के लिये वे इच्छुक क्रेताओं/खरीदारों को सामने ला सकते हैं।
21. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें, इंटर–से बोली की अनुमति देने का सम्प्रभु अधिकार है।
22. ऊपर वर्णित ऋण की राशि, ऋण फोक्लोजर राशि नहीं है। उक्त ऋण के लिये लम्बित ईएमआई सहित अन्य सभी चार्जो की ऋण समापन के समय में गणना की जायेगी।

श्री विक्की ग्रोवर
9205581723
तिथिः 23.8.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा **हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड**

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Sector-3 Branch, Faridabad, Haryana-121004
Ph: 0129-2212411 Email: br.9251@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) [अधिनियम–नियम 8(1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथियों को जारी ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर/सम्पत्ति के स्वामी इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों/ सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 21 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ नीचे वर्णित राशि के साथ उस पर आगे के ब्याज, लागत आदि के लिये सिंडिकेट बैंक (सेक्टर–3 शाखा, फरीदाबाद) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/स्युरिटी/स्वामी का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकः मै. श्री ओम एण्टरप्राईजेज प्रॉप. श्रीमती मीना गोयल गारन्टरः श्री धरम पाल पुत्र स्व. श्री बुधराम	श्री धरम पाल गुप्ता, पुत्र स्व. बुधराम के स्वामित्व तथा कब्जे में आवासीय प्लॉट नं. 1144, सेक्टर–02, अर्बण इस्टेट, पलवल, माप 82.50 वर्ग मी., हरियाणा का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्व रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 1174, उत्तरः प्लॉट नं. 1143, दक्षिणः प्लॉट नं. 1145	रु. 1384173.81 (रुपये तेरह लाख चौड़ासी हजार एक सौ तिहत्तर तथा पैसे इक्यासी मात्र) के साथ उस पर आगे का ब्याज, लागत, खर्चे आदि	22.5.2019 कब्जा सूचना की तिथिः 21.08.2019

तिथिः 23.08.2019 स्थानः फरीदाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक**

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

शाखाः पालम विहार, गुड़गाँव, हरियाणा

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.5.2019 जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक(कों) इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 21 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहां नीचे वर्णित राशि के साथ उस पर आगे के ब्याज, लागत आदि के लिए केनरा बैंक, शाखाः पालम विहार, गुड़गाँव के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि
ऋणधारकः मै. ओम साई राम मोटर्स प्रॉप. योगेश कुमार	पंजीकरण उप जिला गुड़गाँव तथा जिला गुड़गाँव के भीतर प्लॉट नं. 5222/29, वार्ड नं. 27, किड्जी प्ले स्कूल के निकट, दौलताबाद फ्लाई ओवर, सूरत नगर, गुड़गाँव में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः रोड दक्षिणः अन्य स्वामी पूर्वः अन्य स्वामी पश्चिमः रोड	रु. 3690553.00 (रु. छत्तीस लाख नब्बे हजार पांच सौ तिड़ेपन मात्र) + ब्याज तथा अन्य चार्जेज	13.5.2019	21.8.2019

तिथिः 23.8.2019 स्थानः गुड़गाँव **प्राधिकृत अधिकारीः केनरा बैंक**

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT AND OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF M/S. AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED ("AIIL" or "Target Company")

(Corporate Identification Number: L51109MH1982PLC319008)

Registered Office: 303, Kumar Plaza, 3rd Floor, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai- 400029, Tel. No.: (022) 6178 6000; Fax No.: (022) 6178 6008;

Corporate Office: 7, Mangoe Lane, 2nd Floor, Room No.- 212, Kolkata- 700 001, Telefax: (033) 40068296,

E-mail Id: authum.investment@gmail.com; **Website**: www.authum.com

This Advertisement is being issued by VC Corporate Advisors Private Limited, on behalf of Mrs. Alpana S Dangi (hereinafter referred to as "**the Acquirer**") pursuant to regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended **("SEBI (SAST) Regulations")** in respect of Open Offer ("**Offer**") for the acquisition of 6282810 (Sixty Two Lakhs Eighty Two Thousand Eight Hundred Ten) fully paid-up equity shares of Rs. 10/- each, representing 54.50% of the equity and voting share capital of M/s. Authum Investment & Infrastructure Limited (hereinafter referred to as the "**Target Company**" or "**AIIL**"). The Detailed Public Statement ("**DPS**") pursuant to the Public Announcement ("**PA**") made by the Acquirer has appeared in The Financial Express (English Daily) all editions, Jansatta (Hindi Daily) all editions and Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily edition) on 19.12.2018.

1. The Offer Price is Rs. 22.78 (Rupees Twenty Two and Seventy Eight Paisa Only) per equity share payable in cash ("**Offer Price**"). There has been no revision in the Offer Price.
2. The Committee of Independent Directors ("IDC") of the Target Company in their meeting held on 21.08.2019 has recommended that the Offer Price is fair and reasonable as on date of the PA and the same recommendations is published in the above-mentioned newspapers on 22.08.2019.
3. There has been no competitive bid to this Offer.
4. The Letter of Offer ("**LOF**") has been dispatched to all the Public Shareholders of Target Company on 20.08.2019 to all the shareholders (except the Acquirer) holding as on Identified Date, i.e., 08.08.2019.
5. Please note that a copy of the LOF along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement is available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in, and also on the website of Manager to the Offer, www.vccorporate.com and BSE Limited, i.e., www.bseindia.com, and the shareholders can also apply by downloading such forms from the website. Further, in case of non-receipt/ non-availability of the Form of Acceptance, the application can be made on plain paper along with the following details:
   a. **In case of physical Shares**: As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI LODR Regulations (notified by the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with the press release dated 03.12.2018 and 27.03.2019 issued by SEBI, effective from 01.04.2019, requests for effecting transfer of securities of listed companies shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Since the Tendering Period for the Offer opens only after April 1, 2019, the Public Shareholders desirous of tendering their Equity Shares held in physical form can do so only after the equity shares are dematerialized and are advised to approach the concerned depository participant to have their equity shares dematerialized.
   b. **In case of Dematerialized Shares**: An Eligible Shareholder may participate in the Open Offer directly through his/her/it's Selling Broker. No documents are required to be sent to the Registrar to the Offer.
   c. In the event Seller Broker(s) are not registered with BSE or if the Public Shareholder does not have any stock broker then that Public Shareholder can approach any BSE registered stock broker and can make a bid by using quick unique client code ("**UCC**") facility through that BSE registered stock broker after submitting the details as may be required by the stock broker to be in compliance with applicable law and regulations. In case, Public Shareholder is not able to bid using quick UCC facility through any other BSE registered stock broker then the Public Shareholder may approach Buying Broker/ Acquirer Broker viz. JM Financial Services Limited, to bid by using quick UCC facility.
6. The Open Offer will be implemented by the Acquirer through Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of separate window ("**Acquisition Window**") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by SEBI.
7. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on 24.12.2018. We have received the final observations in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations from SEBI vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-1/OW/P/2019/8417/1 dated 01.04.2019 and extension letter no. SEBI/HO/CFD/ DCR1/ OW/P/2019/016940/1 dated 04.07.2019 which has been incorporated in the LOF. The Reserve Bank of India vide prior approval letter 221/13.01.229/2019-20 dated 06.08.2019 have granted their no objection to the Acquirer for the proposed change in management and control of the Target Company.
8. As on date, there are no statutory or other approvals pending to implement this Offer by the Acquirer. However, in case of any regulatory or statutory or other approval being required at a later date, the Offer shall be subject to all such approvals and the Acquirer will make the necessary application for such approvals.
9. **Any other material change from the date of PA:**
   (i) The Open Offer price has been revised to Rs. 22.78 (Rupees Twenty Two and Seventy Eight Paisa Only) per equity share after taking into consideration Re. 0.78 paisa per equity share, being the interest determined at the rate of 10% p.a. on the Offer Price for the delay of 130 days in making payment to eligible shareholders on account of delay in receipt of prior approval from RBI.
   (ii) The registered office of AIIL has been shifted from 7, Mangoe Lane, 2nd Floor, Room No. 212, Kolkata -700001, West Bengal to 303, Kumar Plaza, 3rd Floor, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai- 400029 w.e.f. 10.12.2018 and a Certificate of Registration of Regional Director Order for change of state has been issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra on 03.01.2019. Accordingly, the CIN of AIIL has changed from L51109WB1982PLC035088 to L51109MH1982PLC319008.
   (iii) Pursuant to the shifting of registered office of AIIL from 7, Mangoe Lane, 2nd Floor, Room No. 212, Kolkata -700001, West Bengal to 303, Kumar Plaza, 3rd Floor, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai- 400029 w.e.f. 10.12.2018, AIIL is presently registered with Reserve Bank of India, Mumbai, as Non- Banking Financial Company bearing Registration No. B- 13.02327 (as certified by RBI, Mumbai Office on 13.03.2019) in place of earlier registration no. B.05.02757 (as certified by RBI, Kolkata Office on 14.03.2012 and 13.10.2009 respectively).
10. **Schedule of Activities:**

Activities	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Date of the PA	December 12, 2018	Wednesday	December 12, 2018	Wednesday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	December 19, 2018	Wednesday	December 19, 2018	Wednesday
Last date of Filing of the Draft Offer Document with the SEBI	December 27, 2018	Thursday	December 27, 2018	Thursday
Last date of a Competing Offer	January 10, 2019	Thursday	January 10, 2019	Thursday
Identified Date*	January 21, 2019	Monday	August 08, 2019	Thursday
Date by which the Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	January 28, 2019	Monday	August 20, 2019	Tuesday
Last date by which Board of the Target Company shall give its recommendation	January 31, 2019	Thursday	August 22, 2019	Thursday
Last date for upward revision of Offer Price and/or Offer Size	February 01, 2019	Friday	August 23, 2019	Friday
Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending the same to SEBI, Stock Exchanges and Target Company	February 01, 2019	Friday	August 23, 2019	Friday
Date of commencement of tendering period	February 04, 2019	Monday	August 26, 2019	Monday
Date of closing of tendering period	February 15, 2019	Friday	September 09, 2019	Monday
Date by which communicating rejection/ acceptance and payment of consideration for applications accepted	March 05, 2019	Tuesday	September 24, 2019	Tuesday

** Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirer) are eligible to participate in the Offer any time before the Closure of the Offer.*

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER:

Manager to the Offer:
VC CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED
CIN: U67120WB2005PTC106051
SEBI Registration No. INM000011096
Validity of Registration: Permanent
(Contact Person: Ms. Urvi Belani)
31, Ganesh Chandra Avenue,
2nd Floor, Suite No.- 2C, Kolkata- 700 013,
Phone No.: (033) 2225-3940,
Fax No.: (033) 2225-3941,
E-mail: mail@vccorporate.com
Website: www.vccorporate.com

Place: Kolkata **Date: 23.08.2019**

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- G. Noida, Plot no. S-9, Gamma Shopping Mall, Noida, Gr. Noida Road, Distt. Gautam Buddha Nagar, Gr. Noida, U.P.- 201306
E-mail: br.8895@syndicatebank.co.in

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.11.2018, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता मै0. श्री बालाजी बेवरेज, प्रो0. सर्वेश सिंह खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.– 76,11,685/– (रूपये छियत्तर लाख ग्यारह हजार छः सौ पिचासी केवल) अदा करने की तिथि उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19 अगस्त 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन सिंडिकेट बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा को देय धनराशि रू.– 76,11,685/– अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

भूमि और ईमारत इण्डस्ट्रियल प्लॉट न0. एफ–1, जिसकी माप 823 स्कवेयर मीटर, साईट बी सूरजपुर इण्डस्ट्रियल एरिया गौतमबुद्ध नगर यूपी मालिक श्री बालाजी बेवरेज। **जिसकी सीमाऐं– उत्तर** में रोड, **दक्षिण** में प्लॉट न0. एफ–2, **पूर्व** में प्लॉट न0. एफ–8 और **पश्चिम** में रोड।

दिनांकः 19.08.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः ग्रेटर नोएडा। **सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय**

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

एलसीआरडी/डिवीजन/नई दिल्ली
द फेडरल टावर्स, ऊपरी भूतल, 2/2,
वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008,
फोन नं. 011–40733980,40733978,
ईमेलः nellcrd@federalbank.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

श्रीमती अरुणिमा शुक्ला, पत्नी श्री मोहित शुक्ला, निवासीः 481, 3रा तल, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

आप में 1 ने ऋणधारक के रूप में बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद हमारे बैंक की हौज खास शाखा से साख सुविधा प्राप्त की है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधा की प्रतिभूति के लिए आप ने अधोलिखित संपत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया हैः–

हाइपोथेकेटेड चल संपत्तियों का विवरण

ब्रैण्ड न्यू महिन्द्रा टी यू वी 300 T6+ डीजल कार मॉडल 2017, कलर ड्रिजल सिल्वर, पंजीकरण सं. DL10CH8338, चैसिस नं. MA1NA2SMXH6A39805, 25.3.2017 को परिवहन विभाग, राजा गार्डन, दिल्ली में पंजीकृत।

उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/ गिरवी संपत्तियां यहां के बाद ''प्रतिभूत परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक के हौज खास शाखा में आपको कार ऋण खाता सं. 19807400000268 के अंतर्गत 29.7.2019 को रु. 4,79,730/– (रुपये चार लाख उन्यासी हजार सात सौ तीस मात्र) की राशि आप पर संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओं को गैर–प्रचालन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 8.7.2019 से भुगतान की तिथि तक मासिक रेस्ट्स के साथ 9.75% की दर पर आगे के ब्याज तथा 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज तथा लागतों के साथ उक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा उसके अंतरण अथवा आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।

सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले में वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह–रहित है।

यह सूचना 3 अगस्त, 2019 को जारी की गई थी तथा वह आपको सर्व नहीं की जा सकी जिस कारण से सरफेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है।

द फेडरल बैंक लि. के लिए
आज, 22 अगस्त, 2019 को। **(प्राधिकृत अधिकारी)**

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF MANGALAM ENGINEERING PROJECTS LIMITED

CIN: L74899DL1984PLC017356. Registered office: 101C, Kundan House, Ground Floor, Harinagar Ashram, Mathura Road, New Delhi-110014. Email: info@mangalamengineering.com
Website: www.mangalamengineering.com, Contact Person: Shri Nawal Khandelwal, Tel: 033-22482391/2/3

This Public Announcement (the "Public Announcement") is being issued by Mr. Pradip Kumar Daga, Mrs. Asha Devi Daga, Mr. Yashwant Kumar Daga, Contransys Private Limited & Jalpaiguri Holdings Private Limited (the "Acquirers") to the Public Shareholders of Mangalam Engineering Projects Limited ("MEPL") in respect of the proposed acquisition of the entire Public Shareholding of the Company i.e. 580250 (five Lakh eighty thousand two Hundred fifty) equity shares of face value of 10/- each representing 47.3673% of the total paid-up equity share capital of the Company and consequent voluntary delisting of the equity shares of the Company from the Metropolitan Stock Exchange Limited (the "MSEI") pursuant to Regulation and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended.

1. BACKGROUND OF THE DELISTING OFFER
1.1 History of the Company:
The Company was incorporated as "Mangalam Engineering Projects Limited" on 19th January 1984 under the Companies Act, 1956 and obtained the certificate of commencement of business on 3rd February, 1984 from the Registrar of Companies, New Delhi at New Delhi. The registered office of the Company is situated at 101C, Kundan House, Ground Floor, Harinagar Ashram, Mathura Road, New Delhi-110014. The equity shares of the Company are listed on MSEI.
1.2 Capital Structure of the Company:
The Paid-up Capital of the Company as on the date of this Public Announcement is Rs 122,50,000. Shareholding Pattern of MEPL as on 16th August, 2019:

Particulars	No. of Equity Shares	% of Equity Share Capital
Promoters/Acquirers	644750	52.6327
Public	580250	47.3673
Total	1225000	100.0000

1.3 The Acquirers are making this Offer to acquire 580250 (five Lakh eighty thousand two Hundred fifty) equity shares (the "Offer Shares") representing 47.3673% of the total paid-up equity share capital of the Company to the Public Shareholders (i.e. shareholders other than the Acquirer, Promoters and Promoter Group) in compliance with Chapter VII of the SEBI Delisting Regulations. If the Delisting Offer is successful in accordance with the Delisting Regulations, the Acquirer will apply to delist the equity shares from the MSEI pursuant to and in accordance with the SEBI Delisting Regulations and on the terms set out in the Public Announcement, Letter of Offer and any other delisting offer documents. Consequent to such actions, the equity shares of the Company shall be delisted from the MSEI.
1.4 The Acquirer vide letter dated 28/07/2019 (the "Acquirer Letter") conveyed their intention to make a voluntary delisting offer to acquire the Offer Shares and delist the equity shares of the Company from MSEI in accordance with the SEBI Delisting Regulations and requested the Board of Directors to approve the Delisting Offer and to seek the requisite approval from the shareholders through postal ballot and e-voting in accordance with the SEBI Delisting Regulations.
1.5 The Board of Directors, at its meeting held on 9th August, 2019, took on record the Acquirer Letter and appointed M/s LSI Financial Services Pvt Ltd., as the Merchant Banker for carrying out due diligence as required in terms of Regulations 8(1A) (ii) and 8(1D) of the SEBI Delisting Regulations and notified the MSEI on 9th August, 2019.
1.6 The Company has been granted in-principle approval for delisting of the equity shares of the Company from MSEI Limited vide their letter no. MSEI/LIST/2018/2814 dated 19/11/2018 in accordance with Regulation 8(3) of the SEBI Delisting Regulations.
1.7 The shareholders of the Company have given the approval for delisting of the securities of the Company pursuant to Postal Ballot Notice dated 21/08/2019 issued by the Company with a specific consent for dispensing with the Exit Price and discovery through book building method.
2. NECESSITY AND OBJECTIVES OF THE DELISTING OFFER
2.1. The objective of the Acquirer in making the Delisting Offer is inter-alia to:
(a) obtain full ownership of the Company, which will in turn provide enhanced operational flexibility to support the Company's operations;
(b) provide an exit opportunity to the Public Shareholders of the Company.
3. DETERMINATION OF THE EXIT PRICE
3.1. The Acquirer propose to acquire the equity shares of the Company from the Public Shareholders pursuant to a method prescribed in the SEBI Delisting Regulations.
The Acquirers have appointed LSI Financial Services Pvt Ltd, Merchant Banker for the purpose of determining the exit price of the equity shares of the Company. As per the valuation report dated 02/10/2018 ("Valuation Report") the fair value per equity share of face value of Rs 10/- each, of MEPL works out to Rs 17.57. Based on the Valuation Report the Acquirers in are making an offer to acquire the equity shares from the public shareholders at an exit price of Rs 18/- (Rupees Eighteen only) per equity share.
4. ACTIVITY SCHEDULE FOR EXIT OFFER
Date of Opening of Offer 30/08/2019
Date of Closing of Offer 09/09/2019
5. PROCEDURE FOR TENDERING
5.1 The Letter of Offer (along with necessary forms and instructions) inviting the Public Shareholders to tender their equity shares to the Acquirer will be dispatched to the Public Shareholders by the Acquirer whose names appear on the register of members of the Company and to the owner of the Equity Shares whose names appear as beneficiaries on the records of the respective depositories at the close of business hours on 16/08/2019.
5.2 The Delisting Offer is open to all Public Shareholders of the Company.
5.3 The shares can be tendered in demat form only in the demat account stated in the letter of offer. The public shareholders holding shares in the physical form shall get their shares demated before tendering of the shares as no physical shares shall be accepted in tender.
6. METHOD OF SETTLEMENT
The payment for accepted equity shares will be made within Seven days from the date of closing of the offer by way of Pay order/Demand draft/RTGS/NEFT or any other permitted electronic mode of transfer. In case of joint holders, payments will be made in the name of the first holder.

Place: Kolkata For and Behalf of the Acquirers
Date: 20/08/2019 Yashwant Kumar Daga

पर्वतारोहियों ने दारमा-व्यास घाटियों को जोड़ने वाला पैदल रास्ता ढूंढ़ा

पिथौरागढ, 22 अगस्त (भाषा)।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पर्वतारोहियों ने हिमालयी दारमा और व्यास घाटियों को 5435 मीटर उंचे सिन ला दर्रे के जरिए जोड़ने वाला एक नया पैदल रास्ता (ट्रैक रूट) खोज निकाला है। इस दल में एवरेस्ट फतेह करने वाले पर्वतारोही भी शामिल थे।

पर्वतारोहियों का मानना है कि अगर इस मार्ग को सरकार कमीशन कर देती है तो इससे क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, जिससे सीमावर्ती गांवों से हो रहे पलायन को भी रोकने में मदद मिलेगी।

अभियान के आयोजक और 2015 में माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके पर्वतारोही योगेश गरबियाल ने बताया कि सौंदर्य से भरपूर यह नया रूट दारमा घाटी में बिदांग से शुरू होता है और जोलिंगकोंग झील के निकट से गुजरता हुआ सिन ला दर्रे के जरिए व्यास घाटी में गुंजी तक जाता है।

> 56 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक रूट को सरकार कमीशन कर दे तो यह दारमा और व्यास घाटियों को जोडने वाला पहला ट्रैक रूट होगा। इस साल मई में एवरेस्ट पर विजय हासिल कर चुकीं प्रख्यात पर्वतारोही शीतल भी इस अभियान 'क्लाइबिग एक्रॉस समिट' का हिस्सा थीं।

उन्होंने कहा कि 56 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक रूट को सरकार कमीशन कर दे तो यह दारमा और व्यास घाटियों को जोडने वाला पहला ट्रैक रूट होगा। इस साल मई में एवरेस्ट पर विजय हासिल कर चुकीं प्रख्यात पर्वतारोही शीतल भी इस अभियान 'क्लाइबिंग एक्रॉस समिट' का हिस्सा थीं।

'सिन ला' दर्रा धारचूला सब डिवीजन के उच्च हिमालयी क्षेत्र में दारमा और व्यास घाटियों को बीच में विभाजित करने वाला उंचा पहाड़ है। गरबियाल ने बताया कि इस रूट की आधिकारिक मंजूरी और सरकार से कमीशनिंग के लिए राज्य सरकार को जल्द ही एक प्रस्ताव भेजा जाएगा।

मानननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, के समक्ष
चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़
कंपनी याचिका (सीएए) नं. २२/सीएचडी/एचआरवाय/२०१९
के साथ जुड़े
सीए (सीएए) नं. १६/सीएचडी/एचआरवाय/२०१९

के मामले में:
कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ('सीईएसआईपीएल') और जैकब्स इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('जेईआईपीएल') और एवजीसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ('एवजीसीसी') और उनके संबंधित शेयर धारकों (इसके बाद 'योजना' के रूप में संदर्भित) के बीच व्यवस्था की समग्र योजना।
और
के मामले में:
कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ...याचिकाकर्ता कंपनी

याचिका की सूचना

कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ('सीईएसआईपीएल') और जैकब्स इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('जेईआईपीएल') और एवजीसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ('एवजीसीसी') और उनके संबंधित शेयर धारकों (इसके बाद 'योजना' के रूप में संदर्भित) के बीच व्यवस्था की समग्र योजना को मंजूरी देने के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पढ़ी जाने वाली धारा २३०-२३२ के तहत एक याचिका १४.०८.२०१९ को सुनी गई और १४.०८.२०१९ के एक आदेश द्वारा कहा गया है कि उक्त याचिका १५.१०.२०१९ को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए तय है।

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सीईएसआईपीएल के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को, अपने इरादे की सूचना, अपने या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षरित, अपने नाम और पते के साथ, ताकि सीईएसआईपीएल के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को याचिका की सुनवाई के लिए तय तारीख से दो दिन पहले के बाद नहीं पहुंचे। जहां, वह याचिका का विरोध करना चाहता/ चाहती है, तो विरोध की बुनियाद या उसके हलफनामे की एक प्रति के साथ इस तरह के नोटिस के साथ अधोहस्ताक्षरी को एक प्रति देनी चाहिए। याचिका की एक प्रति निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समान आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

हस्ताक्षरित
नहुष जैन, एडवोकेट
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पता: # ३४११, पहली मंजिल, सेक्टर- ३८- डी
चंडीगढ़- १६००३६

स्थल: चंडीगढ़
दिनांक: २३ अगस्त, २०१९

टाइटन सिक्युरिटीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: ए-2/3, तीसरा तल, लूसा टावर, आजादपुर कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, दिल्ली-110033
वेबसाईट: www.titansecuritieslimited.com
CIN: L67190DL1993PLC052050
फोन: 011-45086502, फैक्स: +91-11-47619811
ई-मेल: titan.securities@yahoo.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक को बुलाने और अन्य मामलों के उद्देश्य से कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार 02 सितंबर, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-2/3, तीसरी तल, लूसा टावर, आजादपुर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली- 110033 में आयोजित की जाएगी।
इसके अलावा, 26.08.2019 से 04.09.2019 तक पदनामित सदस्यों के लिए कंपनी की ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी।

कृते टाइटन सिक्युरिटीज लिमिटेड
हस्ता./-
आकांक्षा शर्मा
कम्पनी सचिव
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.08.2019

Proclamation under Order 5, Rule 20, CPC.
In the Court of Sh. Parveen Chauhan, Addl. District Judge-I, Solan H.P.
Regd no. 14/2018
Case No. 7-s/3 of 2018

Sh. Kuldeep Singh S/o Late Sh. Sohan Singh Village Sihardi - Brahmna, P.O Dharampur Teh Kasauli ....**Applicant**
Versus.
Kavita Kanwar W/o Sh. Kuldeep Singh Kanwar Presently R/o House No. GB-20 Pulpehadpur, New Delhi-110044.
....**Respondent**

Petition under section 13 of Hindu Marriage Act, 1955 for dissolution of marriage between the petitioner and respondent by way of decree of divorce.
Notice to:-
1. Kavita Kanwar W/o Sh. Kuldeep Singh Kanwar Presently R/o House No.GB-20 Pulpehadpur, New Delhi-110044.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the court that above named respondent cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation is hereby issued against above named respondent to appear in this court on **16-09-2019 at 10 AM**, to defend the case personally or through an authorized agent or pleader failing which ex-parte proceedings will be taken against him.

Given under my hand and seal of this Court today on **16th day of August, 2019.**

(Parveen Chauhan)
Addl. District Judge-I
Seal Solan District Solan

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

रसेल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड CIN: U74900DL2009PTC194159) जिसका पंजीकृत कार्यालय है: डी-205, जी/एफ वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 के मामले में

आवेदक कम्पनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी की सक्षम बनाने के लिए 5 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कम्पनी कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, 2रा तल, भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

रसेल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: डी-205, जी/एफ वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से
रसेल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अंकित वाजपेयी
निदेशक
तिथि: 22.8.2019
स्थान: नई दिल्ली **DIN: 02949628**

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
सम्पर्क पता: 7वां तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055,
सम्पर्क नं.: 7290010751
पंजीकृत कार्यालय: 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013, **CIN No. U67190MH2008PLC187552**

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋण खाता सं.	देनदार/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं तिथि	कब्जा की तिथि
64204411 एवं 7388711	1. सचिन कुमार सिंघल, पुत्रश्री सलेक चन्द सिंघल, X/3857, गली नं. 13, शान्ति मोहल्ला, गांधी नगर, ईस्ट दिल्ली-110031 साथ हीं: मकान सं. 88, भू तल तथा तीसरा तल, गली नं. 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110031 2. स्नेह रानी, X/3857, गली नं. 13, शान्ति मोहल्ला, गांधी नगर, ईस्ट दिल्ली-110031 3. डिम्पल रानी, मकान सं. 88, भू तल तथा तीसरा तल, गली नं. 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110031 4. समीर कुमार, मकान सं. 88, भू तल तथा तीसरा तल, गली नं. 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110031 5. मै. आर.एस. एण्टरप्राईजेज, X/3857, गली नं. 13, शान्ति मोहल्ला, गांधी नगर, ईस्ट दिल्ली-110031 साथ हीं: मकान सं. 88 जीएफ, एलएचएस, गली नं. 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली- 110051	रु. 1,09,60,187/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख साठ हजार एक सौ सतासी मात्र)	19 अगस्त, 2019

अचल सम्पत्तियों/ प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण:
1) निर्मित सम्पत्ति सं. 88 का भू तल, माप 70 वर्ग यार्ड्स अर्थात 58.52 वर्ग मीटर जिसका विशेष रूप से विवरण बिक्री प्रलेख सं. 6727, बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 887, पेज नं. 64 से 73 तिथि 20.9.2016 में दिया गया है।
2) निर्मित सम्पत्ति सं. 88 का दूसरा तल, माप 120 वर्ग यार्ड्स अर्थात 100.33 वर्ग मीटर के साथ नीचे की भूमि में आनुपातिक शेयर जिसका विशेष रूप से विवरण पेज 114 से 123 पर बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 887 में दस्तावेज सं. 6732 के अनुसार सब रजिस्ट्रार ऑफ एस्युरैन्सेस के पास पंजीकृत बिक्री प्रलेख तिथि 20.9.2016 में दिया गया है।
3) सम्पत्ति सं. 88 का प्रथम तल, माप 120 वर्ग यार्ड्स अर्थात 100.33 वर्ग मीटर के साथ नीचे की भूमि में आनुपातिक शेयर जिसका विशेष रूप से विवरण सब रजिस्ट्रार ऑफ एस्युरैन्सेस IV वी विवेक विहार दिल्ली के पास पेज नं. 84 से 93 पर बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 887 में पंजीकरण सं. 6729 के माध्यम से बिक्री प्रलेख तिथि 20.9.2016 में दिया गया है।

तिथि: 23.8.2019 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: दिल्ली टाटा कैपिल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मोल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की"धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्हीं प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋणी/सहऋणी/बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
विकास कुमार सिंघल, विरेन्द, विजय कुमार, श्रीमती दिप्ती सिंह (खाता सं.) LSDEL02714-150293884 (L9001060100600539)	9 अगस्त 2019 ₹676176/- रु. छः लाख छिहत्तर हजार एक सौ छिहत्तर मात्र 5 अगस्त 2019 तक	दुकान नं. 1, सम्पत्ति नं. 5, ग्राउण्ड फ्लोर, सिहानी गेट, पुलिस चौकी के सामने, नवयुग मार्केट, गाजीयाबाद, उत्तर प्रदेश
पुनित जैसवाल, मिश्रीलाल जेसवाल, श्रीमती दुलारी देवी, विरेन्द्र कुमार जेसवाल जमानतदार: श्रवण जेसवाल (खाता सं.) L9001060113478891 (L9001060113478891)	09 अगस्त 2019 ₹475057/- रु. चार लाख पचहत्तर हजार सतावन मात्र 5 अगस्त 2019 तक	आर. प्लॉट नं. जी. 83/जी. 84, खसरा नं. 49/9, वार्ड नं. 05, जवाहर कॉलोनी, जिला फरीदाबाद, हरियाणा

स्थान: दिल्ली दिनांक: 22-08-2019 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा : कबाड़ी बाजार, खुर्जा, बुलंदशहर-203131, मो. नं : 9927396307

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।
उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रू. में) मांग सूचना के अनुसार
शाखा: बुलंदशहर श्री राम किशोर पुत्र श्री जुगल किशोर	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 43, मोहल्ला: दयाल बाग, साठा, बुलंदशहर, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 85.33 वर्ग मी., सब रजिस्ट्रार बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर, यू. पी. में पंजीकृत, चौहदी : पूरब में – श्रीमती रामेश्वरी देवी का मकान, पश्चिम में – श्री हुकुम सिंह का मकान, उत्तर में – रोड, दक्षिण में – श्रीमती बरफी देवी का मकान	06-02-2019 / 20-08-2019	₹ 4,38,122.00 दिनांक 01.02.2019 से होने वाला ब्याज एवं अन्य प्रभार

दिनांक 20-08-2019, स्थान : गाजियाबाद/बुलंदशहर प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
सस्त्र प्रभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
टेली. 011-28044555, ईमेल: horecovery@pnb.co.in, vp_singh@pnb.co.in

संदर्भ: एसडी/ डब्ल्यूडी/ 48/ डीईएल/ नोएडा/ वीपीएस/ पीएम **परिशिष्ट III**
ऋणधारण/ गारन्टर(रों)/ नान-ग्रुप कॉर्पोरेट गारन्टर(रों)/ ग्रुप कार्पोरेट गारन्टर(रों) के लिए कारण बताओ सूचना
सेवा में, **तिथि:** 11.07.2019
- **मै. महामाया ट्रेडेक्स प्रा. लि.**, ए-1/1, मॉडल टाउन, दिल्ली-110019
- **राकेश कुमार अग्रवाल**, एमएम 14, मध्य मार्ग, डीएलएफ फेज II, गुड़गाँव
- **मुरारी लाल अग्रवाल**, एमएम 14, मध्य मार्ग, डीएलएफ फेज II, गुड़गाँव
- **रमा देवी अग्रवाल**, एमएम 14, मध्य मार्ग, डीएलएफ फेज II, गुड़गाँव

प्रिय महोदय/महोदया
संदर्भ: "विलफुल" के रूप में बैंक में मै. महामाया ट्रेडेक्स प्रा.लि. की ऋण खाता में चूक की पहचान-तद्नुसार "विलफुल डिफॉल्टर" के रूप में आपकी नामों का उद्घाटन तथा प्रकाशन

कृपया हमारी सूचना तिथि 7.12.2015 देखें जिसके माध्यम से हमने ऋण खाता में जान-बूझकर चूक की घटना(ओं) का उल्लेख किया था। आप ने विलफुल डिफॉल्ट की घटना(ओं) पर पत्र तिथि निल के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया। उसकी हमारी तरफ से परीक्षा की गई, लेकिन यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।
इस मामले के तथ्यों को विलफुल डिफॉल्टर्स की समिति के समक्ष रखा गया जिसने मामले के तथ्यों, अभिलेख पर साक्ष्य तथा आपके द्वारा की गई प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के उपरान्त यह पाया है कि आपके द्वारा जान बूझकर चूक की गई है।
तद्नुसार, बैंक द्वारा स्थापित "विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति" ने इस चूक को विलफुल के रूप में तथा आप (ऋणधारक) एवं निदेशकों/ पार्टनरों आदि को निम्न कारणों से "विलफुल डिफॉल्टर्स" के रूप में वर्गीकृत करने की पहचान की है।
- धन का दुष्प्रयोग (साइफनिंग)

यदि आप "विलफुल डिफॉल्टर्स की समिति" के निष्कर्ष से असंतुष्ट हों, यदि आप ऐसा चाहते हों, "विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति" के पास अपना स्पष्टीकरण/प्रतिनिधित्व करें तथा यह कारण बताएं कि क्यूं न आपको "विलफुल डिफॉल्टर" घोषित किया जाए। आपका स्पष्टीकरण/ प्रतिनिधित्व इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाना चाहिए तथा उसे आप डाक के पते अर्थात उप महा प्रबंधक, एसएएसटीआरए प्रभाग, 3रा तल, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं. 4, सेक्टर-10, नई दिल्ली-110075 के पास भेज सकते हैं।
यदि हमें आपका स्पष्टीकरण/प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि आपको अपनी प्रतिरक्षा में ("विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति" के निष्कर्ष के विरुद्ध) कुछ भी नहीं कहना है तथा फिर बैंक आपका नाम अथवा आपकी कम्पनी/ फर्म/ यूनिट का नाम प्रकाशित करेगा तथा आपके निदेशक/कों/ पार्टनर/रों/ प्रॉप्राइटर का नाम भा.रि. बैंक/ सीआईबीआईएल/ अन्य साख सूचना कम्पनियों के पास बैंक अपनी एकाकी इच्छा पर वह जो भी उपयुक्त समझे उस प्रक्रिया तथा माध्यम से अग्रसारित करेगा।

स्थान: दिल्ली
आपका भवदीय
पंजाब नेशनल बैंक के लिए
(वी.पी. सिंह), मुख्य प्रबंधक

पीएस: जैसा कि सूचना(ओं) तिथि 11.7.2019 आपको प्राप्त हुए बिना वापस लौट आया, अतः यह सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है।

नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड
CIN: L65993DL1970PLC146414
पंजीकृत कार्यालय : 28, नजफगढ़ रोड, मोती नगर इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110015
फोन नं. (011)45021854, 45021812, फैक्स नं. (011)25928118, 45021982
निवेशकों हेतु ई मेल आईडी : investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

सार्वजनिक सूचना - शेयर सर्टिफिकेट की गुमशुदगी

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं। यदि इस सूचना के प्रकाशन के सात दिनों तक वैध आपत्ति नहीं मिली तो कम्पनी इनके स्थान पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी कर देगी।

जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड) के इक्विटी शेयर (16.9.2003 के बाद जारी)

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
37926	धर्मेंद्र मदनलाल कोठारी	615869	61078437-61078444	8
474846	नवीन वी. दोषी	607328	62555949-62555955	7
30013	विरेंद्र रतिलाल शेठ	614050	61063903-61063930	28

जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड) के पुराने इक्विटी शेयर (11.7.1999 के बाद और 16.9.2003 तक जारी)

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
103125	श्रैणिक शाह; निशिता शाह	521945	47840653-47840712	60

जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड) के पुराने इक्विटी शेयर (11.7.1999 तक जारी)

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
89538	शंकर लाल सराफ	27387	5719701-5719800	100

जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड) के साथ विलय हुए तत्कालीन जिन्दल फैरो अलायज़ लिमिटेड के पुराने इक्विटी शेयर

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
418605	नीता रसिकलाल जोबनपुत्र	21869	4637051-4637150	100
		51524	16051841-16051940	100

कृते नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड
हस्ता/-
(राघव शर्मा)
कम्पनी सचिव
तिथि : 21 अगस्त, 2019
स्थान : दिल्ली

डीएलएफ लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, फेज-I, डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम – 122 002, हरियाणा
CIN: L70101HR1963PLC002484
फोन: +91-124-4334200
वेबसाइट: www.dlf.in; ई-मेल: investor-relations@dlf.in
DLF BUILDING INDIA

डाक मतपत्र की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसरण में, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के साथ पठित, कंपनी ने डा. के.पी. सिंह की कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नामित एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति जारी रखने की सहमति सभी सदस्यों से मांगने हेतु डाक पत्र सूचना तथा डाक मतदान फार्म का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और भौतिक प्रेषण बृहस्पतिवार 22 अगस्त, 2019 को पूर्ण कर लिया है। डाक मतपत्र सूचना दिनांक 14 अगस्त, 2019 और डाक मतपत्र **www.dlf.in** और **https://evoting.karvy.com.** पर उपलब्ध है।
2. अधिनियम की धारा 108 एवं 110 के प्रावधानों के साथ पठित नियम यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कंपनी ने अपने सदस्यों को कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वी') ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से ई-मतदान द्वारा मतदान करने का अधिकार प्रदान किया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मत देने के लिए सभी सदस्यों को एक यूजर आईडी और पासवर्ड भी भेज दिया गया है। कंपनी के सदस्य जो भौतिक या डिमेटेरियलाइज्ड रूप में रिकार्ड तिथि अर्थात **शुक्रवार 9 अगस्त, 2019** को शेयर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा डाक मतपत्र के माध्यम से वोट देने का विकल्प रखते हैं।
3. डाकमत पत्र मतदान एवं ई-मतदान **शुक्रवार 23 अगस्त, 2019 (प्रातः 9.30 बजे) (भा.मा.स)** से प्रारम्भ होगा तथा **शनिवार 21 सितम्बर, 2019 (सांय 5.00 बजे) (भा.मा.स)** को समाप्त होगा। इसके पश्चात् कार्वी द्वारा ई-वोटिंग मॉडयूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार मतदान करने के पश्चात उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। डाक मतपत्र **शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स)** तक प्राप्त न होने की स्थिति में डाक मतपत्र को उन सदस्यों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ माना जाएगा। ई-मतदान संबंधित पूर्ण विस्तृत प्रक्रिया/ दिशानिर्देश डाक मतपत्र सूचना में सम्मिलित है।
4. डाक मतपत्र फार्म के प्राप्त ना होने की स्थिति में, सदस्य कंपनी/कार्वी से डाक मतपत्र फार्म की प्रतिलिपि के लिए अनुरोध कर सकता है। सदस्य वेबसाइटस **www.dlf.in** तथा **https://evoting.karvy.com.** से डाक मतपत्र फार्म की प्रतिलिपि का प्रिंट आउट ले सकता है।
5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित प्रश्नों/शिकायतों के मामलों में सदस्य **https://evoting.karvy.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा सदस्यों के लिए उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा कार्वी में श्रीमति वरालक्ष्मी से फोन 040-67161514 या 1800 345 4001 (टोल फ्री न.) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
6. डाक मतदान का परिणाम कंपनी के कारपोरेट कार्यालय में **मंगलवार 24 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11.30 बजे (भा.मा.स.)** घोषित किया जाएगा। परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.dlf.in** और कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** तथा पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालयों के सूचनापट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा एवं बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को संवीक्षकों की रिपोर्ट के साथ सूचित किया जाएगा।

कृते डीएलएफ लिमिटेड
हस्ता/-
(सुभाष सेतिया)
कम्पनी सचिव
गुरुग्राम
22 अगस्त, 2019

द करूर वैश्य बैंक लि.
KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल, सामने मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड करोलबाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत जारी

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.05.2019 जारी कर ऋणधारकों (1) श्री राज कुमार राठी, पुत्र पूरण चन्द राठी; (2) श्रीमती आकृति राठी, पत्नी सौरभ राठी; (3) श्रीमती सोनल राठी, पत्नी उदित राठी; (4) श्रीमती दिव्या राठी, पत्नी श्रीवर्धन राठी; (5) श्रीमती सुषमा राठी, पत्नी राज कुमार राठी, सभी निवासी 26ए, साधना एन्क्लेव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,24,97,942.57 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख सत्तानवे हजार नौ सौ बयालिस तथा पैसे सत्तावन मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.05.2019 जारी कर ऋणधारकों (1) श्री श्रीवर्धन राठी, पुत्र श्री प्रदीप राठी; (2) श्रीमती आकृति राठी, पत्नी सौरभ राठी; (3) श्रीमती सोनल राठी, पत्नी उदित राठी; (4) श्रीमती दिव्या राठी, पत्नी श्रीवर्धन राठी; (5) श्रीमती सुषमा राठी, पत्नी राज कुमार राठी, सभी निवासी 26ए, साधना एन्क्लेव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,06,71,304.45 (रुपये एक करोड़ छः लाख इकहत्तर हजार तीन सौ चार तथा पैसे पैंतालिस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 21 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 2,31,69,247.02 (रुपये दो करोड़ इक्कतीस लाख उन्हत्तर हजार दो सौ सैंतालिस एवं पैसे दो मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
ग्राम डेरा मंडी, तहसील हौज खास, मेहरौली, नई दिल्ली की राजस्व सम्पदा में स्थित मुस्तैल एनआई 98, किल्ला नं. 13, मिन (2-8) में शामिल लगभग 4 बीघा 16 बिसवा की माप की गैर-कृषि खाली भूमि तथा चौहद्दी इस प्रकार हैः
उत्तरः अन्य फार्म हाउस, दक्षिणः 20' चौड़ी सड़क
पूर्वः उक्त भूमि का शेष भाग पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क/मल्होत्रा का फार्म हाउस नं. 66

स्थान: दिल्ली मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 21.8.2019 द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

JSL JINDAL STAINLESS
जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड
CIN: L26922HR1980PLC010901
पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 (हरियाणा)
फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499
निवेशकों हेतु ई-मेल आईडी: investorcare@jindalstainless.com
वेबसाइट : www.jslstainless.com

सार्वजनिक सूचना - शेयर सर्टिफिकेट की गुमशुदगी

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं। यदि इस सूचना के प्रकाशन के सात दिनों तक वैध आपत्ति नहीं मिली तो कम्पनी इनके स्थान पर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देगी।

कम्पनी के प्रति शेयर 2/- रुपये अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
37926	धर्मेंद्र मदनलाल कोठारी	411001	59816846-59816955	110
474846	नवीन वी दोषी	411242	85610706-85610840	135
55504	सतोष टोडी	429621	61829276-61829550	275

कम्पनी के प्रति शेयर 10/- रुपये अंकित मूल्य के पुराने इक्विटी शेयर (9.3.2004 से पहले जारी)

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
37926	धर्मेंद मदनलाल कोठारी	204908	21097265-21097272	6
904713	रामदास नागर	229677	22721595-22721659	65
103125	श्रेनिक शाह; निशिता शाह	215636	21667618-21667633	16

कृते जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड
हस्ता/-
(नवनीत रघुवंशी)
कम्पनी सचिव
तिथि : 21 अगस्त, 2019
स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India
वजीराबाद रोड़ शाखा
गरिमा गार्डन, वजीराबाद रोड़, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005
Phone No. 0120-2898703 Email: wazirabadroad.ghaziabad@bankofindia.co.in
Ref. No. WR: ADV: 2019-20:6261-09 Date: 20-08-2019

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इण्डिया, का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **04.06.2019** को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता **श्री अमित चौधरी पुत्र श्री अशोक चौधरी और श्रीमति अनिता चौधरी पत्नी श्री अमित चौधरी, प्लॉट नम्बर-88, खसरा न.-1614, कैलाशपुरम, गांव सदरपुर, डासना, गाजियाबाद, यूपी** को मांग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि **रू. 35,56,161.35+ 02.05.2019 से आगे का ब्याज (पैतीस लाख, छप्पन हजार एक सौ इकसठ और पैतीस पैसे)** को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।
ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **20.08.2019** को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इण्डिया, वजीराबाद रोड़ शाखा** को देय धनराशि **रू. 35,56,161.35+ 02.05.2019 से आगे का ब्याज (पैतीस लाख, छप्पन हजार एक सौ इकसठ और पैतीस पैसे)** को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था जो कि शुल्क सहित देना होगा।
सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रितकिया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ईक्यूएम में प्लॉट नम्बर-88, खसरा नम्बर-1614, कैलाशपुरम, गांव सदरपुर, डासना, गाजियाबाद, यूपी में स्थित सम्पत्ति जो श्री अमित चौधरी पुत्र श्री अशोक चौधरी के नाम है। सीमाएं:

रजिस्ट्री के अनुसार	मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार
पूर्व: 30 फुट चौड़ी सड़क	30 फुट चौड़ी सड़क
पश्चिम: प्लॉट न.-79 और 80	प्लॉट न.-79 और 80
उत्तर: प्लॉट न.-87	प्लॉट न.-87 (श्री कांति पंडित का मकान)
दक्षिण: प्लॉट न.-89	प्लॉट न.-89 (श्री सुन्दर लाल का मकान)

दिनांक: 20.08.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: गाजियाबाद **बैंक ऑफ इंडिया**

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
सम्पर्क का पता: 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, मो.: 7290010751

मांग सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में,
1. अंजू कपूर, एच.नं. 643ए, अर्बण ईस्टेट, सेक्टर-7, करनाल, हरियाणा-132001
2. रमण कपूर, पत्नी सुशील कपूर, एच.नं. 643ए, अर्बण ईस्टेट, सेक्टर-7, करनाल, हरियाणा-132001
3. रमण कपूर मै. टॉपलाइन पब्लिकेशन्स, 1/643, सेक्टर-7, अर्बण इस्टेट, करनाल, हरियाणा-132001
4. रमण कपूर मै. कपूर एण्टरप्राईजेज (गर्ल्स स्कूल के निकट) भोजपुर, सुन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश-175002

प्रिय महोदय/महोदया
एलएएन 5298749 में 30.9.2015 को टीसीएफएसएल की दिल्ली शाखा द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 15 जुलाई, 2019 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये रु. 1,36,89,650.68 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख नवासी हजार छः सौ पचास तथा पैसे अड़सठ मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 जुलाई, 2019 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 15 जुलाई, 2019 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 5298749 में रु. 1,36,89,650.68 (एक करोड़ छत्तीस लाख नवासी हजार छः सौ पचास तथा पैसे अड़सठ मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूची
मकान म्यूनिसिपल सं./ 643, सेक्टर-7, हुडा करनाल, तहसील एवं जिला करनाल, हरियाणा, माप 358.80 वर्ग यार्ड्स लगभग, अर्बण इस्टेट करनाल, हरियाणा-132001 जिसका विशेष विवरण कॉन्वीयंस डीड 2241/1 तिथि 10.7.1998 में दिया गया है।

एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

(आयन भट्टाचार्य)
स्थान: नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 23.8.2019 **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

भारत सीट्स लिमिटेड
CIN: L34300DL1986PLC023540
पंजी. कार्यालयः 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
फोनः +919643339870-74, **फैक्सः** 0124-2341188
ई-मेल: Investor_relations@bharatseats.net
वेबसाईट: www.bharatseats.com

32वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत सीट्स लिमिटेड के सदस्यों की 32वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 19 सितम्बर, 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ उपस्थिति पर्ची का सदस्यों (जिन्होंने ईमेल आईडी प्रस्तुत नहीं किए हैं) के लिए प्रेषण 22 अगस्त, 2019 को पूरा कर लिया गया है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा ईमेल द्वारा ऐसे सदस्यों को भेज दी गई है जिन्होंने कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपने ईमेल-आईडी'ज दर्ज कराए हैं।
सदस्यगण सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मतदान/मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम सूचना की टिप्पणी के टिप्पणी सं. 22 में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने से पूर्व निर्देशों को सावधानी-पूर्वक देख लें। मताधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि अर्थात् 12 सितम्बर, 2019 को सदस्यों/लाभ भोगी स्वामी के नाम में पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 12 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हैं, वे भी एजीएम की सूचना की टिप्पणी में टिप्पणी सं. 22 में वर्णित निर्देशों का ही अनुसरण करें।
स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में मतदान प्रक्रिया, मत पत्र तथा ई-वोटिंग दोनों का पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक मंडल ने श्री आर.एस. भाटिया, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएसः 2599, सीपी नं. 2514) को तथा उनकी विफलता में मोह. अकबर, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एसीएसः 43323, सी. पी. नं. 16097) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 16 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा बुधवार, 18 सितंबर, 2019 को 5.00 बजे सायं में बंद होगी। कृपया ध्यान रहे कि 18 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एजीएम स्थल पर सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया हो, को मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो वे सभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
यह सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईटः www.bharatseats.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी समस्या को अधोहस्ताक्षरी को संबोधित किया जा सकता है।
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकों शुक्रवार 13 सितम्बर, 2019 से गुरुवार, 19 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा तथा 19 सितम्बर, 2019 को 32वें एजीएम में शेयरधारकों द्वारा यदि घोषित होता है, इक्विटी शेयरों पर शेयरधारकों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

भारत सीट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(रीतु बक्शी)
कंपनी सचिव
तिथि: 22.8.2019
स्थान: नई दिल्ली
ई-मेल: investor_relations@bharatseats.net

नेपाल व भारत ने की संबंधों की समीक्षा

काठमांडो, 22 अगस्त। विदेश मंत्री एस. जयशंकर व उनके नेपाली समकक्ष प्रदीप ज्ञवाली ने संपर्क व आर्थिक साझीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पांचवीं नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठक में सहयोग संबंधी मामलों पर चर्चा की। (**भाषा**)

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल,
नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी याचिका सं. (सीएए) 95(एनडी)/2019
से संबंधित
कंपनी आवेदन सं. 46(एनडी)/2019
के मामले में :
कंपनीज (वचनबद्धता, प्रबंधन व समामेलन) नियम, 2016 के नियम 16(2) के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230-232
और
के मामले में :
क्रास बॉर्डर इम्पोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय डीबी-101-एफ, डीडीए फ्लैट्स, हरि नगर, नई दिल्ली-110064
(हस्तांतरणकर्ता कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी 1)
के साथ
निश्चय हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 1004, 10वीं मंजिल मर्सेन्टाइल हाउस, 15 के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
(हस्तांतरिती कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी 2)

याचिका की सूचना

निश्चय हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरिती कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी 2) के साथ क्रास बॉर्डर इम्पोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी 1) द्वारा कंपनी समामेलन की प्रबंधन की योजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 व अन्य लागू प्रावधानों के तहत एक याचिका प्रस्तुत की थी और 11 जुलाई, 2019 को सुनवाई के लिए पेश की गई थी व नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुख्य बेंच, नई दिल्ली के समक्ष उक्त याचिका की सुनवाई के लिए 03 सितंबर, 2019 निर्धारित की गई है।

उक्त याचिका के समर्थन या विरोध का इच्छुक कोई व्यक्ति, अपने नाम व पते के साथ अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपनी इच्छा की सूचना याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को भेज सकते हैं, जो याचिका की सुनवाई की तिथि से कम से कम 02 (दो) दिन पहले याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता पास पहुंच जानी चाहिए। जहां वह याचिका का विरोध करता है तो विरोध के आधार या हलफनामे की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ तैयार की जानी चाहिए। याचिका की प्रति किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उसके निर्धारित भुगतान के बाद अधोहस्ताक्षरी द्वारा तैयार की जाएगी।

हस्ता/-
सुमन कुमार झा/अफनान सिद्दकी
(याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए अधिवक्ता)
कार्पोरेट प्रोफेशनल
एडवाइजर एण्ड एडवोकेट
डी-28, साउथ एक्सटेंशन-I
नई दिल्ली-110049

दिनांक : 22.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

फार्म ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
{भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत}
रॉयल किचन एप्लाइंसेज प्रा. लि. के लेनदारों के ध्यानार्थ

संगत विवरण		
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स रॉयल किचन एप्लाइंसेज प्रा. लि.
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	24.07.2014
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कंपनी पंजीयक, दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान सं.	CIN U74140DL2014PTC269420
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय, (यदि कोई हो), का पता	सी–50 एनडीएसई–1, नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली 110048, भारत
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	19.08.2019 को आदेश पारित (आरपी द्वारा 22.08.2019 को सूचना प्राप्त)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	15.02.2020 (दिवाला प्रारंभ तिथि शुरू होने से 180 दिन)
8.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने के लिए अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	सीए संदीप जैन आईबीबीआई/आईपीए–001/आईपी/पी–01740/2019–2020/12622
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का पता एवं ई–मेल	सी–5/527, मिलन विहार अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 72, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, नजदीक मैक्स अस्पताल, दिल्ली–110092 ई–मेल: sandeep@spjca.in
10.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई–मेल	कृते एसएसपीजे एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 105, प्रथम तल, रूट्स टॉवर, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली–110092 ई–मेल: sandeep@spjca.in
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	05.09.2019
12.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार धारा 21 की उपधारा (6ए) के अनुच्छेद (ख) के अधीन लेनदारों का वर्ग, यदि कोई हो	लागू नही
13.	एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए निर्धारित किये गये इनसॉल्वेसी प्रोफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग में तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संगत फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध रहने का विवरण	वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 19.08.2019 को रॉयल किचन एप्लाइंसेज प्रा. लि. के विरूद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

रॉयल किचन एप्लाइंसेज प्रा. लि. के लेनदारों को एतद्द्वारा नीचे मद 10 में वर्णित पते पर अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास 05.09.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपने दावों को जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के अधीन सूचीबद्ध अनुसार वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार को फार्म सीए में वर्ग (लागू नहीं) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के अधीन तीन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से अपनी पसंद का एक अधिकृत प्रतिनिधि चुनना होगा।

दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

दिनांक: 23.08.2019
स्थान: दिल्ली

सीए संदीप जैन
अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम एवं हस्ताक्षर

दक्षिण एशिया में संतुलित रुख रखना चाहता है अमेरिका

वाशिंगटन, 22 अगस्त (भाषा)।

भारत द्वारा जम्मू–कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद अमेरिका दक्षिण एशिया में संतुलित रुख चाहता है। यह बात 'कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस' की रिपोर्ट में कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि कश्मीर संबंधी इस कदम के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता संबंधी पेशकश का भी योगदान रहा होगा।

'कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस' (सीआरएस) की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर को लेकर लंबे समय से अमेरिका का रुख यही रहा है कि यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए कश्मीरी लोगों की भावनाओं पर गौर करते हुए सुलझाया जाना चाहिए। पंद्रह से अधिक पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए और अमेरिका–भारत की व्यापक साझेदारी को देखते हुए संतुलित रुख रखना चाहता है।

भारत से अब वार्ता का इच्छुक नहीं पाकिस्तान : इमरान

इस्लामाबाद/न्यूयॉर्क, 22 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अब उनका देश भारत के साथ वार्ता करने का इच्छुक नहीं है क्योंकि वह शांति वार्ता की पेशकश कई बार ठुकरा चुका है। हालांकि भारत ने इमरान के इस दावे को खारिज कर दिया।

भारत ने इमरान खान का दावा खारिज किया

इस महीने की शुरुआत में जम्मू–कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद भारत की आलोचना के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए खान ने समाचार पत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' से कहा कि उन्हें दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ने का डर है। खान ने कहा कि उनसे (भारत से) बात करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, मैंने हर तरह से बात कर ली। दुर्भाग्यवश, अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी ओर से शांति और संवाद के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों को उन्होंने तुष्टीकरण के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।

अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने खान के आरोपों को खारिज कर दिया। श्रृंगला ने न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड से मिलने गए थे। उन्होंने कहा, 'हमारा अनुभव है कि हमने जब भी शांति की पहल की, यह हमारे लिए बुरी साबित हुई। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापित कार्रवाई करेगा।' भारत ने जनवरी 2016 में पठानकोट में वायुसेना अड्डे पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के हमले के बाद से वार्ता रोक रखी है।

भारत व बांग्लादेश के संबंध इतने अच्छे पहले कभी नहीं रहे : अकबरुद्दीन

संयुक्त राष्ट्र, 22 अगस्त (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध इतने अच्छे पहले कभी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान का मानना था कि पड़ोसियों के बीच संबंध इतने अच्छे होने चाहिए कि वे मिसाल बनें और भारत एवं बांग्लादेश के मौजूदा संबंध मुजीबुर्रहमान की इसी विरासत एवं विश्वास को श्रद्धांजलि हैं।

अकबरुद्दीन ने बांग्लादेश के संस्थापक नेता की 44वीं पुण्यतिथि पर बांग्लादेश के स्थाई मिशन द्वारा पिछले सप्ताह आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, 'बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध शायद पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे। यह बंगबंधु की विरासत को श्रद्धांजलि है।' अकबरुद्दीन ने 'रिमेम्बरिंग बंगबंधु–ए वॉयस फॉर द ऑप्रेस्ड' कार्यक्रम में बताया कि मुजीबुर्रहमान की बेटी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनके इस विचार को अच्छे से आत्मसात किया है कि 'पड़ोसियों के बीच संबंध मिसाल होने चाहिए और हम खुश हैं कि हमारे संबंध और मजबूत हो रहे हैं'। उन्होंने कहा कि बंगबंधु की यात्रा लोकतंत्र में उनके अटूट विश्वास, सामाजिक न्याय एवं सांस्कृतिक समावेशिता और पहचान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके कारण बांग्लादेश आजाद हुआ।' संयुक्त राष्ट्र में हम आज इन सभी मूल्यों को संजोते और उन्हें आगे बढ़ाते हैं।'

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
(भारत सरकार का उपक्रम)
जेड ओ एस ए आर बी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482,
ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

शुद्धि पत्र

दिनांक 08.08.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि **मैसर्स वर्धमान बिल्डटेक प्रा. लि. (क्र.सं. 8)** की सम्पत्ति की ई–नीलामी दिनांक 27.08.2019 को होनी थी, हम आम जनता को सूचित करते है कि इस खाते की सम्पत्ति की ई–नीलामी को रद/निरस्त करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23-08-2019
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

भारत व अन्य को भी अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ना होगा : ट्रंप

वाशिंगटन, 22 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से सात हजार मील दूर होने के बावजूद वहां आतंकवादियों से लड़ रहा है जबकि भारत और पाकिस्तान उसके पड़ोसी होने के बावजूद ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन एक समय आएगा जब भारत, ईरान, रूस और तुर्की जैसे देशों को भी इसके खिलाफ लड़ना होगा।

ट्रंप ने अफगानिस्तान में आइएस के फिर से उभरने संबंधी प्रश्न पर वाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि एक समय आएगा जिन देशों के आसपास आइएस है, वे उनके खिलाफ लड़ेंगे 'क्योंकि हम क्या अन्य 19 वर्ष वहां रहना चाहते है? मुझे नहीं लगता। इसलिए एक समय ऐसा आएगा जब अन्य देश इनके खिलाफ लड़ेंगे, जिनमें रूस, ईरान, तुर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं।' ट्रंप ने यह बयान देने से एक दिन पहले संकेत दिया था कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों को पूरी तरह वापस नहीं बुलाया जाएगा और अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को वहां' जरूर रखेगा कि तालिबान वहां फिर से नियंत्रण न हासिल कर सके।

ट्रंप ने कहा, 'देखिए, भारत वहां है। वे इससे नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पड़ोसी है। वे बहुत कम लड़ रहे हैं। यह उचित नहीं है। अमेरिका 7000 मील दूर है।' उन्होंने कहा, 'मैं आइएस के बारे में काफी कुछ सुन रहा था। हमने खलीफा का सौ फीसद खात्मा किया। मैंने जब 98 फीसद खात्मा किया तो मैंने कहा कि ठीक है, हम शायद अब घर जाएंगे, अब इन देशों को आने दीजिए। सब घबरा गए। उन्होंने कहा कि सौ फीसद खात्मा कीजिए।

उन्होंने कहा कि इसमें एक साल का समय लगेगा। मुझे एक महीना लगा और वे खत्म हो गए।' उन्होंने कहा कि अमेरिका में अभी हजारों आईसलड़ाकू कैद हैं और यूरोप को उन्हें लेना होगा। ये यूरोप से आए हैं और हम इन्हें वापस उनके पास भेजना चाहते हैं लेकिन यूरोप उन्हें नहीं लेता है तो उन्हें उन देशों में छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा जहां से वे आए हैं। ये देश जर्मनी और फ्रांस हैं।

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
कपूर वूलटैक्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1993PTC052731)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **188 सीबी रिंग रोड़ नारायणा, नई दिल्ली-110028** में हैं, के मामले में
....**आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **27 जुलाई, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हो, एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा उसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **188 सीबी रिंग रोड़ नारायणा, नई दिल्ली-110028** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **कपूर वूलटैक्स प्राइवेट लिमिटेड**
दिनांक: 22 अगस्त 2019
स्थान: नई दिल्ली
आशीष कपूर (निदेशक)
डीआईएन: 00824885

आइकॉन रबर प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
CIN No. : U25199DL1997PTC088562
पंजी. कार्यालय: शॉप नं. 4474, प्रथम तल, मैन बाजार पहाड़ गंज, नई दिल्ली–110052
सूचना
प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली के समक्ष
तथा
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
आइकॉन रबर प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय शॉप नं. 4474, प्रथम तल, मैन बाजार पहाड़ गंज, नई दिल्ली–110052 में है, के मामले में
.... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 12 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

शॉप नं. 4474, प्रथम तल, मैन बाजार पहाड़ गंज, नई दिल्ली–110052

कृते एवं के लिये, आवेदक
आइकॉन रबर प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
शैलेन्दर कुमार गर्ग, निदेशक
DIN No.: 00066103

तिथि– 20 अगस्त, 2019
स्थान– दिल्ली

वाणिज्य मंत्रालय जल्द नई विदेश व्यापार नीति जारी करेगा

नई दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा)।

वाणिज्य मंत्रालय अगले पांच साल के लिए जल्द नई विदेश व्यापार नीति जारी करेगा। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नई विदेश व्यापार नीति में अगले पांच वित्त वर्षों 2020 से 2025 के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए नियमों, तौर तरीकों और प्रोत्साहनों का ब्योरा होगा।

अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय नई नीति को अंतिम रूप दे रहा है। पुरानी नीति की वैधता अवधि 31 मार्च, 2020 तक है। अधिकारी ने कहा कि हमने इस बारे में सभी हितधारकों के विचार ले लिए हैं। नई नीति की घोषणा सितंबर अंत या अक्तूबर के शुरू में की जाएगी। नई नीति निर्यातकों और आयातकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने पर केंद्रित होगी। इसके अलावा इसमें निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनों पर भी गौर किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाला विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) नीति तैयार कर रहा है।

नीरव मोदी की हिरासत अवधि 19 सितंबर तक बढ़ी

लंदन, 22 अगस्त (भाषा)।

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत अवधि गुरुवार को 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है। उनकी भारत प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई अगले साल मई में होने की उम्मीद की जा रही है। वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत के न्यायाधीश टैन इकरम ने वीडियो लिंक के जरिए इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई की।

उन्होंने नीरव मोदी को बताया कि 19 सितंबर को वीडियो लिंक के जरिए अगली सुनवाई होगी और तभी प्रत्यर्पण की सुनवाई की तारीखों की जानकारी दी जाएगी। इकरम ने अदालत के लिपिक से पांच दिन की प्रत्यर्पण सुनवाई 11 मई, 2020 से शुरू करने के प्रस्ताव की पुष्टि करने को कहा। नीरव मोदी करीब दो अरब डॉलर की बैंक धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित है। उसे मार्च में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह तब से स्थानीय वैंड्सवर्थ कारावास में है। ब्रिटेन के कानून के आधार पर उसे हर चार सप्ताह के बाद हिरासत की अवधि को बढ़ाने के लिए अदालत में पेश किया जाता है। इससे पहले पिछली पेशी में मुख्य न्यायाधीश एम्मा अर्बथनॉट ने संकेत दिया था कि दोनों पक्ष प्रत्यर्पण के लिए प्रस्तावित पांच दिन की सुनवाई पर जल्दी ही सहमत हो सकते हैं।

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र
बागोर की हवेली, गणगौर घाट, उदयपुर (राज.)-313001
दूरभाष : 02094-2523858, 2422567
एफ- 10/प्रलेखन/2019-20/ दिनांक : 22 अगस्त 2019

निविदा सूचना संशोधन

इस कार्यालय द्वारा वीडियो प्रलेखन कार्य एवं डॉक्यूमेंट्री निर्माण कार्य जिसमें फुल एच.डी. सोनी फॉर्मेट FX7 वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर इत्यादि कार्य हेतु आमंत्रित निविदा सूचना संख्या-6 दिनांक 16 अगस्त 2019 में धरोहर राशि रूपये 3000/- के स्थान पर रूपये 13000/- (तेरह हजार) पढ़ा जावे जो डिमांड ड्राफ्ट से जमा कराई जा सकेगी। निविदा की अन्य नियम व शर्तें पूर्वानुसार होंगी।
निदेशक

सूचकांक 587 अंक टूटा

मुंबई, 22 अगस्त। आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए प्रोत्साहन पैकेज को लेकर सरकार के अधिकारी द्वारा इनकार किए जाने के बाद गुरुवार को शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट रही। कमजोर वैश्विक रुख के बीच बैंकिंग और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली से सेंसेक्स 587 अंक टूट गया। रुपए में भी कमजोरी रही और यह अपने आठ माह के निचले स्तर पर आ गया। इससे भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स गुरुवार को 587.44 अंक यानी 1.59 फीसद के नुकसान से 36,472.93 अंक पर आ गया। कारोबार के दौरान यह 36,391.35 अंक से 37,087.58 अंक के दायरे में रहा। (**भाषा**)

निवेश प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत : नीति आयोग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 अगस्त।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों की आशंकाओं को दूर किया जा सके और वे निवेश के लिए प्रोत्साहित हों। आर्थिक नरमी को लेकर चिंता के बीच उन्होंने यह बात कही। उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में बने अप्रत्याशित दबाव से निपटने के लिए लीक से हटकर कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि निजी निवेश तेजी से बढ़ने से भारत को मध्यम आय के दायरे से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

कुमार ने वित्तीय क्षेत्र में दबाव को अप्रत्याशित बताया। उन्होंने कहा कि किसी ने भी पिछले 70 साल में ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया जब पूरी वित्तीय प्रणाली में जोखिम है। उन्होंने कहा–सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों की आशंकाओं को दूर किया जा सके और वे निवेश के लिए प्रोत्साहित हों। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि कोई भी किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहा है। निजी क्षेत्र के भीतर कोई भी कर्ज देने को तैयार नहीं है। हर कोई नकदी लेकर बैठा है। आपको लीक से हटकर कुछ कदम उठाने की जरूरत है।

इस बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि वित्तीय क्षेत्र में दबाव से निपटने और आर्थिक वृद्धि को गति के लिए केंद्रीय बजट में कुछ कदमों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2018–19 में वृद्धि दर 6.8 फीसद रही जो 5 साल का न्यूनतम स्तर है।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
सर्किल कार्यालय – 9–ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, एसबीआई क्षेत्रीय कार्यालय के पास, कोटा, पिन–324007, ई–मेल : co.kot@obc.co.in

अधिवक्ताओं को बैंक के पैनल पर सूचीबद्ध करने हेतु विज्ञापन

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने पैनल पर रखने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन करने वाले अधिवक्ता, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की परिभाषा के अंतर्गत संबंधित राज्य विधिक परिषद् में पंजीकृत हों, जिनके पास बैंकिंग नियमों, ऋण वसूली अधिकरण एवं ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण मामले/ राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण/उच्च न्यायालय, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सरफेसी अधिनियम, 2002 से संबंधित मामलों, कॉरपोरेट कानून, सेवा संबंधित मामले, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष न्यायिक मामले, सिविल, उपभोक्ता एवं आपराधिक मामले, एन.आई. एक्ट, मध्यस्थता एवं सुलह के मामले, वसूली के मुकदमे, संपत्ति खोज रिपोर्ट आदि का अपेक्षित अनुभव हो। इच्छुक अधिवक्ता बैंक के मण्डल कार्यालय कोटा जिसमें राजस्थान राज्य के जिले कोटा, टोंक, उदयपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बांसवाड़ा शामिल हैं, अतः मण्डल कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं/कार्यालयों के लिए अपने आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं। बैंक के पैनल पर पूर्व में पंजीकृत एवं पैनल में बने रहने हेतु इच्छुक अधिवक्ता नए सिरे से आवेदन करें। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in अवश्य देखें। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 07.09.2019 सायं 05.00 बजे तक है। **मण्डल कार्यालय उदभ्व व क्लासिक कोटा**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, प्रथम तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 (फोन : 011–25854313) नई दिल्ली–110025 ई–मेल : bo4168@pnb.co.in

सार्वजनिक सूचना

महेश कुमार मोहनानी

सुरेश कुमार मोहनानी

मनोज कुमार मोहनानी

खाते का नाम : मैसर्स वासरी (Vasari) इंडिया (प्रा.) लि. एवं मैसर्स सुन्द्री (Sundri) अपैरल्स (इंडिया) प्रा. लि.
कर्जदार : श्री महेश चन्द मोहनानी, श्री मनोज कुमार मोहनानी एवं श्री सुरेश कुमार मोहनानी
बकाया राशि : रू. 3422.01 लाख + 18–10–2010 की प्रभावी तिथि से ब्याज एवं अन्य प्रभार – चुकाई गई राशि, यदि कोई

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि मैसर्स वासरी (Vasari) इंडिया (प्रा.) लि. एवं मैसर्स सुन्द्री (Sundri) अपैरल्स (इंडिया) प्रा. लि. ने बैंक से रू. 3300 लाख का ऋण प्राप्त किया है तथा ऋण चुकाने में की गई चूक के कारण खाता 18–10–2010 को एनपीए घोषित किया जा चुका है। कर्जदार को बैंक द्वारा "साशय चूककर्ता" घोषित किया जा चुका है।

कर्जदार बैंक को रू. 3422.01 लाख की राशि उस पर 18–10–2010 की प्रभावी तिथि से भावी ब्याज तथा अन्य लागतों/राशियों सहित चुकाने का भागी है, जिसके लिए बैंक ने उसके विरूद्ध वसूली कार्यवाही आरंभ कर दी है।

जनहित में, यह सूचना दी जाती है कि बैंक द्वारा साशय चूककर्ता घोषित किए जाने के कारण, कर्जदार किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

तिथि : 16–08–2019, स्थान : नई दिल्ली
शाखा प्रमुख (ब्रान्च हेड)

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
समाधान वसूली व विधि विभाग, फरीदाबाद नीलम चौक एनआईटी, फरीदाबाद–121002 (हरियाणा)
फोन: 0129-2415525, ई–मेल: rrl_7622@obc.co.in

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खाते का नाम (कर्जदार)	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख / बकाया राशि (रू. में)	अचल सम्पत्तियों का विवरण
मैसर्स दीप मोटर्स	01-06-2019 / 21-08-2019 / ₹ 17,74,050.00 और दिनांक 31.07.2019 तक होने वाला ब्याज	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति साम्यिक बंधक सम्पत्ति क्षेत्रफल 311 वर्ग गज, कंएच नं. 45/17,18/1/2 का हिस्सा, एन एच –2, गांव सिकरी तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – जे एस टॉवर (वर्तमान में एसबीआई बैंक), पश्चिम में – एनएच–2
श्री गुरुमीत सिंह वालिया पुत्र स्व. श्री राज कुमार सिंह वालिया	10-06-2019 / 21-08-2019 / ₹ 26,31,924.17 और दिनांक 31.05.2019 तक होने वाला ब्याज	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 11, ब्लॉक–8, प्रथम तल, क्षेत्रफल 538 वर्ग फीट, बिना छत के अधिकार, दक्षिणी हिस्सा, स्प्रिंग फिल्ड कॉलोनी एक्सटेंशन, सैक्टर–31, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री गुरमीत सिंह वालिया पुत्र स्व. श्री राज कुमार सिंह वालिया के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – प्लॉट नं. 10, पूरब में – शेर शाह सूरी रोड, पश्चिम में – प्लॉट नं. 12

दिनांक : 21.08.2019, स्थान : फरीदाबाद (हरियाणा)
प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR
Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur-302004
No. JDA/OSD(RM)/2019-20/D-1123 Date: 21.08.2019

GRAND E-AUCTION
of Residential Plot in Khasra No. 202 to 210 & 204/503, 210/504, Village Bhojpura, Lal Kothi Scheme, Jaipur

S.No.	Detail of Property	Area (Sq.Mt.)	Area of Construction	Registration Fee for participation in Auction (Non Refundable)(Rs.)	EMD (Rs.)	BSP (Per Sq.Mt.) (Rs.)	Starting Date & Time for Depositing EMD	Last Date & Time for Depositing EMD	Bidding Start Date & Time	Bidding End Date & Time*
1	Residential Plot no. 12	667.46	As per Rule	5,000/-	30 Lacs	70,000/-	22/08/2019 00:00 Hrs	03/09/2019 23:00 Hrs.	22/08/2019 01:00 Hrs.	06/09/2019 15:00 Hrs.

Note : *Bid Extension : The bidding time will be extended for further 5 minutes (unlimited times till bids are receiving continuously). If no bid is received within the extended period the bidding will be closed automatically. For further Details Please Log on JDA Website : www.jda.urban.rajasthan.gov.in or e-Auction link or contact, OSD (RM) 0141-2570678, 2569696 Ex.-7021, 7226, 1128 Mob. No. 9414322559 & Deputy Commissioner Zone-3, Mob.No. 9414264604. For site visit and other information of plot, please contact to Shri Suresh Mathur, Executive Engineer Mob. No. 9414047222 and Shri Dharmendra Sharma, Executive Engineer Mob. No. 9887515154.
Samwad/C/2163/2019-2020 OSD (RM)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एनकेएस विला गांधी गंज गढ़ रोड, हापुड़ – शाखा

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा नीचे दिये गये दिनांक को ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख
ऋणकर्ता:– मैसर्स नीरज प्लास्टिको, श्री चमन लाल कोहली (प्रोपराइटर), धनश्यामपुरा, गढ़ रोड, हापुड़ –245101 निवासी – 475 सूरज गंज रेलवे रोड हापुड़ –245101 बंधककर्ता/ गारंटरकर्ता :– श्री नीरज कोहली पुत्र श्री चमन लाल कोहली द्वारा नीरज प्लास्टिक, धनश्यामपुरा, गढ़ रोड, हापुड़ –245101 निवासी – 475 सूरज गंज रेलवे रोड हापुड़ –245101 गारंटरकर्ता :–श्रीमती सुशील कोहली पत्नी श्री चमन लाल कोहली, द्वारा नीरज प्लास्टिक, धनश्याम पुरा, गढ़ रोड, हापुड़ –245101 निवासी – 475 सूरज गंज रेलवे रोड हापुड़ –245101	भूमि और भवन, मुनसिपल नं. 55 (पुराना), उसके बाद नं. 57, उसके बाद नं. 288 और अब नं. 286 (वर्तमान) क्षेत्रफल 288.75 वर्गमी. स्थित मोहल्ला, धन श्यामपुरा, गढ़ रोड, जिला हापुड़ सम्पत्ति, श्री नीरज कोहली पुत्र श्री चमन लाल कोहली के नाम। सीमायें:–पूर्व: श्री कमल सिंह और अन्य लोगों का मकान, भुजा 74' पश्चिम: श्रीमती सुशीला कोहली का मकान, भुजा 45'–3'' और 26'–3'' उत्तर: रास्ता 16' चौड़ा, भुजा 37'–6'' 4'–2'', 3'–4'' और 4' दक्षिण: श्री चत्तर सिंह का मकान, भुजा 35'	03.06.2019 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि 13.06.2019 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 7371200.00 +आगामी ब्याज + अन्य शुल्क 03.06.2019 को	22.08.2019 कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 7594654.00 + आगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक– 22.08.2019 स्थान– हापुड़ प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र, "स्टारहाउस", एच-2, कनाट सर्कस, मिडिल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाज़ा हाल के पास, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-28844099

Bank of India

Relationships beyond banking.

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तु क के साथ पठित वित्तीय आस्तियोंका प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

1. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स आर्क हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक तथा गारंटीकर्ता : श्री अजय गुप्ता तथा श्रीमती रीना बंसल** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 81.93 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 54.23 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 5.42 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (व्यावसायिक) शॉप नंबर 86, डीमॉल, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110087 जोकि मेसर्स जॉयफिल सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। निर्मित दुकान का क्षेत्रफल: 326 वर्ग फीट तथा सुपर बिल्ट अप एरिया: 652 वर्ग फीट
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री एस. सी. गौतम,
स्थान : नई दिल्ली फोन – 011–23280192

2. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **प्रलक्षित कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स जीआरवी एंटरप्राइजेज, पार्टनर्स : श्री अरुण शर्मा, डॉ. नीरा गर्ग, श्री एन. ए. गौरव** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 90.30 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 129.60 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 12.96 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (आवासीय) हाउस नंबर R–30, मॉडल टाउन, सोनीपत, हरियाणा–131001 जो डॉ नीरा गर्ग के स्वामित्व में है। क्षेत्रफल : 350 वर्ग गज
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री एस. सी. गौतम,
स्थान : नई दिल्ली फोन – 011–23280192

3. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **उधारकर्ता : श्री राजीव शर्मा और गारंटर: श्री नवनीत सिंह** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 21.94 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 16.34 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 1.63 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (आवासीय) प्रथम तल, 4 / 440, (ओल्ड सं 252), खसरा नं 506 / 513 / 514 और 534, गली नंबर 12, भोलानाथ नगर, गांव चंद्रावली उर्फ शाहदरा, दिल्ली–110032, श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री वी.डी. शर्मा के नाम पर। क्षेत्रफल: 50 वर्ग गज
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री एस. सी. गौतम,
स्थान : नई दिल्ली फोन – 011–23280192

4. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **उधारकर्ता : श्री राजीव शर्मा और गारंटर : श्री नवनीत सिंह** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 25.07 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 16.43 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 1.64 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (आवासीय) फ्लैट दूसरे तल पर, (छत के अधिकार के साथ) संपत्ति संख्या 252, नयी संख्या 4 / 440, गली संख्या 12, भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली–110032, श्री राजीव शर्मा के नाम पर। क्षेत्रफल: 41.80 वर्ग मीटर
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री सुवेन्दु दास,
स्थान : नई दिल्ली फोन – 011–23971045

5. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स कैपिटल ऑटो रबर प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड, निदेशक और गारंटर : श्री वेद प्रकाश चतरथ, श्री भरत चतरथ, श्री पंकज चतरथ, श्रीमती चन्द्र कांता चतरथ** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 773.27 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 678.08 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 67.81 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (औद्योगिक भूमि तथा भवन) प्लॉट नंबर 137, रोज–का–मेओ, औद्योगिक क्षेत्र, सोहना, जिला, गुड़गांव, हरियाणा–122103 जो मेसर्स कैपिटल ऑटो रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। क्षेत्रफल : 7350 वर्ग मीटर या 8790.60 वर्ग गज
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री एस. के. सिंगला,
स्थान : नई दिल्ली फोन – 011–28865059

6. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **उधारकर्ता : श्री नन्द किशोर गौतम तथा गारंटर : श्री पुनीत कुमार गुप्ता** से बैंक ऑफ इंडिया की **12.86 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 35.00 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 3.50 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (आवासीय) 8938 / 148 परस्थित संपत्ति, प्रथम तल का पूर्वी भाग, एमसीडी नंबर 8938, वार्ड नंबर 14 बी, सिद्धिपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 जोकि श्री नंद किशोर गौतम के नाम पर है। क्षेत्रफल – 61 वर्ग गज
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 सुश्री आरती अनुजा,
स्थान : नई दिल्ली फोन – 011–65029149

7. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स गौरव मार्केटिंग, प्रोपराइटर: श्री गौरव तनेजा तथा गारंटर: श्रीमति कृष्णा तनेजा, श्रीमति सुदर्शन तनेजा** से बैंक ऑफ इंडिया की **82.82 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 28.68 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 2.87 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (आवासीय) संपत्ति सं. WZ–1621, प्रथम तल, रानी बाग, शकूर बस्ती, नई दिल्ली–110034 जोकि श्रीमती कृष्णा तनेजा के स्वामित्व में है। क्षेत्रफल: 52.25 वर्ग मीटर
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री राजेश कोहली,
स्थान : नई दिल्ली फोन – 011–28534414

8. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स तलवार एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक व गारटर : श्री प्रवेश तलवार, श्री क्रिशन कुमार पुरी तथा अन्य गारंटर : श्रीमति गुरविंदर पुरी, श्री सुमित कुमार** से बैंक ऑफ इंडिया की **354.37 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 190.00 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 19.00 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (आवासीय) संपत्ति सं. A–604 / 605, (आंतरिक रूप से जुड़े हुए दो फ्लैट), अहिंसा निकेतन, 45 DP रोड, चिंचोली, ग्रीन होटल के विपरीत, अहिंसा मार्ग, ऑफ लिंक रोड, मलाड (वेस्ट), मुंबई–400064 जोकि श्रीमती गुरविंदर पुरी के नाम पर है। क्षेत्रफल – 882 वर्ग फिट
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 सुश्री संगीता खोसला, शाखा प्रबन्धक, फोन – 011–41823676
स्थान : नई दिल्ली श्री मंगेश पाटिल, प्राधिकृत अधिकारी, फोन – 022–28881584

9. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **प्रलक्षित कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स सैनी फ्लौर मिल्स और मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स सैनी फ्लौर मिल्स – प्रोपराइटर: श्री मुकेश कुमार, गारंटर: श्रीमती इंद्रा देवी और मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग कं – प्रोपराइटर: श्री राजेश कुमार, गारंटर: श्रीमती इंद्रा देवी** से बैंक ऑफ इंडिया की **(मैसर्स सैनी फ्लोर मिल्स) रुपए 72.46 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क और (मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग कं) रुपए 51.96 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 96.95 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 9.70 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– ((आवासीय) प्लॉट स्थित केवट नंबर 902, खसरा नंबर 504 / 1 (0–3), छोटूराम पार्क, झज्जर रोड, बहादुरगढ़, हरियाणा–124507 जोकि श्रीमति इंद्रा देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार के नाम पर है। क्षेत्रफल: 130 वर्ग गज
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री मुरारी महतो,
स्थान : नई दिल्ली फोन : 011–25255045

10. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स रतन सागर ज्वेलर्स, प्रोपराइटर : श्री गिरीश भिलवाड़ा और गारंटीकर्ता : श्री हरपाल सिंह** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 186.19 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 70.36 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 7.04 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (व्यावसायिक) ग्राउंड फ्लोर पर दो बिल्ड–अप दुकानें और 1 फीट गहरी और 14 फीट लम्बी एक आलमारी के साथ (बिना छत के अधिकार के), बिल्ट–अप प्रॉपर्टी नंबर 3240, वार्ड नं XVI, गली नं. 29, खसरा नंबर 2693 / 2616, ब्लॉक नं पी, बस्ती रेगर, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 जोकि श्री हरपाल सिंह के नाम पर है। क्षेत्रफल: 210 वर्ग फीट
विक्रय के निबधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री अमित कुमार,
स्थान : नई दिल्ली फोन – 011–26329566

11. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स दौलत राम नरेश कुमार, मालिक: श्रीमती गीता रानी और गारंटर: श्री आशीष सिंघल, श्री शंकर सिंघल, श्री पवन कुमार अग्रवाल, श्रीमती संतोष कुमार अग्रवाल** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 146.31 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 8.52 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 0.85 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (व्यावसायिक) गोदाम, 2321 और 2322 में, ग्राउंड फ्लोर, गली हींगा बेग, तिलक बाजार, खारी बावली, वार्ड नंबर 3, दिल्ली–110006, श्री पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर। क्षेत्रफल: 110 वर्ग फीट
विक्रय के निबधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री शशि कांत सदाभरतीय,
स्थान : नई दिल्ली फोन – 011–23717344

12. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स दौलत राम नरेश कुमार, मालिक: श्रीमती गीता रानी और गारंटर: श्री आशीष सिंघल, श्री शंकर सिंघल, श्री पवन कुमार अग्रवाल, श्रीमती संतोष कुमार अग्रवाल** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 146.31 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 12.40 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 1.24 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (व्यावसायिक) गोदाम, 2321 और 2322 में, ग्राउंड फ्लोर, गली हींगा बेग, तिलक बाजार, खारी बावली, वार्ड नंबर 3, दिल्ली–110006, श्रीमति संतोष कुमारी अग्रवाल और श्री पावन कुमार अग्रवाल के नाम पर। क्षेत्रफल 157 वर्ग फीट
विक्रय के निबधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री शशि कांत सदाभरतीय,
स्थान : नई दिल्ली फोन – 011–23717344

13. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स श्री कृष्णा ज्वैलर्स, प्रोपराइटर : श्री गौरव गर्ग** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 32.23 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 23.00 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 2.30 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (व्यावसायिक) दुकान नंबर 2, जी–40, छत अधिकार के बिना, खसरा नंबर 31 / 4, ग्राम खयाला आबादी, शाम नगर, नई दिल्ली–110018 जोकि श्रीमती सूची गर्ग के नाम पर है। क्षेत्रफल – 120 वर्ग फीट
विक्रय के निबधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री मुरारी महतो,
स्थान : नई दिल्ली फोन : 011–25255045

14. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **उधारकर्ता : श्री मुकेश सिंह तथा श्री राकेश सिंह** से बैंक ऑफ इंडिया की **(श्री मुकेश सिंह) रुपये 16.91 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार तथा (श्री राकेश सिंह) रुपये 17.37 लाख यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 42.00 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 4.20 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (आवासीय) फ्लैट नंबर 1 जोकि श्री राकेश सिंह के नाम पर है और फ्लैट नंबर 2 जोकि श्री मुकेश सिंह के नाम पर है, छत के अधिकार के बिना, टाइप–ए, पॉकेट–17, सेक्टर–22, रोहिणी, दिल्ली–110086. प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल – 28.00 वर्ग मीटर
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री मुरारी महतो,
स्थान : नई दिल्ली फोन : 011–25255045

15. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित हैं, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **उधारकर्ता : श्री हरी भूषण झा तथा गारंटीकर्ता : श्री संजीव कुमार झा** से बैंक ऑफ इंडिया की **21.47 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 18.00 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 1.80 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (आवासीय) फ्लैट नंबर 149, चौथी मंजिल, ब्लॉक–ए, कोंडली केले–आउट प्लान में स्थित, घरोली, जिसे मयूर विहार–III के रूप में जाना जाता है, दिल्ली–110096 जिसके मालिक श्री हरिभूषण झा हैं। क्षेत्रफल : 28 वर्ग मीटर
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री आर. के. महासेठ,
स्थान : नई दिल्ली फोन : 011–22013574

16. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स राधिका स्टोन्स, पार्टनर्स : श्री विकास गुप्ता, श्रीमति रीना गुप्ता** से बैंक ऑफ इंडिया की **49.05 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार** की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **27.09.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 22.50 लाख** होगा और अग्रिमधन राशि **रुपए 2.25 लाख** होगी।
संपत्ति का विवरण :– (व्यावसायिक) संपत्ति संख्या S–307 – S–309, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 20, शिवम कॉम्प्लेक्स, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, विकास मार्ग, दिल्ली–110092 जोकि श्रीमती रीना गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल : क्रमश :17.33 वर्ग मीटर और 14.50 वर्ग मीटर
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.08.2019 श्री आर. के. महासेठ,
स्थान : नई दिल्ली फोन : 011–22013574

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री / बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" **https://www.bankeauctions.com** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) **ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 26.09.2019 या उससे पहले शाम 5 बजे तक।**
3) **नीलामी की तिथि और समय 27.09.2019 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक असीमित 5 मिनट प्रत्येक ऑटो–एक्सटेंशन के साथ।**
4) नीलामी **आरक्षित मूल्य + पहले वृद्धि मूल्य** पर शुरू होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। सभी सम्पत्तियों के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में बोलीदाता अपने प्रस्तावों में सुधार करेंगे।
5) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और मैसर्स सी–1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (श्री विनोद चौहान – +919813887931) से उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड निः शुल्क प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
6) इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्कम्ब्रेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञातहो। अधिकृत कार्यालय / सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7) ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी / बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है। प्राधिकृत अधिकारी और / या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
8) उपर्युक्त संपत्ति ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई–नीलामी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों / विवरणों को ईएमडी के साथ एक लिफाफे में सुपर–लिपिबद्ध "सरफेसी एक्ट 2002 के तहत संपत्ति की खरीद के लिए नीलामी के लिए ईएमडी राशि",उपरोक्त सभी संपत्तियों के लिए तालिका में उल्लिखित खाते के नाम के साथ 26.09.2019 को या उससे पहले शाम 5 बजे तक जमा करना होगा: –
   ए) ईएमडी राशि एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से यूटीआर नंबर के साथ रसीद के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
   बी) पैन कार्ड, पहचान पत्र तथा पते के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी हालांकि, सफल बोलीदाता को बोली राशि की शेष 25% राशि का भुगतान करते समय मूल दस्तावेजों को बैंक प्रस्तुत करना होगा।
   सी) बोलीदाता का नाम, संपर्क नंबर, वैकल्पिक नंबर, पता, ई–मेल आईडी इत्यादि।
   डी) ईएमडी के ऑनलाइन वापसी के लिए बोलीदाताओं के खाते का विवरण।
9) उच्चतम / सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यों को बिक्री समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर ईएमडी राशि वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि बोलीदाता बोली जमा करने / ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता हैऔर यदि वह एकमात्र बोलीदाता है, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जाएगा, और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
10) उच्चतम / सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि को मिलाकर बोली / खरीद राशि का का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्य दिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11) बोली / खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 वे दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान)या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी / बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
13) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली अथवा किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और अपने विवेकानुसार बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने या छूट देने का अधिकार रखता है।
14) यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं / गारंटरों / कर्जदाताओं को अग्रिम में 30 दिनों का नोटिस भी है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय अधि. अभियन्ता (इलेक्ट.)-I

भूमिगत कार पार्किंग, आसफ अली रोड

दोहरी बोली निविदा सूचना

एन.आई.टी. सं. : 10/एमडब्ल्यूईईई-I/2019-20/टीसी दिनांक : 20.08.2019

निविदा प्रपत्र किस तिथि से जारी होंगे : 20.08.2019 को 17.00 बजे से
पूर्व बोली बैठक की तिथि (सीई (इलेक्ट), 19वाँ तल, डॉ. एसपीएम सिविक सेन्टर के कार्यालय में) : 03.09.2019 को प्रातः 11.00 बजे
निविदा प्रपत्र किस तिथि तक जारी होंगे : 09.09.2019 को प्रातः 10.01 बजे तक
निविदा बन्द होने की तिथि व समय : 09.09.2019 को प्रातः 11.00 बजे
तकनीकी बोली खुलने की तिथि व समय : 09.09.2019 को प्रातः 11.01 बजे
वित्तीय बोली खुलने की तिथि (अस्थायी) : 12.09.2019 को प्रातः 10.01 बजे अथवा बाद में सूचित की जायेगी

ऑनलाइन टेंडरिंग टाइम टेबल हेतु कृपया http://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER देखें। आयुक्त, एनडीएमसी की ओर से अधिशासी अभियन्ता, इलेक्ट. डिवीजन-I, भूमिगत कार पार्किंग, आसफ अली रोड, दिल्ली-110002 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु इस क्षेत्र में कार्य करने वाली फर्मों से दोहरी बोली प्रारूप में ऑनलाइन मद दर निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं तथा टाइम टेबल के अनुसार प्राप्त की जायेंगी। तकनीकी बोली ईईई-I कार्यालय द्वारा http://www.tenderwizard.com/ पर 09.09.2019 को प्रातः 11.01 बजे खोली जायेगी। केवल इस क्षेत्र में कार्य करने वाली फर्में ही निविदा खरीदने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि निविदा खरीदने के समय व न तो ब्लैक लिस्टिड हों और न ही प्रतिबन्धित हों।

ऐसी इच्छुक एजेंसियाँ/फर्में जो उत्तरी डीएमसी के साथ ऑनलाइन टेंडरिंग में पंजीकृत नहीं हैं उन्हें पहले स्वयं को www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर पंजीकृत कराना होगा और केवल तभी वे बोलियों में भाग ले सकेंगी। पंजीकरण हेतु प्रक्रिया www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लेखा शीर्षक	अनुमानित लागत राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	एनआईटी
1.	हिन्दू राव अस्पताल में संस्थापित फायर अलार्म सिस्टम की मरम्मत, व्यापक रख-रखाव।	XL-IX-A-II	84,09,161/-	1,63,300/-	10.1
2.	हिन्दू राव अस्पताल में ओपीडी, आपातकालीन नर्सिंग होम वार्ड तथा प्रशासनिक ब्लॉक आदि में संस्थापित फायर हाईड्रेन्ट सिस्टम की मरम्मत, व्यापक रख-रखाव।	XL-IX-A-II	99,97,437/-	1,98,000/-	10.2

निविदा मूल्य : रु. 1,000/- प्रत्येक, उपरोक्त दोनों कार्यों के लिए; **पूर्णता अवधि** : मरम्मत हेतु 4 माह + 1 वर्ष एएमसी प्रत्येक, उपरोक्त दोनों कार्यों के लिए; **दर वैधता अवधि** : 6 माह प्रत्येक, उपरोक्त दोनों कार्यों के लिए।
प्रोक्यू मानदण्ड सहित विस्तृत एनआईटी **www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER** पर देखी जा सकती है।
आर.ओ. नं. 63/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 अधिशासी अभियन्ता (इलेक्ट)/सीएसपीजेड

निविदा सूचना

केन्द्रीय विद्यालय न.-2 दिल्ली कैन्ट, इच्छुक एवं अनुभवी कम्पनियां से सुरक्षा गार्ड, साफ सफाई व माली के कार्य हेतु अस्थाई कर्मचारियों के अनुबंध हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। इच्छुक फर्म 500 रुपये का भुगतान करके निविदा प्रपत्र कें.वि. न.-2 दिल्ली कैन्ट के कार्यालय से सभी दिवसों पर विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद सुबह 11:00 से दोपहर 01:00 बजे तक 14 दिनों के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है।

प्राचार्य

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 5, सैक्टर - 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122001

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक की निम्नलिखित प्रतिभूतियों के शेयर सर्टिफिकेट खो गए/गुम हो गए हैं तथा इन शेयरों के धारक ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बैंक का आवेदन किया है। कोई व्यक्ति, जो इन शेयरों के बारे में दावा रखता हो, अपना दावा बैंक के शेयर अंतरण एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, नई दिल्ली - 110058 के पास इस दिनांक से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा बैंक आगे कोई सूचना दिए बिना डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की कार्यवाही करेगा।

डीओसी सं.	फोलियो सं.	शेयर धारक का नाम	सर्टिफिकेट सं.	विशिष्ट सं.	शेयर की संख्या
3861	00261907	उदय वेंकटेश पाई मंजुनाथ वेंकटेश पाई	503557	178355501 - 178355600	100

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 22.08.2019
महाप्रबंधक
मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग

INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORPORATION LTD
(A Govt. of India Enterprise-Mini Ratna)
CIN NO: U74899DL1999GOI101707

NOTICE INVITING OPEN E-TENDER

IRCTC-WEST ZONE invites Open E-Tender cum auction (through Two Packet system) for Operation, Maintenance and Provision of Catering Services in / through Refreshment Rooms and Jan Ahaar (Kitchen Units) at various Railway Stations.

E-Tender No.	Stations	Availability of E-Tender Document	Last Date of Submission
IRCTC/WZ/E-Tendering/JA/2019- I (Jan Ahaar)	CSMT, PUNE, SOLAPUR, BHUSAWAL & NAGPUR	23.08.2019	24.09.2019 at 15.00 Hrs.
IRCTC/WZ/E-Tendering/RR/2019- II (Refreshment Room)	BHOPAL, SAWAI MADHOPUR, BHARUCH, PALANPUR, KOTA, INDORE, BINA, VIRAMGAM-I & KALABURAGI	30.08.2019	01.10.2019 at 15.00 Hrs.
IRCTC/WZ/E-Tendering/RR/2019- III (Refreshment Room)	VIRAMGAM-II, MANMAD, DAUND & ANAND	05.09.2019	04.10.2019 at 15.00 Hrs

Tender document downloading & participation can be done on website:- www.tenderwizard.com/IRCTC
In case of any corrigendum/addendum issued on the above advertisement, it will be published only on website www.irctc.com and www.tenderwizard.com/IRCTC
Office Address:- IRCTC Ltd., Zonal office (West Zone), 2nd Floor, New Administrative Bldg, D.N. Road, Central Railway, CSMT, Mumbai - 400001. Tel. 022-22618062/63/64.
"To book your meal online, please log on to www.ecatering.irctc.co.in or Call Toll free number 1323"

पूर्वोत्तर रेलवे
कोटेशन सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक (वा०), पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्न कार्य हेतु मुहरबन्द कोटेशन (सूचना सं.-05/2019 पार्किंग) आमंत्रित की जाती है:-
कार्य का विवरण: कल्याणपुर रेलवे स्टेशन स्थित स्कूटर/मोटर साइकिल/कार/आटो/ई-रिक्शा पार्किंग स्टैण्ड का ठेका कोटेशन के आधार पर 90 दिन हेतु। आरक्षित मूल्य 90 दिन हेतु (रू.में): ₹ 41,062/- (इकतालीस हजार बासठ), आरक्षित मूल्य का 02 प्रतिशत बयाना राशि (रू.में): ₹ 821/- (आठ सौ इक्कीस)
● कोटेशन फार्म बिक्री की तिथि एवं समय: 21-08-2019 से 26-08-2019 तक समय 10:00 बजे से 17:00 बजे तक (कार्यालय कार्य दिवस में)।
● कोटेशन डालने की तिथि एवं समय: 27-08-2019 को 10:00 बजे से 14:00 बजे तक।
● कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय: 27-08-2019 को 15:00 बजे।
विज्ञप्ति सूचना एवं कोटेशन प्रपत्र प्रारुप तथा नियम व शर्तों की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है तथा मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य) कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक
मुजाबि/वाणिज्य-89 इज्जतनगर

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो० नं०: 09794845555 पर एसएमएस करें। ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें।

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
आई2आर रेल इंफ्रा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN. U74999DL2016PTC209612)
जिसका पंजीकृत कार्यालय **सी-207, दूसरी मंजिल, सर्वोदय एन्क्लेव, दिल्ली, दक्षिण दिल्ली-110017** में है, के मामले में
......याचिकाकर्ता

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन हेतु पुष्टिकरण के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, **शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा अपनी आपत्ति भेजें तथा उसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय **सी-207, दूसरी मंजिल, सर्वोदय एन्क्लेव, दिल्ली, दक्षिण दिल्ली-110017** पर भी भेजें।

कृते **आई2आर रेल इंफ्रा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड**
दिनांक: 22 अगस्त 2019
स्थान: दिल्ली
डीआईएन: 02299377

GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR
Resident Commission
5 Prithvi Raj Road, New Delhi - 110011
Tel: 24611108, 24611210, Fax: 24601277, 24627047

No: KRC/Misc/483/18/4339/2019 **Dated:** 21.08.2019

INSTALLATION OF COFFEE VENDING MACHINES AND SUPPLY OF MATERIAL/CONSUMABLES

The Resident Commission Office, Jammu & Kashmir Government, New Delhi under the administrative control of Hospitality & Protocol Department, J&K Government invites sealed quotations for installation of (3) Coffee Vending Machines (Bean to Coffee) for supply of tetra branded milk coffee, and supply of Materials/ Consumables like coffee, sugar sachets, branded milk, wooden stirrers, etc at J&K House, 5 Prithvi Raj Road and J&K House, Chanakyapuri, New Delhi as per the details given in the tender documents.

The tender documents may be collected from Chief Pay & Accounts Officer, Resident Commission, J&K Government, New Delhi on payment of tender cost of Rs. 200/- (non-refundable) through Bank Draft in favour of Principal Resident Commissioner, New Delhi on any working day (Monday to Friday) between 10.30 AM to 05.00. The last date and time for bid submission (Technical & Financial) shall be 28-08-2019. The Bid Box shall be placed at reception of J&K House, 5-Prithvi Raj Road, New Delhi.

No: KBI/Advt/1836-37/2019 Chief Pay & Accounts Officer,
Dated: 22-08-2019 Resident Commission

कार्यालय-परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई-2
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्प्लेक्स, द्वितीय तल केशवपुरम कल्याणपुर कानपुर
E-mail : unitftp125@gmail.com

पत्रांक : 819/M-10/27 **ई-निविदा सूचना** दिनांक : 22.08.2019

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा, टू-बिड पद्धति में जनपद-कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में नव निर्मित प्लेयर्स पवेलियन एवं आधुनिक ड्रेसिंग रूम के टॉप शेड के निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा जिसकी निर्माण लागत रू. 110.00 लाख है, दिनांक 12.09.2019 को आमंत्रित की जाती है।
नोट : उक्त ई-निविदा का विवरण परिषद की वेबसाइट www.upavp.com एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है।
परियोजना प्रबन्धक

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
नई दिल्ली-110020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा)

[illegible]	[illegible]
अनुमानित लागत	₹30,19,550/- [illegible]
[illegible]	[illegible]
धरोहर राशि	₹60,400/- [illegible]
[illegible]	₹1,000/- [illegible]
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अ-प्रतिदेय)	₹1,782/- – सभी कर एवं प्रभारों (अ-प्रतिदेय) सहित ई-भुगतान के माध्यम से
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	23.08.2019, 15:30 बजे से 16.09.2019, 15:30 बजे तक
निविदा-पूर्व बैठक	03.09.2019 को 15:00 बजे कॉनकॉर/उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) जारी करना	05.09.2019 को या उससे पहले केवल www.tenderwizard.com/CCIL पर
जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	16.09.2019 को 15:00 बजे तक
खुलने की तिथि एवं समय	17.09.2019 को 15:30 बजे

सम्पूर्ण जानकारी एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in या www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। कॉनकॉर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार रखता है।
समूह महाप्रबंधक/क्षेत्र एवं परि०/उत्तरी क्षेत्र

ब्रिज एंड रूफ कं० (इंडिया) लि०
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CIN No.: U27310WB1920GOI003601
'कंकड़िया सेंटर', (4था एवं 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-71

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (ई-निआसू)
बी एंड आर/एचओ/51185/एनआईटी/डीएससीएल/देहरादून/रोड/01

"देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड में 05 (पांच) वर्षों के प्रचालन तथा रखरखाव के साथ बहु-उपयोगी डक्ट, सीवरेज, ड्रेनेज, जलापूर्ति आदि सहित स्मार्ट रोड के निर्माण कार्य" हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में आनलाइन एकल प्रतिशतता दर प्रस्ताव आमंत्रित है।
इच्छुक बोलीदाताओं को http://www.eprocure.gov.in में लॉगिंग के जरिए सरकारी ई-प्रापण प्रणाली में सूचीबद्ध व पंजीकृत होना होगा।
इस संदर्भ में कोई भी संयोजन/ शुद्धिपत्र सिर्फ कंपनी की वेबसाइटः www.bridgeroof.co.in तथा सीपीपी पोर्टलः http:// eprocure.gov.in पर जारी की जाएगी।
प्रस्ताव दाखिले की अंतिम तिथि : 05.09.2019

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (परियोजना) नरेला
जोनल कार्यालय भवन, नरेला, दिल्ली-40

निविदा आमंत्रण सूचना

एन.आई.टी. सं.: ईई(पीआर.)/नरेला/टीसी/2019-20/09 दिनांक: 19.08.2019
निविदा प्रपत्र खरीदना/डाउनलोड करना शुरू होने की तिथि : 21.08.2019 को सांय 5:00 बजे
निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि : 02.09.2019 को दोपहर 2:00 बजे तक
वित्तीय बोली खुलने की तिथि : 04.09.2019 को दोपहर 12:15 बजे तक

आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियन्ता (परियोजना) नरेला द्वारा स्वीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से मोहरबन्द प्रतिशत/मद दर निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। दरें 5 माह हेतु वैध होनी चाहिएँ।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.)	निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा मूल्य (रु.)
1.	नरेला जोन में वार्ड सं. 35एन में निजामपुर गाँव से गढ़ी गाँव तक डेन्स कार्पेटिंग के प्रावधान द्वारा सड़क का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण। **एच/एसी : XL-VIII-S**	80,53,600/-	74,48,096/-	1,48,962/-	1000/-
2.	नरेला जोन में वार्ड सं. 30एन में जेजे कालोनी बवाना में पोल सं. एचटी521-98/11 ए ब्लॉक से टैम्पू स्टैंड फिश मार्केट तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा सड़क का सुधार एवं विकास। **एच/एसी : XL-VIII-S (d)**	39,64,000/-	36,03,862/-	72,077/-	500/-
3.	नरेला जोन में वार्ड सं. 30एन में जेजे कालोनी बवाना में एफ ब्लॉक पोल सं. एचटी521-94/40 से एचटी521-93/8 डी ब्लॉक तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा सड़क का सुधार एवं विकास। **एच/एसी : XL-VIII-S (d)**	55,14,100/-	50,13,062/-	1,00,261/-	1000/-
4.	नरेला जोन में वार्ड सं. 30एन में जेजे कालोनी बवाना में झण्डा चौक से एफ-ब्लॉक चौक तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा सड़कों का सुधार एवं विकास। **एच/एसी : XL-VIII-S (d)**	99,93,100/-	90,85,195/-	1,81,703/-	1000/-

पूर्णता अवधि : 3 माह क्र.सं. 1 के लिए, **4 माह** प्रत्येक क्र.सं. 2 से 4 के लिए।
विस्तृत नियम व शर्तें वेबसाइट **http://www.tenderwizard.com** पर देखी जा सकती है। दि.न.नि. में स्वीकृत/पात्र ठेकेदारों द्वारा बिडिंग हेतु निविदा दस्तावेज वेबसाइट **http://www.tenderwizard.com** पर उपलब्ध हैं।
आर.ओ. सं. 62/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 अधि. अभियन्ता (परियोजना) नरेला

Before the National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench
Corporate Bhawan, Plot No.4B, Sector 27-B, Madhya Marg, Chandigarh.

No.: NCLT/Chd/Reg/2576 Date: 23-08-19
CP (IB) No. 81/Chd/Hry/2019
U/s 9 of the IBC, 2016.

In the matter of:
Living Media India Ltd. ...Petitioner-Operational Creditor.
Vs
SCS Agribusiness Consultants Pvt. Ltd. ....Respondent-Corporate Debtor.

To,
SCS Agribusiness Consultants Pvt. Ltd
651, Pace City II, Sector-37, Gurgaon HR 122004, India
Through its Director.

Please take notice that the aforesaid Company Petition came up for hearing before the Tribunal on 04/07/2019 and has now been fixed for hearing on 23rd day of September 2019 at 10.30 AM.

You are directed to attend the sitting members of the Tribunal on the date fixed personally or through any authorised agent or pleader to show cause as to why this petition be not admitted.

For and on behalf of: Living Media India Limited

DR. PUNEET JAIN
Group Chief Corporate Affairs Officer
Group Chief Law & Compliance Officer
23rd August 2019

Living Media India Limited
CIN NO: U92132DL1962PLC003714
Regd.Office: 9K-Block, Connaught Circus, New Delhi -110001
Telephone : 0120-4807100
Website: www.indiatoday.in email: puneet.jain@aajtak.com

GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR
Resident Commission
5, Prithvi Raj Road, New Delhi - 11
Tel: 24611108, 24611210, Fax: 24601277, 24627047

No: KRC/Estt./239/2019/4317 **Dated:** 21.08.2019

Open tender for the supply of material of Tea, coffee and other items at Resident Commission, Government of Jammu & Kashmir, 5-Prithvi Raj Road, New Delhi

The Resident Commission, Govt of J&K, 5-Prithvi Raj Road, New Delhi invite sealed quotation for supply of material of tea, coffee and other items at Resident Commission, J&K Govt., 5-Prithvi Raj Road and Chanakyapuri, New Delhi and its sub-offices located at Amritsar, Chandigarh and Mumbai for 01 year from the date of awarding of the contract. The contract shall be valid for 01 (One) year from the date of its awarding. The indicative requirement of tea, coffee and other items is as per **"Annexure-II"**

The sealed cover containing the bids superscripted **"open tender for supply of material for tea, coffee and other items"** should be addressed to Chief Pay & Accounts Officer, Resident Commission, Government of Jammu & Kashmir, 5-Prithvi Raj Road, New Delhi alongwith all the particulars of the agency as per **Annexure - I** and dropped in tender box at ground floor near reception, J&K House, 5-Prithvi Raj Road, New Delhi-110011 by 3.00 PM on or before 28th of August 2019. The bids received after stipulated date and time will not be considered. The bid opening date shall be notified separately. Vender or his representative can be present at the time of opening of the sealed bids.

The tender documents can be had from this office on any working day upto 5.00 PM against a cash payment of Rs. 50/- (Rupees fifty only).

No: KBI/Advt/1838-39/2019 Chief Pay & Accounts Officer,
Dated: 22-08-2019 Resident Commission

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

SALASAR EXTERIORS AND CONTOUR LIMITED

Our Company was originally incorporated as Salasar Exteriors And Contour Limited on March 09, 2018 as a Public limited company under the provisions of Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation bearing Registration Number 306212 dated March 09, 2018 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. The Corporate Identification Number is U45309MH2018PLC306212. Subsequently, our Company acquired the business of Proprietorship Concern of our Promoter Mr. Shreekishan Joshi viz. M/s. Salasar Exteriors through Business Succession Agreement dated July 12, 2018. Consequently Business of this proprietorship firm was merged into Salasar Exteriors And Contour Limited.

Corporate Identification Number: U45309MH2018PLC306212
Registered Office: A-922/923, Corporate Avenue, Sonawala Road, Near Udyog Nagar Bhuvan, Goregaon East, Mumbai, Maharashtra - 400063.
Tel: +91 22-67083366 **E-mail:** account@salasarexterior.com; **Website:** www.salasarexterior.com
Contact Person: Ms. Sivamalar Nadar, Company Secretary & Compliance Officer

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 23,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH OF SALASAR EXTERIORS AND CONTOUR LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 36.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 26.00 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 849.60 LACS/- ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 36.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS 26.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 43.20 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 22,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS 10/- EACH AT A PRICE OF RS. 36.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 806.40 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 28.66 % AND 27.20% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS RS. 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS RS. 36/- EACH I.E. 3.60 TIMES OF THE FACE VALUE.
THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF REGULATION 229 (1) OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME.
For further details, please see "Issue Related Information" beginning on page no. 177 of the Prospectus.
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 4,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 4,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ISSUE OPENS ON WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019
CLOSES ON TUESDAY, SEPTEMBER 03, 2019

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below	Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheque will be accepted.

UPI **Now available in ASBA for Retail Individual Investors**

The Issue is being made through the Fixed Price process wherein 50% of Net Issue of the Equity Share offered are reserved for allocation to Applicants below or equal to 2.00 lakhs and the balance for higher amount Applicants. The Issue comprises a Net Issue to Public of 22,40,000 Equity Shares of Rs 10/- each ("the Net Issue") and a reservation of 1,20,000 Equity Shares of 10 each for subscription by the designated Market Maker ("the Market Maker Reservation Portion"). The Issue and the Net Issue will constitute 28.66% and 27.20%, respectively of the Post Issue Paid-up Equity Share Capital of the Company. Allocation to all categories shall be made on a proportionate basis subject to valid Application received at or above the Issue Price. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and Designated Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All Investors shall participate in this Issue only through the ASBA process. For details in this regard, specific attention is invited to "Issue Procedure" on page no. 186 of the Prospectus. Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID are correctly filled in the Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Application Form should match with the DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Application Form is liable to be rejected. Applicant should ensure that the beneficiary account provided in the Application Form is active. Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Application Form, the Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for any correspondence(s) related to the Issue. Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk.

PROMOTERS OF OUR COMPANY : MR. SHREEKISHAN JOSHI AND MR. VIDEH SHREEKISHAN JOSHI

PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the NSE Emerge Platform. Our company has received an approval letter dated 06th December, 2018 from NSE for using its name in offer document for listing of our shares on the Emerge Platform of NSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited ("NSE").

SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Offer Document is also filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI on page 168 of the Prospectus.

Disclaimer Clause of NSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by National Stock Exchange of India Limited ("NSE") should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of NSE on page 173 of the Prospectus.

IPO GRADING: Since the issue is being made in terms of Chapter IX of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 105 of the Prospectus. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page no. 243 of the Prospectus.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

SIGNATORIES TO MOA AND AOA:

ORIGINAL SIGNATORIES		CURRENT PROMOTER	
Name	No. of SharesName		No. of Shares
Dadhimati Contracting Private Limited	20,000	Mr. Shreekishan Joshi	51,34,868
Ms. Priyanka Prateek Vyas	2,500	Mr. Videh Shreekishan Joshi	7,10,000
Ms. Ritu Videh Joshi	2,500		
Ms. Surbhi Shreekishan Joshi	2,500		
Mr. Shreekishan Joshi	35,000		
Mr. Videh Shreekishan Joshi	35,000		
Ms. Bhageshree Shreekishan Joshi	2,500		

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: Authorized share capital of Rs. 1,000.00 Lacs divided in to 1,00,00,000 Equity Shares of Face value of Rs. 10 each, Issued, subscribed and paid up share capital prior to issue is Rs. 587.49 Lacs divided in to 58,74,868 Equity Shares of Rs. 10/- each, Proposed post issue paid up share capital Rs. 823.49 Lacs divided in to 82,34,868 Equity shares of Rs. 10/- each.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Navigant **NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED** 423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400 059 Tel No. +91-22-4120 4837 **Email Id-** navigant@navigantcorp.com **Investor Grievance Email:** info@navigantcorp.com **Website:** www.navigantcorp.com **SEBI Registration Number:** INM000012243 **Contact Person:** Mr. Sarthak Vijlani	KARVY FINTECH **KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED** Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 **Tel:** +91 40 6716 2222 **Fax:** + 91 40 2343 1551 **Website:** https://karisma.karvy.com **E-mail:** einward.ris@karvy.com **Investor Grievance E-mail:** einward.ris@karvy.com **Contact Person:** Mr. M Murali Krishna **SEBI Registration:** INR000000221	**Ms. Sivamalar Pandi Nadar** A-922/923, Corporate Avenue, Sonawala Road, Near Udyog Nagar Bhuvan, Goregaon (East), Mumbai - 400063 **Telephone:** 022 - 67083366 **Email id:** cs@salasarexterior.com **Website:** www.salasarexterior.com Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary accounts and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the websites of the Company, the Lead Manager, the SEBI and the Stock Exchange at www.salasarexterior.com, www.navigantcorp.com, www.sebi.gov.in and www.nseindia.com/emerge respectively.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application forms can be obtained from the Issuer Company: Salasar Exteriors And Contour Limited, Lead Manager: Navigant Corporate Advisors Limited. Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and list of SCSBs available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.nseindia.com/emerge

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed of by all investors. Further as per SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018, all Retail Individual Investors can also apply through Unified Payments Interface ("UPI"). The investor is required to fill the Application form and submit the same to the relevant SCSB or the Registered Brokers at Broker Center or the RTA or the CDP. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in Application form and undertake other tasks as per the specified procedure. On Allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for Allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need for refunds. For more details on the ASBA process, please refer to the section, "Issue Procedure" beginning on page no. 186 of the Prospectus.

BANKER TO THE ISSUE & SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated August 21, 2019.

For **Salasar Exteriors And Contour Limited**
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Shreekishan Joshi
Managing Director

Date: 22.08.2019
Place: Mumbai

Salasar Exteriors And Contour Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Delhi. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the NSE and the LM at www.salasarexterior.com, www.nseindia.com/emerge and www.navigantcorp.com respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 19 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Applicants may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

अजिंक्य रहाणे ने भारत को संभाला

भारत का शीर्षक्रम लड़खड़ाया, पुजारा-कोहली सस्ते में आउट

नॉर्थ साउंड (एंटीगा), 22 अगस्त (भाषा)।

सलामी बल्लेबाज केएल राहुल विश्वसनीय शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए जिससे वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टैस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन 40 ओवर के बाद भारत ने चार विकेट पर 110 रन बनाए। भारतीय पारी संवारने की जिम्मेदारी अब अंजिक्य रहाणे (नाबाद 38) पर है। उनके साथ हनुमा विहारी छह रन पर खेल रहे हैं।

भरोसेमंद चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली सहित तीन विकेट पहले आठ ओवर में गंवाने के बाद भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टैस्ट के शुरुआती दिन लंच तक तीन विकेट पर 68 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की तरफ से केमार रोच ने 12 रन देकर दो और शैनोन गैब्रियल ने 26 रन देकर एक विकेट लिया। कप्तान जैसन होल्डर ने भी अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दोनों टीमों के लिए विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के इस शुरुआती मैच में भारत ने पहले टॉस और फिर पांचवें ओवर में मयंक अग्रवाल और पुजारा के विकेट गंवाए।

सुबह की बारिश के कारण खेल देरी से शुरू हुआ और पिच में नमी थी। ऐसे में ड्यूक गेंदों का सामना करना भारतीयों के लिए आसान नहीं रहा और रोच और गैब्रियल ने इसका पूरा फायदा उठाया। रोच की आगे पिच कराई गई गेंदों में मूवमेंट था जिन्हें खेलने में भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हुई। अग्रवाल (पांच) और पुजारा (दो) इसी तरह की गेंदों पर विकेट के पीछे कैच देकर पवेलियन लौटे। कोहली (नौ) भी दोहरे अंक में नहीं पहुंच पाए।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी करते केएल राहुल।

भारत पहली पारी केएल राहुल 44, मयंक अग्रवाल का होप बो रोच 05, चेतेश्वर पुजारा का होप बो रोच 02, विराट कोहली का ब्रूक्स बो गैब्रियल 09, अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं 10, हनुमा विहारी खेल रहे हैं 6
गेंदबाजी : रोच 6-1-12-2, गैब्रियल 7-1-26-1, होल्डर 6-4-8-0, कमिंस 5-0-18-0

भारतीय सलामी जोड़ी ने बेहद सतर्कता बरती। अग्रवाल ने रोच की ओवरपिच गेंद को बेहतरीन टाइमिंग से चार रन के लिए भी भेजा लेकिन पारी का पांचवां ओवर भारतीय टीम पर भारी पड़ गया। रोच की गेंद अग्रवाल के बल्ले के बेहद करीब से गुजरी तथा गेंदबाज और विकेटकीपर शाई होप सहित सभी करीबी क्षेत्ररक्षकों ने जोरदार अपील की लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलबोरोग टस से मस नहीं हुए।

होल्डर ने कुछ देर विचार करने के बाद रिव्यू लिया और 'अल्ट्राएज' से पता चला कि गेंद बल्ले को स्पर्श करके गई थी। अग्रवाल की जगह लेने उतरे पुजारा ने दो रन लेकर खाता खोला लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर होप के दस्तानों में चली गई। लगभग सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा भारतीय भरोसेमंद केवल चार गेंद का ही सामना कर पाया। कोहली ने शुरू से ही सकारात्मक बल्लेबाजी की और गैब्रियल पर दो खूबसूरत चौके जमाए। लेकिन इस तेज गेंदबाज ने उनकी लगातार शॉर्ट पिच गेंदों पर परीक्षा ली। कोहली ऐसी ही गेंद पर खुद को कट करने से नहीं रोक पाए और प्वाइंट पर आसान कैच दे बैठे।

सिंधू, प्रणीत क्वार्टर फाइनल में, श्रीकांत और प्रणय बाहर

बासेल (स्विट्जरलैंड), 22 अगस्त (भाषा)।

दो बार की रजत पदक विजेता पीवी सिंधू ने फिर से दमदार प्रदर्शन करके गुरुवार को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सिंधू ने महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की बीवान च्यांग को 21-14, 21-6 से हराया। इस मैच को जीतने में उन्होंने केवल 34 मिनट का समय लिया। पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय पिछले साल इंडिया ओपन के फाइनल में अपनी नौंवी वरीयता प्राप्त प्रतिद्वंद्वी से हार गई थी।

बी साई प्रणीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को दुनिया के आठवें नंबर के खिलाड़ी एंथोनी सिनिसुका गिनटिंग को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उनके हमवतन भारतीय एचएस प्रणय को हार का सामना करना पड़ा। दुनिया के 19वें नंबर के खिलाड़ी प्रणीत ने 42 मिनट में छठे वरीय इंडोनेशिया के एंथोनी को 21-19, 21-13 से हराया। क्वार्टर फाइनल में प्रणीत का सामना इंडोनेशिया के एक अन्य खिलाड़ी चौथे वरीय और एशियाई खेलों के गत चैंपियन जोनाथन क्रिस्टी से हो सकता है।

इससे पहले प्रणय ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी केंतो मोमोता को पहले गेम में कड़ी टक्कर दी लेकिन इसके बावजूद जापान के खिलाड़ी को 21-19, 21-12 से जीत दर्ज करने से नहीं रोक पाए। प्रणय के खिलाफ मोमोता की पांच मैचों में यह पांचवीं जीत है।

खबर कोना

लैक्मे फैशन वीक के दौरान भारतीय हरफनमौला हार्दिक पंड्या।

मिलेनियम सिटी मैराथन के ब्रांड दूत बने मिलिंद सोमण

गुरुग्राम, 22 अगस्त (भाषा)।

अभिनेता और फिटनेस प्रमोटर मिलिंद सोमण को एक दिसंबर को होने वाली मिलेनियम सिटी मैराथन के पांचवें सत्र का ब्रांड दूत बनाया गया है। एमसीएम और गुड़गांव नगर निगम मिलकर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन करेंगे। सोमण ने कहा कि दौड़ना फिटनेस का सबसे अच्छा रूप है और मुझे इस मैराथन से जुड़कर काफी खुशी हो रही है। पहली बार इस मैराथन में बच्चों की दौड़ का वर्ग भी होगा जिसमें 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे पांच किलोमीटर दौड़ेंगे। मैराथन की वेबसाइट पर 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा।

आइसीसी ने जोनाथन हाल को अपना वकील नियुक्त किया

दुबई, 22 अगस्त (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने गुरुवार को जोनाथन हाल को अपना वकील और कंपनी सचिव नियुक्त किया। हाल को फुटबॉल और रग्बी जैसे खेलों में 27 साल तक वकालत का अनुभव है। आइसीसी ने बयान में कहा कि हाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर और ब्रिटेन में कई खेल संगठनों में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसमें यूएफा और लारेस भी शामिल हैं। हाल ने 11 साल तक द फुटबॉल एसोसिएशन (एफए) के साथ संचालन निदेशक के रूप में काम किया और वह नियामक और संचालन से जुड़े सभी मुद्दों को देखते थे। आइसीसी के सीईओ मुन साहनी ने कहा कि मुझे विस्तृत वैश्विक खोज के बाद जोनाथन की क्षमता के वकील का आइसीसी में स्वागत करने की खुशी है जो हमारी विधिक इकाई के प्रमुख होंगे।

अंकिता अमेरिकी ओपन क्वालीफाइंग प्रतियोगिता से बाहर

न्यूयार्क, 22 अगस्त (भाषा)।

भारत की शीर्ष महिला एकल खिलाड़ी अंकिता रैना तीन सेट तक चले कड़े मुकाबले में हार के साथ अमेरिकी ओपन की महिला एकल क्वालीफाइंग स्पर्धा से बाहर हो गईं। दुनिया की 194वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी को चेक गणराज्य की डेनिसा अलर्तोवा के खिलाफ बुधवार रात हुए मुकाबले में दो घंटे और 17 मिनट में 7-6(5), 4-6, 2-6 से हार का सामना करना पड़ा।

बांगड़ की जगह राठौड़ होंगे बल्लेबाजी कोच

मुंबई, 22 अगस्त (भाषा)।

पूर्व सलामी बल्लेबाज विक्रम राठौड़ भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच होंगे। वह संजय बांगड़ की जगह लेंगे जबकि भरत अरुण और आर श्रीधर क्रमशः गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच बने रहेंगे। एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयनसमिति ने सहयोगी स्टाफ के इन तीनों अहम पदों के लिए तीन-तीन नामों की सिफारिश की थी। हितों के टकराव से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रत्येक वर्ग में जिन कोच के नाम शीर्ष पर हैं उन्हें नियुक्त किया जाएगा।

पचास वर्षीय राठौड़ ने 1996 में भारत की तरफ से छह टैस्ट और सात वनडे मैच खेले लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। घरेलू क्रिकेट में हालांकि पंजाब की तरफ से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। वह कुछ साल पहले

एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति ने सहयोगी स्टाफ के इन तीनों अहम पदों के लिए तीन-तीन नामों की सिफारिश की थी।

(2016) तक संदीप पाटील की अगुआई वाली सीनियर चयनसमिति के सदस्य थे। चयनसमिति की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ दूसरे और इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्क रामप्रकाश तीसरे नंबर पर हैं।

जहां तक अरुण का सवाल है तो इसमें संदेह नहीं कि उनके रहते हुए भारतीय गेंदबाजी आक्रमण विश्वस्तरीय बना है। भारत 'ए' के कोच पारस म्हाम्ब्रे दूसरे और पूर्व गेंदबाजी कोच वेंकटेश प्रसाद को इस सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह रहा कि जोंटी रोड्स को क्षेत्ररक्षण कोच के पहले तीन दावेदारों में भी जगह नहीं मिली। श्रीधर का इस पद पर बने रहना तय था। भारत ए और अंडर-19 टीम के क्षेत्ररक्षण कोच अभय शर्मा दूसरे और टी दिलीप को तीसरे स्थान पर रखा गया है।

राठौड़ ने इससे पहले एनसीए बल्लेबाजी सलाहकार और अंडर-19 बल्लेबाजी कोच पद के लिए आवेदन किया था लेकिन उनका आवेदन रोककर रखा गया था क्योंकि उनके रिश्तेदार आशीष कपूर अंडर-19 चयनसमिति के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआइ सीईओ राहुल जोहरी ने पत्रकारों से कहा कि विक्रम राठौड़ को पर्याप्त अनुभव है और हमें कोच के रूप में उनके कौशल पर विश्वास है।

पाक से डेविस कप मुकाबला नवंबर तक स्थगित

नई दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने गहन सुरक्षा समीक्षा के बाद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले भारत के डेविस कप मुकाबले को नवंबर तक स्थगित कर दिया। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद आयोजन स्थल के रूप में इस्लामाबाद को बरकरार रखा गया है। भारत दोनों देशों के बीच बढ़े हुए राजनयिक तनाव के बीच इस मुकाबले को तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने या फिर स्थगित करने की अपील बार-बार कर रहा था। इसके बाद आइटीएफ की डेविस कप समिति ने बैठक के बाद मुकाबले को स्थगित करने का फैसला किया। नई तारीखों का पता नौ सितंबर तक चलेगा।

आइटीएफ ने कहा कि वह 'असाधारण परिस्थितियों' में मुकाबले को स्थगित कर रहा है। उसके एक अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र विशेषज्ञ सुरक्षा सलाहकारों द्वारा पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति की गहन सुरक्षा समीक्षा के बाद डेविस कप समिति ने भारत और पाकिस्तान के बीच इस्लामबाद में 14-15 सितंबर को होने वाले डेविस कप एशिया/ओसियाना ग्रुप एक मुकाबले को स्थगित करने का फैसला किया है। बयान के अनुसार, 'समिति निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह असाधारण परिस्थिति हैं और आइटीएफ की पहली प्राथमिकता खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा है। यह मुकाबला अब नवंबर में होगा और इसकी तारीखों की पुष्टि समिति नौ सितंबर तक करेगी। आइटीएफ ने कहा कि वह पाकिस्तान की स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और डेविस कप समिति मुकाबले को लेकर सुरक्षा स्थिति के पुनः मूल्यांकन के लिए दोबारा बैठक करेगी।

अमरिंदर सिंह ने बलबीर सिंह सीनियर के लिए की भारत रत्न की मांग

चंडीगढ़, 22 अगस्त (भाषा)।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। अमरिंदर ने मोदी को लिखे पत्र में 95 वर्ष के बलबीर को अपने दौर का लाजवाब खिलाड़ी बताया।

उन्होंने लिखा कि मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर इंगित कराना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि आजादी के बाद भारत के सबसे सम्मानजनक और असाधारण खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर को भारत रत्न से नवाजा जाए। उन्होंने लिखा,'श्री बलबीर सिंह सीनियर हॉकी के महान खिलाड़ी हैं और ओलंपिक 1948, 1952 और 1956 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। वह 1956 ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान भी थे।'

उन्होंने आगे लिखा,'उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1957 में पदमश्री से नवाजा गया। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत रत्न के लिए श्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर गौर किया जाए।' बलबीर को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में चुना था। ओलंपिक हॉकी फाइनल में सर्वाधिक गोल का उनका रेकार्ड आज तक कायम है। उन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में भारत की 6-1 से जीत में पांच गोल दागे थे। वह विश्व कप 1975 विजेता भारतीय टीम के मैनेजर भी थे।

रोनाल्डो ने कहा, मेस्सी ने मुझे बेहतर खिलाड़ी बनाया

लिस्बन, 22 अगस्त (एएफपी)।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्वीकार किया कि लियोनल मेस्सी से लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता ने उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाया। वह अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर से बेहतर प्रतिस्पर्धा का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं।

पुर्तगाल के इस फुटबॉलर ने यह भी स्वीकार किया कि वह और मेस्सी साथ में घूमते फिरते नहीं हैं। उन्होंने पुर्तगाल में एक टीवी चैनल से कहा कि मैं उनकी उपलब्धियों का मुरीद हूं। वह पहले ही कह चुके हैं कि मेरे स्पेन छोड़ने से वह निराश हैं क्योंकि इस प्रतिद्वंद्विता में उन्हें भी मजा आता था।

उम्मीद से पहले मिल गया द्रोणाचार्य पुरस्कार : बावा

मुंबई, 22 अगस्त (भाषा)।

जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए हॉकी कोच मर्जबान पटेल ने कहा कि उन्होंने इस सम्मान की उम्मीद की थी लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उन्हें यह मिल जाएगा। मुंबई हॉकी में 'बावा' के नाम से मशहूर 69 बरस के पटेल ने कहा कि वह उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए मेंटर की तरह हैं।

कोच के रूप में तीन दशक के करिअर के दौरान बावा ने ओलंपियन एड्रियन डिसूजा, हाफ बैक वीरेन रासक्विंहा के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर के देवेंद्र और युवराज वाल्मिकी जैसे खिलाड़ियों को हॉकी के गुर सिखाए। बावा ने कहा कि कोचिंग सिर्फ कोचिंग देना नहीं है। कोचिंग से अधिक जबान (संवाद के संदर्भ में) की जरूरत होती है कि आप लड़कों और उनके माता-पिता को कैसे प्रेरित करते हैं।

उन्होंने कहा कि जो लड़के आगे आ रहे हैं उनके माता-पिता उनका आधार हैं। आपको अपने बच्चों की तरह उन्हें देखना होता है। आपको उनसे पूछना होता है कि अभ्यास के लिए क्यों नहीं आए। आपको माता-पिता से पूछना होगा कि वे कहां गए थे। एक कोच में इस तरह का अनुशासन होना चाहिए। बावा ने स्वीकार किया कि वह काफी बड़े खिलाड़ी नहीं थे लेकिन अपने मूल मंत्रों पर चलते हुए जमीनी स्तर पर सफल कोच बने।

दो सप्ताह बाद 20 बरस के हो जाएंगे शुभमन | **क्रिकेट** | युवी ने दबाव का सामना करना सिखाया

द्रविड़ की सलाह ने गिल को किया मजबूत

नई दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा)।

शुभमन गिल के स्ट्रोक्स भले ही विराट कोहली की तरह हों लेकिन क्रिकेट के प्रति रवैया राहुल द्रविड़ से प्रभावित है। उन्होंने इस युवा खिलाड़ी को हर हालत में अपने स्वाभाविक खेल पर डटे रहने की सलाह दी है। दो सप्ताह बाद 20 बरस के होने जा रहे गिल सिर्फ दो वनडे खेलने के बावजूद चर्चा में बने हुए हैं। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम में उनका चयन नहीं होने पर हैरानी जताई थी।

इस महीने की शुरुआत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बने गिल ने कहा कि राहुल सर भारतीय अंडर-19 टीम और फिर भारत 'ए' के समय से मेरे कोच हैं। उनसे सबसे अच्छी सलाह जो मुझे मिली, उसे मैं हमेशा जेहन में रखता हूं। वह कहते थे कि हालात कुछ भी हो, मुझे अपना स्वाभाविक खेल नहीं बदलना है। मैं वेस्ट इंडीज 'ए' के खिलाफ दोहरे शतक को लाल गेंद के क्रिकेट से अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी कहूंगा।

स्वाभाविक खेल दिखाने पर भी अनुकूल नतीजे नहीं मिले तो, यह पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि यदि तकनीकी रूप से मुझे मजबूत बनना है तो अपने बेसिक खेल के भीतर ही सारे बदलाव होने चाहिए। राहुल सर ने मुझसे कहा कि यदि मैंने अपना खेल बदला तो वह स्वाभाविक नहीं होगा और उससे सफलता नहीं मिलेगी। उनका फोकस चुनौतियों का मानसिक रूप से सामना करने पर ही रहेगा।

शुभमन गिल

फ्रंटफुट पर गिल के कवर ड्राइव की तुलना कोहली के स्ट्रोक से की जाती है लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनका स्वाभाविक शॉट है। उन्होंने कहा कि मैं स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक खेलता हूं। बचपन से ही मैंने स्पिनरों को खूब खेला है। स्पिनरों की मददगार विकेट पर खेलते हुए मैंने यह स्ट्रोक खेलने में महारत हासिल की। वेस्ट इंडीज में लिस्ट ए मैचों में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे गिल ने कहा कि उस श्रृंखला से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। मैं इस तरह की पारियों को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ बड़े स्कोर में बदलना चाहता हूं।

तमाम सुर्खियों के बावजूद गिल के पैर जमीन पर हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैदान से बाहर आने पर ही आपको पता चलता है कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। मैदान पर उतरने के बाद यह सब भूल जाते हैं। आप सिर्फ मैच जीतने पर फोकस करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा एक करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदे गए गिल को दबाव का सामना करने का शऊर युवराज सिंह ने सिखाया।

'फिट भारत अभियान' के लिए सलाहकार समिति गठित

नई दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा)।

सरकारी अधिकारियों, भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के सदस्यों, राष्ट्रीय खेल महासंघ, निजी संस्थाओं और फिटनेस प्रमोटरों की मौजूदगी वाली समिति का गठन किया गया है। ये 'फिट भारत अभियान' पर सरकार को सलाह देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को इस अभियान को लांच करेंगे। बयान के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

खेल मंत्री किरन रिजीजू की अध्यक्षता वाली 28 सदस्यीय समिति में सरकार के 12 सदस्य होंगे जिसमें खेल, माध्यमिक शिक्षा, आयुष और युवा मामलों जैसे विभागों के सचिव शामिल हैं।

आइओए अध्यक्ष और सात राष्ट्रीय खेल महासंघों के अध्यक्षों को भी इसमें जगह मिली है जिसमें मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल और साइकिलिंग भी शामिल हैं।

निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा शिल्पा शेट्टी और मिलिंद सोमन जैसी अपनी फिटनेस के लिए मशहूर बालीवुड हस्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 278, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

MARUTI SUZUKI
NEXA
DRIVE WHAT INSPIRES YOU.
Drive home your favourite NEXA hatchback and discover the new.
CREATE. INSPIRE.
BALENO
IGNIS
SPECIAL INTEREST RATE
8.99%
VISIT YOUR NEAREST DEALERSHIP TO GET EXCITING CONSUMER AND EXCHANGE OFFERS UP TO ₹ 45,000/-.*
Contact us at
1800-200-[6392]
1800-102-[NEXA]
www.nexaexperience.com
NOW YOU CAN ALSO BOOK ONLINE
DELHI: NEXA OKHLA PHASE 1 (PREM MOTORS PH: 011-42900000, 7065074531), NEXA JANAKPURI (DD MOTORS PH: 9081900800), NEXA ROHINI SECTOR 10 (SAYA AUTOMOBILES LTD. PH: 9582777477), NEXA GREEN PARK (TR SAWHNEY AUTOMOBILES PH: 7290099520),
NEXA DILSHAD GARDEN (COMPETENT AUTOMOBILES PH: 8377007962), NEXA WEST PUNJABI BAGH (JAGMOHAN AUTOMOTIVES PVT. LTD. PH: 7290054930), NEXA WAZIRPUR (COMPETENT AUTOMOBILES PH: 9582668646), NEXA GT KARNAL ROAD (RANA MOTORS PH: 7289999111),
NEXA MOTI NAGAR (AAA VEHICLEADES PVT. LTD. PH: 8448993400), NEXA MOHAN CO-OPERATIVE (PLATINUM MOTO CORP PH: 011-40347777, 9899118890), NEXA MAYAPURI (KRISH AUTOMOTORS PH: 7838555076), NEXA DWARKA SECTOR 14 (COMPETENT AUTOMOBILES COMPANY PH: 8860011600),
NEXA PREET VIHAR (TR SAWHNEY AUTOMOBILES PH: 7290091122), NEXA DWARKA SECTOR 9 (MAGIC AUTO PH: 7290055667), NEXA PITAMPURA (KRISH MOTORS PH: 7838555047), NEXA AKSHARDHAM (FAIRDEAL CARS PH: 9999525161), NEXA NARELA (DD MOTORS PH: 9081900800),
NEXA KAILASH COLONY (RANA MOTORS PH: 9999788886), NEXA RAJOURI GARDEN (TR SAWHNEY AUTOMOBILES PH: 9999525750), NEXA GHAZIPUR (MAGIC AUTO PH: 9871755000), NEXA LAJPAT NAGAR (BAGGA LINK MOTORS PH: 9818199367),
NEXA GOKULPURI (VIPUL MOTORS PVT. LTD. PH: 9870194313), NEXA KAROL BAGH (DD MOTORS PH: 9081900800), GREATER NOIDA: NEXA IND AREA GREATER NOIDA (ROHAN MOTORS PH: 8744000600), REWARI: NEXA DELHI ROAD (DINCO 4 WHEELS LLP PH: 7082100301),
MANESAR: NEXA IMT MANESAR (PLATINUM MOTO CORP PH: 9953345344), FARIDABAD: NEXA FARIDABAD CENTRAL (VIPUL MOTORS PH: 9599814771), NEXA MATHURA ROAD (PASCO AUTOMOBILES PH: 9999120572), NEXA NIT (BVA AUTO PH: 1294121212),
GHAZIABAD: NEXA SAHIBABAD (MOTORCRAFT SALES PH: 8130582222), NEXA MEERUT ROAD (ROHAN MOTORS LTD. PH: 9599040601), GURGAON: NEXA MG ROAD (PASCO AUTOMOBILES PH: 9711290001), NEXA GOLF COURSE ROAD (TR SAWHNEY AUTOMOBILES PH: 9999525740),
NEXA SOHNA ROAD (COMPETENT AUTOMOBILES PH: 0124-2877000, 7290025353), NEXA SECTOR 62 (VIPUL MOTORS PH: 9205899710), NEXA IDC SEC 14 (PREM MOTORS PH: 124-4440000, 7065074501), NEXA RAJIV CHOWK GURGAON (RANA MOTORS PH: 8585991111),
NOIDA: NEXA SECTOR 10 (FAIR DEAL CARS PH: 9953993450), NEXA SECTOR 1 (ROHAN MOTORS PH: 8376800026), NEXA SECTOR 63 (VIPUL MOTORS PH: 9599814775), SOHNA: NEXA SOHNA (PASCO AUTOMOBILES PH: 9899961000).
*Terms and conditions are applicable. This special interest rate is at the sole discretion of financier and is applicable only for selected NBFC partners of MSIL. Offers include consumer offers and Exchange offers. The Terms and Conditions are subject to change without any prior notice. Customer can avail either the Special Interest Rate or the Offers as shown above. All offers are brought to you by NEXA dealers only. Accessories/colors/features shown may not be part of standard equipment and are for indicative purposes only. Images used are for illustration purposes only. Offers shown above are applicable and may vary subject to the Model and Variant purchased. Offer as shown above may change without prior notice. All offers applicable till 31st Aug'19.
SUZUKI
connect
A REVOLUTIONARY WAY TO CONNECT TO YOUR CAR
Vehicle Tracking
Emergency Alert
Driving Behaviour Analysis
Live Vehicle Status
Vehicle Alerts
Offered separately as Genuine NEXA Accessory